(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 12] पंचम् विधान सभा के बारहवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 3

मंगलवार,

दिनांक 5 अक्टूबर, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[वित्त, नियुक्ति, नगर आयोजना, पंचायत, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आबकारी विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री बनवारीलाल !

नगरपालिका धौलपुर को मनोरंजन कर से दी गई राशि

56. श्री बनवारीलाल (धौलपुर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में धौलपुर नगरपालिका सीमा में किन किन स्रोत से कितना मनोरंजन कर प्राप्त हुआ ? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कुल प्राप्त मनोरंजन कर की राशि में से कितनी राशि धौलपुर नगरपालिका को दी गई ? गत तीन वर्षों के आंकड़े वर्षवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राज्य सरकार का नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर की राशि का अंशदान देने का क्या मापदण्ड है ? क्या सरकार वर्तमान मापदण्ड का पुनरावलोकन करने का विचार रखती है ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) धौलपुर नगरपालिका की सीमा में सिनेमा आदि से मनोरंजन कर की गत तीन वर्षों में प्राप्त आय निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	वर्ष		आय
1.	1973-74	रुपये	1,11,925.00
2.	1974-75	रुपये	1,43,833.00
3.	1975-76	रुपये	1,83,942.00

(2) धौलपुर नगरपालिका को गत तीन वर्षों में रुपये 5,595.00 रुपये (अंक रुपये

(श्री चन्दनमल बैद)
पन्द्रह हजार पांच सौ पिच्चानवें) मात्र दिये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम संख्या	वर्ष	रकम
1.	1973-74	3,119.00
2.	1974-75	6,238.00
3.	1975-76	6,238.00
		रुपये 15,595.00

(3) राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उप-धारा (2) के अनुसार अमुक नगरपालिका की सन् 1955-56 से 1957-58 के तीन वर्षों में मनोरंजन कर से हुई औसत आय के बराबर राशि प्रशासनिक औसत खर्च की 4 प्रतिशत राशि कम करके अनुदान के रूप में दी जाती रही है। सन् 1974-75 से यह राशि दुगुनी कर दी गई है। चूंकि दो वर्ष पूर्व ही दर बढ़ाई गई है अतः इसके पुनरावलोकन का राज्य सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर नगरपालिका की 1955-56 से 1957-58 तक मनोरंजन कर से कितनी आय थी और उस समय उस पर प्रशासनिक खर्च कितना हुआ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है उससे माननीय सदस्य अन्दाज लगा सकते हैं कि कितनी आय हुई और कितना प्रशासनिक खर्च हुआ।

श्री बनवारीलाल : इसमें अन्दाज की क्या बात हुई, आप बतावें?

श्री चन्दनमल बैद : बता रहा हूं, बता रहा हूं आप नाराज क्यों हो रहे हैं। 55-56 से 57-58 में जो मनोरंजन कर से आय हुई उसमें से चार प्रतिशत प्रशासनिक खर्च काट कर जो एवरेज इन्कम हुई तीन साल की वह दी जाती रही। जैसे सन् 1973-74 में 3 हजार 119 रुपये दी गई और 1974-75 में 6,238.00 रुपये और 1975-76 में भी 6,238.00 रुपये दी गयी। चूंकि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था 1974 में कि इनकी जो आय होगी उसका दुगुना नगरपालिकाओं को दिया जावेगा इसलिये सन् 1973-74 में तो 3,119 रुपये दिये गये और सन् 74-75 में वह राशि दुगुनी कर दी गयी यानि 6,238 रुपये दिये गये।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, इससे क्या फायदा हुआ? सन् 1955 के बाद से आगे नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जो सिनेमाघर थे उनसे मनोरंजन कर की आय तो ज्यादा वसूल होती थी लेकिन नगरपालिकाओं को कम राशि दी जाती थी। अध्यक्ष महोदय, जब कि राज्य सरकार को 1973-74 में मनोरंजन कर से आय तो होती है 1,11,925 रुपये और आपने धौलपुर नगरपालिका को दिया है सिर्फ उसमें 3,119 रुपये। सन् 1974-75 में आय तो हुई है 1,48,833 रुपये आपने दिया है 6 हजार 238 रुपये। आप कह रहे हैं कि दुगुना कर दिया है। इसी प्रकार 1975-76 में आय हुई 1 लाख 83 हजार 942 रुपये और आपने सिर्फ दिया है वही 6 हजार 238 रुपये। तो आपने क्या

(श्री बनवारीलाल)

आधार रखा है ? 1 लाख 48 हजार 833, पर भी 6,238 रुपये और 1 लाख 83 हजार 942 रुपये पर भी 6,238 रुपये। यह आपने कौनसे मापदण्ड से दिया है ? कब व कैसे दुगुना कर दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह मालूम होगा कि इसी विधान सभा में एक कानून पास हुआ है उसमें यह तय हुआ था कि जो भी नगरपालिकाओं के क्षेत्र से मनोरंजन कर राज्य सरकार को प्राप्त होता है उसमें से चार प्रतिशत काट कर जो एवरेज आये तीन साल का वह दे दिया जाये। यही क्राइटेरिया कानून से फिक्स किया गया है और उसी हिसाब से दिया जाता रहा है। जहां तक दुगुना करने के क्राइटेरिया का सवाल है वह भी इसी विधान सभा में सन् 74-75 में कानून पास किया गया था बजट सत्र में। उसमें यह तय किया गया था कि जो भी आमदनी मनोरंजन कर से हुई हो उस राशि को सन् 1974-75 से दुगुना कर दिया गया इसलिये 1973-74 में तो दिया गया 3,119 रुपये और सन् 1974-75 में यही राशि दुगुनी करके 6,238 रुपये कर दी गयी है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं और जो राशि मनोरंजन कर से राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं को दी जाती है यह बहुत कम है। आपको मनोरंजन कर की राशि तो ज्यादा प्राप्त होती है और आप उसमें से सिर्फ चार प्रतिशत काट कर प्रशासनिक खर्च की जो राशि देते थे उतनी ही दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने दुगुनी कर दी सन् 74-75 के बाद तो आपकी आय तो लाखों रुपये की होती है और आप देते उन नगरपालिकाओं को बहुत कम पैसे हैं। अब जब कि आप ऑक्ट्राई ड्यूटी भी समाप्त कर रहे हैं तो फिर बेचारी नगरपालिकाओं के पास आय का क्या स्रोत रह जायेगा ? आज आप धौलपुर में मनोरंजन कर से सिर्फ 6,238 रुपये की राशि नगरपालिका को देने की बात करते हैं लेकिन आज धौलपुर ही नहीं बल्कि और भी राजस्थान में बड़े बड़े शहर हैं जहां पर कि धौलपुर से कई गुना ज्यादा आय मनोरंजन कर से होती है लेकिन उन्हें आप सिर्फ चार प्रतिशत प्रशासनिक खर्च काट कर थोड़ा सा पैसा दे देते हैं यह कहां तक उचित है ? आपको चाहिये तो यह कि सारा पैसा नगरपालिकाओं को दिया जाय ताकि नगरपालिकाओं के क्षेत्र में काम हो सके और नगरपालिकाओं की आय में वृद्धि भी हो !

एक माननीय सदस्य : क्या राज्य सरकार अब इस फॉर्मूले का पुनरावलोकन करके नगरपालिकाओं की आय में अधिक बढ़ोतरी करेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही निवेदन कर दिया है कि चूंकि राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही दर बढ़ाई है अतः इसके पुनरावलोकन का राज्य सरकार का अभी कोई विचार नहीं है। जब विधान सभा में ही यह तय किया गया है कि जो भी आमदनी मनोरंजन कर से होती है

Page No 4

(4)

(श्री चन्दनमल बैद)
उसमें से तीन साल की आमदनी का एवरेज निकाल करके चार प्रतिशत प्रशासनिक खर्च काट कर के जो भी पैसा आये वह नगरपालिकाओं को राज्य सरकार देती है। अब आप कहते हैं कि राज्य सरकार ज्यादा पैसे क्यों लेती है, उसका कारण यह है कि राजस्थान सरकार ही वास्तव में पैसा वसूल करती है और अगर यह काम पैसा वसूल करने का नगरपालिकाओं को दे दिया जाता तो वह इससे कई गुना पैसा कम वसूल कर पाती। राज्य सरकार तो सख्ती से पैसा वसूल कर लेती है इसलिये चूंकि राज्य सरकार करती है वसूली उसी के द्वारा वसूली होने के कारण राज्य सरकार के पास पैसा आता है। प्रशासनिक खर्च भी राज्य सरकार वहन करती है। आज कई नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के सिनेमाघर भी हैं। धौलपुर नगरपालिका क्षेत्र में भी ऐसे सिनेमाघर हैं जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के सिनेमाघर हैं तो इस प्रकार की स्थिति हो तो नगरपालिकाओं के लिये मुश्किल हो जाता है और वह मनोरंजन कर वसूल नहीं कर पाती। यह तो राज्य सरकार ही है जो कि सख्ती से मनोरंजन कर वसूल करती है।

एक माननीय सदस्य : कौनसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का सिनेमाघर है धौलपुर में ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उस सिनेमाघर का नाम भी बताने का कष्ट करें मन्त्री महोदय। जब बात आ ही गई है तो खुलासा हो जानी चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : सिनेमाघर का नाम बताना उचित नहीं है। यह बात जरूर है कि राज्य सरकार ही सख्ती से वसूली मनोरंजन कर की कर रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि नगरपालिकाओं को इससे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि आज आबादी बढ़ रही है और नगरपालिकाओं के क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं इससे वहां पर सिनेमाघरों से आय भी बढ़ रही है, आप एक लाख रुपये से ज्यादा पैसा वसूल करते हैं मनोरंजन कर का और नगरपालिकाओं को सिर्फ 6 हजार रुपये ही देते हैं। आज मनोरंजन कर से आय को देखेंगे तो पता लगेगा कि सन् 54 में जो आय होती थी 50 गुना उससे अधिक आमदनी हो रही है। उसका जो हिस्सा आप दे रहे हैं वह बहुत ही कम है। इसके अलावा आज मुख्य मन्त्रीजी और स्वायत्त शासन मन्त्रीजी नगरों को साफ रखने की बात करते हैं तो इस थोड़ी सा आय से कैसे म्यूनिसिपैलिटीज नगर स्वच्छ रख सकती है ? एक तरफ आप उनकी आय में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं दूसरी तरफ आप उनके आय के जो स्रोत हैं उन्हें भी छीन रहे हैं तो इस प्रकार तो आप नगरपालिकाओं का गला घोट रहे हैं फिर किस प्रकार से नगरपालिकायें नगरों को स्वच्छ रख सकती हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : हमने जो हिस्सा उन्हें मिलना चाहिये वह एवरेज निकाल कर दिया है और अभी सन् 74 से ही दुगुना किया है पर केपिटा के हिसाब ···

श्री श्रीराम गोटेवाला : पर-कैपिटा की आप बात करते हैं तो आमदनी तो 50 गुना बढ़ी है।

Page No 5

(5)

श्री चन्दनमल बंद : हमने उस हिसाब से अन्शदान भी तो सन् 74-75 से दुगुना कर दिया है। नगरपालिकाओं को चाहिये कि अपने आय के साधनों को बढ़ायें और जो लोगों में पैसे बकाया हैं उनकी सख्ती से वसूली उन्हें करनी चाहिये। जैसे हाउस टैक्स वगैरह हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। आप विराजिये। नेक्स्ट। श्री ओंकारलाल चौहान !

आई. पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

57. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग): क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार उन आई. ए. एस. अधिकारियों के खिलाफ, जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं; कोई कार्यवाही कर रही है ?

(2) यदि हाँ, तो इस प्रकार के कितने आई. ए. एस. अधिकारी राज्य में हैं ? उनकी सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने हेतु निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : क्यों ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में इतनी विस्तृत सूचनाएं हैं कि उनको इतनी जल्दी कलेक्ट करना मुश्किल था इसलिये

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन। नेक्स्ट

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): क्या यह सही है कि राज्य सरकार यह पता नहीं लगा सकी कि ऐसे कितने आई. ए. एस. अधिकारी हैं, और जितने आई. ए. एस. अधिकारी हैं उनमें से कितनों के विरुद्ध एलीगेशन्स हैं ? आपके उत्तर से स्पष्ट होता है कि काफी आई. ए. एस. अधिकारी इन्वोल्व्ड हैं और डिफरेन्ट केसेज में इन्वोल्व्ड हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी): 6 महीने में तो, अध्यक्ष महोदय, हम तैयारी करके आये हैं। कई आई. ए. एस. अधिकारी इम्पोर्टेन्ट मामलों में फंसे हुये हैं और अगर यह नहीं बताया गया तो फिर गई 6 महीने की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री श्रीराम गोटेवाला !

आवासन मंडल द्वारा बनाये गये मकान

58. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आवासन मंडल के कौन कौन से स्थानों पर बने बनाये मकान देने के लिये आवेदन पत्र मांगे थे ?

(2) किन किन स्थानों पर निश्चित अवधि में मकान बनाकर दे दिये गये हैं ? यदि निश्चित अवधि में न दिये जा सकें तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No 6

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) मकानों की कमी को देखते हुये क्या सरकार यह महसूस करती है कि आवासन बार्ड के कार्यों को गति दी जानी चाहिये ?

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) आवासन मंडल ने राज्य के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा, पाली, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, झुंझुनू, सीकर और चित्तौड़गढ़ शहरों में बने बनाये मकान देने के लिये इच्छुक क्रेताओं से आवेदन-पत्र मांगे हैं।

(2) आवासन बोर्ड ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, बीकानेर और भीलवाड़ा में विभिन्न श्रेणी के मकानों का निर्माण कर पंजीकृत आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन कर दिया है। मकान देने की कोई निश्चित अवधि नहीं है। बोर्ड यह प्रयास करता है कि पंजीकरण के बाद तीन साल की अवधि में पंजीकृत आवेदकों को मकान मिल जावें।

(3) जी हां।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि 1973 के अन्दर यहां एक स्कीम चालू की गई थी और उस आधार पर बुकिंग हुआ था। उसमें 16,800 प्रार्थना-पत्र आये और यह कहा था कि 1976 तक मकान बना कर दे देंगे। मेरी जानकारी में आया है कि 16,800 मकानों में से केवल मात्र 750 मकान ही अब तक दिये गये हैं। मैं यह चाहता था तीन साल के जिमे जो प्रार्थना-पत्र लिये गये थे और जो 16,800 मकान देने की बात थी उसमें से केवल मात्र 750 ही मकान दिये गये हैं, क्या राज्य सरकार इसको गम्भीरता से नहीं लेती है और अब राज्य सरकार इस बारे में क्या प्रयास कर रही है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, 1971 में यह योजना पंजीकृत की गई थी और उस समय 3,800 आवेदकों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाये थे उसके बाद 1973 में 16,754 लोगों ने और अब तक हमने जो मकान आवंटित किये हैं वे हैं 3,276। यह सही है कि सन 1973 के रजिस्ट्रेशन कराने वाले अधिकांश व्यक्तियों को मकान आवंटित नहीं किये जा सके हैं। इसमें मुख्य बाधा भूमि की रही है। भूमि उपलब्ध न होने से मकानों का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। अब इस प्रयत्न में हैं कि भूमि प्राप्त की जाय और शीघ्रातिशीघ्र निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाय। अभी हमने मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 400 एकड़ भूमि प्राप्त करने का फैसला किया है। इसके साथ झोटवाड़ा में भी जमीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। आगरा-दिल्ली बाई पास के पास ईदगाह का भी विकास करने जा रहे हैं और इसके अलावा निजी भूमियों और कृषि भूमियों, जो करीब 350 एकड़ भूमि है, की भी अवाप्ति की कार्यवाही चालू है। ज्यों ही भूमि आवासन बोर्ड को प्राप्त हो जायगी त्यों ही इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता था 16,415 मकान और देने हैं— 1971 और 1973 के रजिस्ट्रेशन वालों को

Page No 7

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अगर जोड़ा जाय तो एक तरफ तो आपने जिस रेन्ज में मकान देने का फैसला किया था उस रेन्ज को ऊंचा ले रहे हैं। गांधी गृह निर्माण योजना में जो मकान देने थे, वे शायद 4,000-5,000 के आस पास थे, मुझे पूरा याद नहीं है पर जिस रेट पर आप मकान देने का बात करते थे उस पर न देकर रेट बढ़ा दी है। दूसरे, उनको मकान आवंटित करने में तीन साल की डिले कर दी है। मैं यह जानना चाहता था इतने रजिस्ट्रेशन किये गये हैं और जमीन आपके पास उपलब्ध नहीं है फिर चार साल बाद यह कहेंगे कि यहां यहां भूमि अवाप्त कर रहे हैं। अब भी कितने भू-खण्ड निकलेंगे, इस बारे में कोई योजना नहीं है। जिस रेट के अन्दर उस समय आपने बुकिंग की थी उसी रेट पर मकान बनाकर दें—एक बात। दूसरी बात कब तक मकान बनाकर दे देंगे ? यह मैं जानना चाहता था।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भूमि अवाप्ति की सारी कार्यवाही में साथ रहे हैं। उस बात का सब कुछ पता है कि क्या कठिनाइयां जयपुर में पैदा हुई हैं। इसको वे खब अच्छी तरह जानते हैं, इसके बावजूद भी सदन में यह बात कहना कितना ठीक है। दूसरे आपने कहा, सस्ती दर पर मकान बनाकर दे दिये जायं, उसका भार जनता उठाये, यह भी ठीक नहीं है—इन्डीविजुअल उठायें जहां तक तो ठीक है लेकिन सारी जनता उसका भार उठाये, यह ठीक नहीं है। आवासन बोर्ड स्टेट एन्टरप्राइज है, अगर सब्सिडाइज करेंगे तो उसका भार जनता को ही भुगतना पड़ेगा। कहीं कोई घाटा है तो टैक्स लगाकर मकान बनाकर दिये जायें, यह उचित भी नहीं है और दूसरे दो वर्ष किस तरह निकले हैं यह सब भी आपको मालूम है। घटकों ने पैसा देना बन्द कर दिया। अब जो प्रॉब्लम्स थी वे सॉर्ट आउट कर दी गई हैं। एक तो जमीन का मुख्य प्रश्न है जो हल किया जा रहा है। दूसरे भारत सरकार ने भी सुविधायें देना शुरू कर दिया है। दो वर्ष पहले की स्थिति और थी और अब स्थिति और है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक प्रश्न और पूछना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : और क्या पूछेंगे अब ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फर्माया वह तो ठीक है लेकिन इस सारी बात के बारे में अनावश्यक डिले हुई है। जो फायरिंग रेन्ज थी उसमें 8,500 मकान बन सकते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी के निरन्तर प्रयत्न करने के बाद भी तीन साल की डिले हुई है।

श्री हरिदेव जोशी : अब भी आप उतनी डिटेल्स को नहीं जानते हैं, जो आप फर्मा रहे हैं। भारत सरकार फायरिंग रेन्ज का इतना पैसा मांग रही है जितना हम हाउसिंग बोर्ड से वसूल नहीं कर सकेंगे। पोजीशन यह है कि फायरिंग रेन्ज के लिये जो जमीनें देती है स्टेट गवर्नमेंट वह अपनी तरफ से जमीनें देती है और उनको एक लागत कीमत पर देती है। यह भारत सरकार को किसी कीमत पर नहीं दी है बल्कि राजस्थान के इन्टीग्रेशन के टाइम यह इनहेरेन्ट की गई थी जिसका करोड़ों

(श्री हरिदेव जोशी)
रुपया दिया था। मैं स्वयं गया हूं इस मसले को लेकर। मैंने डिफेन्स मिनिस्टर महोदय से बात की है। मैं चाहता हूं जयपुर में जल्दी से जल्दी मकान बनें।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री सुरेन्द्र-प्रसाद!

उप-जिलाधीश, टौंक के विरुद्ध कार्यवाही

59. श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप-जिलाधीश, टौंक ने तहसील देवली की आवंटन समिति की बैठक में वहां के प्रधान एवं सरपंच के साथ दुर्व्यवहार किया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैठक से प्रधान पंचायत समिति एवं सरपंच ने बहिष्कार किया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिला कांग्रेस कमेटी, टौंक ने उक्त उप-जिलाधीश के विरुद्ध एक निन्दा प्रस्ताव पारित किया है जिसकी प्रति एक पत्र के साथ आपको भिजवाई गई है ?

(4) राज्य सरकार ने उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, नियुक्ति : (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी, टौंक से उप-जिलाधीश, टौंक के विरुद्ध इस मामले से सम्बन्धित एक शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) प्राप्त शिकायत पर जिलाधीश, टौंक को जांच हेतु आदेश दिये गये हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश, टौंक और उप-जिलाधीश, टौंक व्यक्तिगत मित्र हैं, यह बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह आपको मालूम भी होना चाहिए, यह मैं मानकर चलता हूं। जब इनका मालपुरा से ट्रान्सफर हुआ था तो पर्सनल रिक्वेस्ट पर टौंक में ट्रान्सफर हुआ था तो मैं समझता हूं यह सेटिस्फेक्ट्री जांच नहीं हो पायेगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास जिलाधीश, टौंक से उप-जिलाधीश, टौंक की मित्रता होने का सूचना नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह समाचार दे दिये हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं यह मानकर चलता हूं कि यह जांच निष्पक्षता से होगी इसलिए उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह एक इन्टेग्रिटी का प्रश्न है। क्या यह प्रोसीजर सही है कि एस. डी. ओ. की जांच वहां का ही कोई कलेक्टर करे ? उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सम्बन्ध होते हैं और भी कई दूसरे तरह के सम्बन्ध होते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : प्राइमा फेसी यही होता है कि सीनियर ऑफिसर है और वही उसकी जांच करे।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : एस. डी. एम. और कलेक्टर के रिलेशन ऐसे होते हैं....

श्री हरिदेव जोशी : जो पर्सनल बात कही है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं....

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : अध्यक्ष महोदय, उसके रिलेशन ऐसे होते हैं। उसका वर्किंग ही एक प्रकार का ऐसा होता है कि एस. डी. ओ. के सारे एक्शन के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होता है और कुछ कारणों से कलेक्टर उस को प्रोटेक्ट करता है। आज जिला कांग्रेस का प्रस्ताव पारित करके भेजें तो आप यहां से किसी निष्पक्ष अधिकारी को भेजकर जांच करवायें। वहीं के कलेक्टर से करवायें, यह उचित नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस पटवारी की जांच के लिये लिखा जाता है वह कागज घूमता हुआ उसी पटवारी के पास पहुंच जाता है तो मैं प्राइमा फेसी इस बात को भी ठीक नहीं मानता हूं। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सम्बन्ध होते हैं और भी कई तरह के रिलेशन होते हैं इसलिए बहुत सी बातों को ओवर लुक करना पड़ता है। एस. डी. एम. और कलेक्टर के रिलेशन बहुत कुछ अंशों में समान से ही होते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : एडमिनिस्ट्रेटिवली एक सेट प्रिन्सिपल है कि जो व्यक्ति जिसके ज्यादा नजदीक में है और जो उसके बाबत जांच करता है वह ताजा और सही ओपिनियन उसके बाबत में दे सकता है। इसी चीज को ध्यान में रख कर कि कलेक्टर एस. डी. ओ की सी. आर. भरता है, तहसीलदार की सी. आर. भरता है यह जांच का कार्य उसके सुपुर्द किया गया है। यदि आपका सिद्धान्त स्वीकार कर लिया जाय कि जिले में जो साथ बैठकर काम करते हैं उनको वे फेवर करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं सकता है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बात कही वह ठीक है। ओपीनियन रोजमर्रा के काम को देखकर वह फोर्म कर लेता है इसलिए उसी से उसकी इन्क्वायरी करवाना अच्छा है या बुरा, उसने तो पहले से ही ओपीनियन फोर्म कर रखी है।

श्री हरिदेव जोशी : डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के बाबत में आपकी ओपीनियन बायस्ड थी क्योंकि you are part and parcel.

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं। हमारी शिकायत थी। निश्चित रूप से मेरी ओपीनियन बायस्ड है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : बायस्ड ओपीनियन से बात करें तो कुछ सोचने की बात है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जिला कांग्रेस कमेटी की आपके पास शिकायत है और किसी है, कलेक्टर, टोंक के अलावा आप

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
जांच करवाइये। आपका खुद का ही कहना है कि कलैक्टर रोजमर्रा उसके साथ काम करता है और वह उसके बाबत में ओपीनियन बना चुका है।

प्रश्न संख्या 60

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 61

श्री शंकरलाल!

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न संख्या 60।

श्री अध्यक्ष : आॅथोरिटी तो आई नहीं आपके बारे में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : है साहब। दे चुके हैं। जनरल आॅथोरिटी है।

प्रश्न संख्या 62

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत!

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुख्त्यारनामा आम तो है हा।

श्री अध्यक्ष : हमारे यहां रजिस्टर करवाना होता है।

श्री रामगोपाल !

ग्राम पंचायत वमनगवां के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

63. **श्री रामगोपाल** (किशनगंज) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरपंच श्री दौलतराम सिन्धे ग्राम पंचायत वमनगवां, पंचायत समिति, शाहबाद, जिला कोटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग की शिकायतें क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार को की हैं? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : जी हां, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी कोटा को जांच हेतु लिखा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही मामले में कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

श्री रामगोपाल : जांच कितने समय में प्राप्त हो जावेगी?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1-9-76 को पत्र प्राप्त हुआ। 5-9-76 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शिकायत आयी है उसमें 50 गवाहों के बयान लेने हैं उसके आधार पर फैसला किया जाना है। लगभग दो माह में जांच रिपोर्ट पेश होगी और जांच रिपोर्ट पेश होने के आधार पर ही निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : सब ही मानते हैं इस बात को कि सरपंच

Page No 11

(11)

(श्री मीठालाल मीणा)
के खिलाफ 17 (4) की कार्यवाही है। लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी लम्बी है कि किसी भी मामले का फैसला होने में चार पांच साल की अवधि लग जाती है। अब तो आप दिसम्बर में चुनाव करवा रहे हैं तो कुछ से तो पिण्ड छूट जावेगा। 17 (4) की कार्यवाही की प्रक्रिया में जो इतना अधिक समय लग जाता है इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और आप इसमें सुधार करवाइये।

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : दोनों ही बातें हैं। इसमें सरपंच को प्रोटेक्शन भी काफी है। एक समरी ट्रायल जैसा कर दिया जाय तो सरपंच फायदे में रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को पूरा मौका मिलना चाहिये अपना बात कहने का और जन हित में ही यह सोचा जाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दिसम्बर तक और प्रोटेक्शन देना है।

श्री मीठालाल : 17 (4) की कार्यवाही ऊपर जाकर, ऐसा है कि, केवल नाममात्र की है। अधिकारी सक्षम ही नहीं है। रिकार्ड मंगवाने की सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिये इस मामले में विचार कर इसको सुधारने की कोशिश करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : निश्चित समय तो कहा नहीं जा सकता। जांच की जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अनुसार तो जांच पूरी करनी होगी ही। मामले की गम्भीरता और तथ्यों को देखते हुए जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करनी चाहिये। यदि प्रक्रिया में इस दृष्टि से कहीं काई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री मीठालाल मीणा : या तो आप यह मान लीजिये कि एक दो साल में जांच होकर कार्यवाही हो जाय या फिर प्रक्रिया में सुधार कर लीजियेगा। आप इस पर गम्भीरता से विचार करें कि कहां इसमें कमी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा मैंने निवेदन किया यह केस पर निर्भर करेगा कि कितना समय लगेगा। जांच की प्रक्रिया ऐसी हो कि जांच जल्दी से जल्दी हो इस पर विचार कर लिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नारायणसिंह चौधरी!

रॉयल क्लब, जयपुर

64. श्री नारायणसिंह चौधरी (दांता-रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जांच के दौरान पुलिस ने जयपुर की जय क्लब, अशोक क्लब, रॉयल क्लब व जयपुर क्लब का कार्य वैध तरीके से नियमानुसार संचालित होते पाया ?

(2) यदि हां, तो रॉयल क्लब लि. त्रिपोलिया बाजार, जयपुर को कार्य करने में पुलिस क्यों बाधा पहुंचा रही है और क्लब को कानूनी तौर पर भी आज कल कार्य नहीं करने देती है ?

(3) क्या भविष्य में पुलिस उक्त क्लब के संचालन में अनावश्यक व अनुचित

(श्री नारायणसिंह चौधरी)
हस्तक्षेप तो नहीं करेगी और वैध तरीके से कार्य करने में कोई बाधा तो नहीं पहुंचायेगी ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जय क्लब, अशोक क्लब, रॉयल क्लब व जयपुर क्लब के कार्य संचालन के बारे में पुलिस ने कोई जांच नहीं की है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री नारायणसिंह चौधरी : सी. आई. डी. वालों ने जांच की है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस क्लब के बारे में सी. आई. डी. ने जांच नहीं की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन क्लबों के बारे में शिकायतें आती हैं कि यहां पर जुआ बहुत लम्बे स्केल पर होता है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : शिकायत आयी भी हो तो यहां पर कहने की नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : सी. आई. डी. से ही कराई है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इन क्लबों के बारे में सी. आई. डी. से जांच नहीं करायी है।

श्री मीठालाल मीणा : इन क्लबों के गेट्स पर पुलिस अधिकारी बिठा रखे हैं। पाबन्दी लगा रखी है। दूसरी तरफ आप किसी को जाने नहीं देना चाहते।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी शिकायत बतायें कि पुलिस वालों ने जाने से मना किया है तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्लब ज्यादा अच्छी तरह से चलें इसलिये पुलिस वालों को वहां पर बिठाया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि सी. आई. डी. या सिविल पुलिस से कोई इन्क्वायरी नहीं करायी गयी है। माननीय सदस्य कह ही रहे हैं तो बात को साफ साफ कह दीजियेगा।

श्री मीठालाल मीणा : क्लबों में लोग जाते रहते हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम तो छिप कर जाते हैं आप चौड़े में जाते हैं।

श्री मीठालाल मीणा : चौड़े में जाना अच्छा है, छिप छिप कर क्या क्या करते हैं यह सब जानते हैं। इस तरह की शिकायत आती है कि हेरेसमेन्ट किया जाता है और दरवाजे पर पुलिस बिठा रखी है। या तो कानूनी कार्यवाही करिये या पुलिस को हटाइये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, फिर भी पुलिस बिठा रखी है इससे क्या नतीजा निकलता है ?

श्री अध्यक्ष : इनकी मर्जी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मर्जी नहीं है लाभ है।

Page No 13

(13)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें

65. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान प्रान्त में कौन कौन से जिले हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जल कष्ट की समस्या भयंकर रूप धारण किए हुये हैं ? प्राथमिकता के आधार पर जिलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त जिलों में सन् 1976-77 में कितनी राशि किन किन ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं में व्यय की जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या जन स्वास्थ्य विभाग उक्त जिलों में राशि का प्रावधान करते समय उक्त जिलों की गम्भीर जल समस्या का ध्यान रखता है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) राजस्थान प्रान्त के सभी जिले पेय जल समस्या से पीड़ित हैं । इस समस्या का विकराल रूप पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में है । विभाग द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पश्चात् राज्य की जल समस्या के समाधान के लिए सर्वेक्षण किया गया था जिसके अनुसार समाधान के लिए आवश्यक धन राशि दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) निर्माणाधीन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर इस वर्ष जो राशि आवन्टित की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इस वर्ष स्वीकृत की जाने वाली नई ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं हेतु राशि का योजनावार बंटवारा अभी नहीं किया गया है अतः उक्त राशि का जिलेवार बटवारा भी सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े दिए गए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि सन् 1975-76 और सन् 1976-77 में जो पहले राशि खर्च की गई थी उससे भी हम कम राशि खर्च कर रहे हैं । तो इस प्रकार से राजस्थान का जल समस्या का कब तक हल कर सकेंगे ?

श्री खेतसिंह : इसमें समय तो लगेगा । मैंने आपको दोनों सूचियां दी हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे कि एक एक जिले के अन्दर जैसे चूरू है इसमें चाहिए 1141.78 लाख रुपया, गंगानगर में चाहिये 1059.93 लाख रुपया, बाड़मेर में चाहिये 1032.40 लाख रुपया, नागौर में चाहिये 961.97 लाख रुपया इस प्रकार से टोटल चाहिये करीब 150 करोड़ रुपया

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वैद जी की सहायता ले लीजिए ।

Page No 14

(14)

श्री खेतसिंह : तब जाकर सारी समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो फिगर्स दिये हैं सन् 1974-75 तक मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सन् 1975-76 और सन् 1976-77 में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में राशि कम खर्च की जा रही है पाली के मुकाबले में, नागौर, बीकानेर, चूरू, रतनगढ़ और जोधपुर सभी के मुकाबले में कम राशि खर्च की जा रही है जब कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की जल समस्या की भयंकर स्थिति है, फिर क्यों बाड़मेर की सन् 1975-76 और सन् 1976-77 में इस प्रकार से अवहेलना की जा रही है ?

श्री खेतसिंह : यह आप कृपया सही नहीं फर्मा रहे हैं। मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि सन् 1973 के अन्दर सारे जिलों का सर्वेक्षण कराने के बाद जो मैंने अभी आंकड़े बताये हैं, उसी आधार पर 150 करोड़ रुपये की जरूरत है और उसका आधार क्या है वह भी मैंने आपको लिखित में दिया है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए और बता देता हूं, बिना जल स्रोत तथा अत्यधिक खारे पानी वाले ग्राम यह एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है भूजल में 8.5 पी. पा. एम. (पार्ट्स पर मिलियन) से अधिक फ्लोराइड की मात्रा होने वाले ग्राम। तीसरे वह ग्राम जिनमें नारू रोग पाया जाता है और चौथे 2000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम। इन चारों केटेगरीज को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों का सर्वेक्षण करा कर जो मैंने बात कही कि 150 करोड़ का जरूरत है वह सर्वेक्षण कराया। उसी आधार पर हमें प्रतिवर्ष जितना उपलब्ध होता है निष्पक्ष दृष्टि से पैसा बांट देते हैं और आपके जिले को भी बराबर जितना मिलना चाहिए वह दिया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जो जवाब दिया गया कि निष्पक्ष दृष्टि से दिया गया यह सही नहीं है। 1975-76 और 1976-77 के फिगर्स देखें तो आपको मालूम होगा ....

श्री खेतसिंह : हां, मैंने भी फिगर्स देखे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपके फिगर्स के अनुसार बाड़मेर जिले को 1975-76 में 21.71 लाख रुपया, 1976-77 में 15.50 लाख रुपया और अभी जो नयी स्कीम बनाई जा रही है उसमें 9.38 लाख रुपया। याने कुल 24.88 लाख रुपया और उसके बजाय पाली में सन् 1975-76 में 46.49 लाख रुपया और सन् 1976-77 में 42.20 लाख रुपया और न्यू स्कीम्स के लिए 5.67 लाख रुपया, तो पाली में भी अधिक है। नागौर में सन् 1975-76 में 33.19 लाख रुपया और सन् 1976-77 में 34.14 लाख रुपया। चूरू जिले के लिए 77.94 लाख रुपया है। चूरू और रतनगढ दोनों शामिल हैं और सन् 1976-77 में 96 लाख रुपया और न्यू स्कीम्स के लिए 10.38 लाख रुपया। यह 1 करोड़ 6 लाख और 38 हजार रुपया होता है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसी प्रकार से अधिक फिगर हैं....

श्री खेतसिंह : वह भी पढ़ दें।

एक माननीय सदस्य : यह जवाब दे रहे हैं या ले रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि 1975-76 में जब से आप इस विभाग के मिनिस्टर बने हैं उसके बाद में हमारे जिले के प्रति आपका उदासीनता का दृष्टिकोण है। इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने अभी सदन के सामने आंकड़े दिए हैं उसमें तो बात यह है कि जो स्कीम्स हमारी एक साल से दूसरे साल में आती हैं और प्रोग्रेस चलती जाती है उस हिसाब से कुछ स्कीम्स के अन्दर जो पैसा युटीलाइज नहीं हुआ वह अगली साल होता है। इस कारण से यह अन्तर आया है। बाकी जो हम बंटवारा करते हैं साल के शुरू में उसी अनुपात से करते हैं जो कि मैंने आपको अभी चार क्राइटेरियाज बताये थे····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लेकिन उनकी अनुपालना नहीं की गई है ।

श्री खेतसिंह : उसके बावजूद भी आपत्ति है तो हम दोनों ही बैठकर समझ लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 66

श्री हनुमानसहाय व्यास !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा !

नये अस्पताल खोलने का आधार

67. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में राज्य में कितने नये अस्पताल खोलने का विचार रखता है तथा इन अस्पतालों को खोलने का क्या आधार होगा ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार कोई नये अस्पताल खोलने का विचार नहीं रखती है। 10 एंड-पोस्ट आयोजना मद से खोलने का विचार है जिसके लिए आधार अभी निश्चित नहीं किए गए हैं। खोलने से पूर्व आधार निश्चित कर लिए जावेंगे ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : इसका निर्णय कब तक राज्य सरकार लेने का विचार रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : जल्दी ही ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री प्रतापसिंह ।

किशनगढ़ क्षेत्र में चोरियों एवं अपराधों में वृद्धि

68. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ नगर एवं क्षेत्र में चोरियां और अपराधों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है जिससे

Page No 16

(16)

(श्री प्रतापसिंह)
स्थानीय जनता में भय और असन्तोष व्याप्त है ?

(2) क्या इसका कारण पुलिस की निष्क्रियता है ? यदि नहीं, तो पुलिस ने कितने प्रतिशत चोरियां बरामद की हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अमले के अभाव में चोरी करते हुए चोरों की सूचना देने पर भी पुलिस चोरों को पकड़ने में असमर्थता प्रकट करती है और पुलिस चोरियों की पूरी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर पाती, जिससे अपराध बढ़ते जा रहे हैं ? यदि हां, तो बढ़ते हुए अपराधों की रोक-थाम के लिए राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) जी नहीं।

(2) पुलिस की निष्क्रियता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि किशनगढ़ नगर एवं क्षेत्र में चोरियों एवं अपराधों में निरन्तर कोई वृद्धि नहीं हो रही है। वर्ष 1975 में माह सितम्बर तक नकबजनी के मुकदमों का चालान 20 प्रतिशत और चोरी के मुकदमों का 30 प्रतिशत रहा है। जब कि 1976 में 20 सितम्बर तक चालान नकबजनी के मुकदमों का 42 प्रतिशत एवं चोरी के मुकदमों का 50 प्रतिशत रहा है।

(3) जी नहीं। अपराधों की रोकथाम के लिए पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है।

श्री प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय, ने फर्माया है कि निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही है यह मैं दावे के साथ निवेदन कर सकता हूं कि वहां आये दिन चोरियां हो रही हैं और दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। दो चार जगहों के बारे में मैं निवेदन करूं तो स्पष्ट हो जायेगा। रामप्रसाद के यहां रात को चोर आये और मकान मालिक ने उनको पकड़ लिया, फायरिंग हुई ...

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : माननीय सदस्य यह जो फिगर्स दिये गये हैं यह रिकार्ड के आधार पर दिये गये हैं। किसी एक चोरी का इम्पेक्ट इतना ज्यादा हो कि इलाके के अन्दर महसूस हो कि चोरियों की वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको कहीं लगता हो कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं टोन-अप करने की बात हैं तो आप बतला दीजिए। उसको देख लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।...

(शोरगुल)

आपने जो फिगर्स दिए हैं उसमें चालान के फिगर्स डबल हो गये हैं। पहले यह 20 पर्सेन्ट था और अब यह 40 पर्सेन्ट हो गया है, नकबजनी और इन सारे मामलों में। इससे क्या यह नतीजा नहीं निकलता है कि चोरियां अधिक हो रही हैं या यह नतीजा निकाला जाए कि आपकी सतर्कता की वजह से चालान करने की स्थिति में सुधार हो गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : ओवर आल क्राइम कम हो गये हैं। इसको हम इमर्जेन्सी को

(श्री हरिदेव जोशी)
मद्देनजर रखते हुए इवेलुएट करें तो हर स्थिति में सभी प्रकार के क्राइम्स में कमी हुई है और क्योंकि आन्दोलन, धरने, झगड़े टन्टे दूसरी जगह पर कम हुए हैं, उससे पुलिस को ज्यादा समय मिल गया और उधर को और पुलिस की फोर्स न लग कर अब इधर लग गई जिससे चालान भी जल्दी जल्दी होने और केस जल्दी बना कर पेश किए जाने लगे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया: एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। वहां पर फ़ायरिंग भी हुई है और उसके बाद में होम डिपार्टमेन्ट एक्टिव कार्यवाही नहीं करे और इसके अलावा उसकी रिपोर्ट दर्ज न हो तो इससे विभाग पर क्या असर पड़ेगा। जन प्रतिनिधि ने जो यह बात कही है वह वास्तविक है। पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है और इमर्जेन्सी की वजह से कोई भी पुलिस के खिलाफ शिकायत करने से डरता है। वस्तु स्थिति वही है जो माननीय प्रतापसिंह जी फर्मा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री प्रतापसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि वहां पर 4-5 चोरियां हुई हैं। वहां पर थाना कायम करने की भी बात है परन्तु वहां पर पूरा स्टाफ नहीं है। इसी कारण से मैं समझता हूं कि चोरियों में वृद्धि हो रहा है और इसी प्रकार का घटनायें घट रही हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर पूरा स्टाफ दिया जाये, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमारे नेता महोदय फर्मा दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 69।

विजयनगर में वाटर वर्क्स की स्थापना

69. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसी कितनी नगरपालिका और नगर परिषद् हैं जहां वाटर वर्क्स नहीं हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगर पालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा अनेकों बार आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक वाटर वर्क्स की स्थापना नहीं हुई? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(3) क्या राज्य सरकार विजयनगर में तुरन्त वाटर वर्क्स की स्थापना करेगी?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह): (1) राजस्थान की वर्तमान सभी 181 नगरपालिकाओं में जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं व उनमें से 178 में जल वितरण चालू है। विजय नगर, केशरीसिंहपुरा व छापर में जल प्रदाय योजनायें चालू की जानी बाकी हैं।

(2) सभी नगरपालिकाओं में जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

(3) विजय नगर में जल प्रदाय योजना दिनांक 25-8-75 को 19.43 लाख रुपये का लागत की स्वीकृत की जा चुकी है।

Page No 18

(18)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि केशरीसिंहपुरा, विजय नगर, और छापर ये तीन नगरपालिकायें क्यों ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं जिनमें कि जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत नहीं हो पाई हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि यह प्रश्न तीन दफे यहां पर रिपीट हो गया है। क्या उसी तरह से इस सत्र में भी यह रिपीट होकर रह जायेगा या इस सत्र में जो आपने समय दिया है उसमें यह प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य, जितनी आपको फिक्र है उससे ज्यादा मुझे फिक्र है। ये दोनों विजय नगर और केशरीसिंहपुरा अभी नगरपालिकायें बनी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पिछले मन्त्री महोदय ने तो इसके बारे में चिन्ता नहीं की है। यह प्रश्न तीसरी बार यहां पर दोहरा रहा हूं।

श्री खेतसिंह : आप विश्वास कीजिए कि हम आपसे ज्यादा उत्सुक हैं वहां पर जल प्रदाय योजनायें शुरू करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मोहनराज !

राजस्थान मद्य निषेध परामर्शदात्री समिति की बैठक

70. **श्री मोहनराज जैन(बाली)** : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान मद्य निषेध परामर्शदात्री समिति के कुल कितने सदस्य हैं ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गत माह इस समिति की बैठक जोधपुर में हुई थी ? यदि हां, तो उक्त समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बैठक में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित 12 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा हुई थी और उक्त चर्चा के दौरान मन्दिरों व धर्म स्थानों के निकट से शराब की दुकानें हटाने के पूर्व ऐसे मन्दिरों व धर्म स्थानों के सर्वे कराये जाने की बात तय हुई थी ? यदि हां, तो यह सर्वे कार्य कौन करेगा और इसके पूरा होने की कब तक आशा है ?

आबकारी मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान मद्य निषेध परामर्शदात्री समिति के कुल 11 सदस्य हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं:—

1. आबकारी मन्त्री
2. राज्य मन्त्री आबकारी
3. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त, आबकारी
4. उप-शासन सचिव वित्त आबकारी
5. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
6. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, सदस्य, विधान सभा

(श्री चन्दनमल बैद)

7. श्री झाबरमल सुण्डा, सदस्य विधान सभा ।

8. श्री मोहनलाल जैन, सामाजिक कार्यकर्त्ता सरदारशहर

9. श्री छगनराज चोपासनी वाला, जोधपुर

10. श्री भोगीलाल पंड्या

11. उपायुक्त आबकारी (मद्य निषेध, राजस्थान), उदयपुर

(2) जी हां, उक्त समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण सदस्य सचिव से प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार ने अभी इसे स्वीकृति नहीं दी है। स्वीकृति होने पर ही प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जा सकेगी।

(3) उक्त बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रेषित 12 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी परन्तु मन्दिरों व अन्य धार्मिक स्थानों के सर्वे कराए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हुआ था। यह तय हुआ था कि जिन मन्दिरों व अन्य धार्मिक स्थानों की सूची राज्य सरकार ने बनाई है जिनके कि निकट शराब की दुकानें नहीं रह सकतीं, वह सूची सदस्यों को भी दी जावे। यह सूची सदस्यों को भेज दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनराज जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय सन् 1965 में लिया था कि धर्म स्थान, शिक्षण संस्थान आदि ऐसे स्थान हैं जिनके निकट शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी ? क्या यह निर्णय 65 में लिया गया था ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से तो साल नहीं बता सकता परन्तु राजबहादुर समिति ने यह निर्णय लिया था कि धर्म स्थानों से, हरिजन कॉलोनी से, मजदूर बस्तियों से, स्कूल और कॉलेजों से, एक निश्चित दूरी पर ही शराब की दुकानें होनी चाहिये और उस दूरी के लिए यह तय किया गया था कि सभी प्रकार के धर्म स्थानों की एक सूची बना ली जाये और हर स्थान को धर्म स्थान नहीं माना जाये। इसके अनुसार आबकारी विभाग ने धर्म स्थानों की सूची बना ली है और वह सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। उस मीटिंग में, जिसका कि माननीय सदस्य ने हवाला दिया है, माननीय सदस्य भी हाजिर हुये थे और उसमें यह राय प्रकट की थी कि ऐसे धर्म स्थानों की जो सूची राज्य सरकार ने बनायी है, आबकारी विभाग ने बनायी है, वह सूची माननीय सदस्यों को दी जाये। इन धर्म स्थानों के पास यदि कोई शराब की दुकान है तो उसको हटाने की कार्यवाही की जायगी। अभी ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। अगर माननीय सदस्य को कोई शिकायत है कि अमुक धर्म स्थान के निकट कोई शराब की दुकान है, वह अगर देशी शराब की दुकान है, विदेशी शराब की दुकान को नहीं हटाया जायेगा, तो देशी शराब की दुकान को तत्काल वहां से हटा दिया जायेगा, उस शिकायत की बराबर जांच की जायगी और उसके बाद यह पाया

(श्री चन्दनमल बैद)
गया कि वह निश्चित दूरी पर नहीं है तो उस देशी शराब की दुकान को वहां से हटा दिया जायेगा, कार्यवाही की जाएगी।

श्री मोहनराज जैन : अध्यक्ष महोदय, आज से ढाई साल पूर्व मैंने एक शिकायत की थी, पाली और फालना में जो देशी शराब की दुकानें हैं, वे मन्दिरों के निकट हैं। उनके मुतल्लिक शिकायत की थी। साल भर तक जांच नहीं हुई। जब दुबारा निवेदन किया तब जाकर स्थानीय अधिकारियों द्वारा उसकी जांच कराई गई। स्थानीय अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और उसे भेजे डेढ़ साल का अर्सा हो गया परन्तु ये दुकानें अभी भी मन्दिर के निकट हैं। उनको हटाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। डेढ़ साल जांच की रिपार्ट को भेजे हो गये अभी भी वे दुकानें वहीं पर ही स्थित हैं। तो इसका क्या कारण है? राज्य सरकार की ओर से इन दुकानों के मुतल्लिक, जिनकी कि मैंने शिकायत की थी, कोई कार्यवाही नहीं की है। दूसरा प्रश्न यह है कि····

श्री चन्दनमल बैद : पहले आप इस प्रश्न का उत्तर सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई ऐसा याद नहीं पड़ता है कि मुझसे माननीय सदस्य ने कोई शिकायत की हो और उसकी जांच करके मैंने जवाब नहीं दिया हो। फिर भी किसी भी कारण से माननीय सदस्य, जो बाली से आते हैं, ने कोई शिकायत की और मेरी गलती से या असावधानी से जवाब नहीं गया तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी शिकायत पर जांच करके, समुचित उत्तर जल्दी से जल्दी भेजने की व्यवस्था करूंगा।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। माननीय सदस्य ने जैसा यहां पर बताया है और मन्त्री महोदय ने जो इसका उत्तर दिया है कि मन्दिरों, धर्म स्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, मजदूर बस्तियों, हरिजन कॉलोनी के निकट शराब की दुकानें नहीं होंगी। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, मजदूर कॉलोनियां जहां कहीं भी हैं, अधिकतर वे फैक्ट्री के आस पास हैं, तो फैक्ट्री के आस पास ही शराब की दुकानें हैं, वहां पर ये दुकानें नहीं होनी चाहिये। बिलकुल देशी शराब की दुकानें वहां पर हैं जिनकी शिकायतें जिलाधीश कार्यालय तक पहुंचा दी गयी है परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप कहें तो आपके पास भी शिकायत पहुंचा दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस लिस्ट में बस स्टैण्ड और जोड़ लिये जायं। बस स्टैण्ड पर कई स्थानों पर देखने में आता है कि यात्रियों के साथ शराब पीने वाले बड़ा अभद्र व्यवहार करते है और वहां पर महिलाएं भी होती हैं। तो इस ओर क्या माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जो जो स्थान इसमें शामिल किये हैं उनको लिया गया है। नये स्थानों के जोड़ने व घटाने का प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रोहिबिशन की पॉलिसी जो भारत सरकार ने सारे देश के लिए बनाई है उस नीति पर ही चलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय मन्त्री महोदय को जयपुर में इन्डस्ट्रियल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कॉलोनी में जो दुर्घटना हुई थी वह मालूम होगी। उस समय इसी सदन के आंगन में आपने यह घोषणा की थी कि मजदूर बस्तियों से शराब की दुकानों को दूर कर दिया जायगा। उस समय आपने घोषणा की थी कि शिक्षण संस्थाओं से शराब की दुकानों को दूर कर दिया जायगा और स्कूलों के पास से दुकानों को दूर कर दिया जायगा, क्या आपको यह मालूम है ? प्रश्न नं. 2, आपने कहा है कि धार्मिक स्थानों की लिस्ट बनाई जा रही है....

श्री चन्दनमल बैद : बनाई जा रही नहीं, बनाई जा चुकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बनाई जा चुकी है तो लिस्ट बनाने के बारे में आप डिलेइंग टेक्टिक्स क्यों अपना रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह रहा हूं कि लिस्ट बन गई है, तैयार है और प्रकाशित की जा चुकी है और उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। तो डिलेइंग टेक्टिक्स का क्या सवाल है ?

श्री मोहनराज जैन : मेरा एक पॉइंट और रह गया है। जो सर्वे कराने की कार्यवाही आपने अपने विभाग के अधिकारियों के द्वारा करवाई है तो उसकी वजह से कौन से मन्दिर तो वर्जित स्थान शराब की दुकान के लिए माने गये और कौन से नहीं माने गये ? इसके अन्दर अधिकारियों ने जिस स्थान को उपयुक्त समझा उसको इसमें ले लिया और बाकी के जो स्थान रेवेन्यू ज्यादा देता था, जहां पर ज्यादा शराब बिकती थी और जहां पर ठेकेदार अपनी दुकान रखना चाहता था उस स्थान को अधिकारियों ने छोड़ दिया और उस स्थान को वर्जित इलाके में नहीं लिया। तो क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात की आवश्यकता नहीं मानते कि सर्वे करायें ? तो इसके अन्दर आपके विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय पंचायत, पंचायत समिति या दूसरे जो लोग हैं जन प्रतिनिधि जिनमें एम. एल. ए. भी शरीक हैं उस क्षेत्र के उनको साथ रखकर सर्वे करें प्रत्येक स्थान का और वह जो स्थान वर्जित घोषित करें उन स्थानों पर इस तरह की दुकानों को नहीं रखा जाय। जब तक आप इस तरह से सर्वे नहीं करायेंगे तब तक सारी बातें खोखली और थोथी रहेंगी।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य बहुत सी बातें कयास के आधार पर कर रहे हैं। जो लिस्ट बनाई गई है, वह जो परामर्शदात्री समिति बनाई गई है उसके सदस्यों को भेज दी गई है। उसमें एम. एल. ए. भी इस सदन के हैं। यदि वह यह राय जाहिर करेंगे कि इस लिस्ट में यह गड़बड़ है तो उसको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री मोहनराज : परामर्शदात्री समिति में विधान सभा के सदस्य इतने कम हैं कि वे सारे राजस्थान के लिए तय नहीं कर सकते हैं। जिस स्थान पर सर्वे कर रहे हों वहां के स्थानीय एम. एल. ए. पंचायत समिति के प्रधान और पंचायतों के सरपंचों को साथ लेकर करें।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे गवर्नमेंट होस्टल के बिल्कुल कोने पर ही

Page No 22

(22)

(श्री नत्थासिंह)
शराब की दुकान है। हमारे बयाना क्षेत्र की हरिजन बस्तियों के बीच में दुकानें हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपके और मेरे लिए दुकानें रखी गई हैं।

प्रश्न संख्या 71

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीमल !

विद्युत् मण्डल के कर्मचारियों के पक्ष में श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की क्रियान्विति

72. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिला विद्युत् कर्मचारी यूनियन ने ब्यावर के विद्युत् विभाग के डी. डी. सी. यर्ड पर चौकीदारी का काम करने वाले जिन तीन कर्मचारियों को टायर चोरी के इल्जामों के आधार पर हटाया गया था उनके केस श्रम न्यायालय में दायर किए थे और श्रम न्यायालय से ये केस उनके पक्ष में तय हो गए ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार की गणनार्थ इलेक्ट्रिशियन प्रथम का प्रमोशन लगातार मेलाफाईड इन्टेन्शन से न देने के कारण भी उपरोक्त यूनियन ने केस किया था और उसका फैसला भी श्रमिक के पक्ष में हो गया ? यदि हां, तो इन फैसलों का तारीख बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन केसेज का फैसला हुए करीब दो वर्ष हो गये परन्तु फैसलों के अनुसार विद्युत् मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विद्युत् विभाग इन केसेज में हुए फैसलों के विरुद्ध हाई कोर्ट में गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्या अब हाई कोर्ट जाने का इरादा रखता है ? यदि नहीं, तो अब तक कोर्ट के फैसले के आधार पर श्रमिकों को काम पर क्यों नहीं लिया गया।

(4) क्या श्रम विभाग और विद्युत् मण्डल श्रम न्यायालय के फैसलों को लागू न करके कोर्ट की मानहानि नहीं कर रहा और आपातकालीन स्थिति का बेजा फायदा नहीं उठा रहा ?

(5) क्या राज्य सरकार फैसलों को लागू कर श्रमिकों को उनके न्यायोचित हक दिलाने की कृपा करेगी ?

श्रम मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) जी हां।

(2) जी हां। इस विवाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपना एवार्ड दिनांक 6-5-75 को दिया था।

(3) विद्युत मण्डल ने उक्त अवार्ड के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिटें दायर की हैं जो कि विचाराधीन हैं।

Page No 23

(23)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

गणनाथ के केस में यह रिट जुलाई, 76 में पेश की गई। दूसरी रिट पेश करने की तारीख उपलब्ध नहीं हो सकी।

(4) जी नहीं। विद्युत् मण्डल ने उच्च न्यायालय में रिटें दायर की हुई हैं जो उनका अधिकार है।

(5) उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने पर ही निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो तीन चौकीदार वाला मामला है इसको तीन साल हो गये और तीन साल के बाद भी अब तक कोई हाई कोर्ट में रिट दायर नहीं की गई है। माननीय मंत्री महोदय का यह कहना कि दायर की गई है गलत बयानी है। अगर दायर की है तो तारीख बतला दें कि कब दायर की है और कब इसका फैसला हुआ है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूचना मिली है उसके आधार पर इनके विरुद्ध फैसला हुआ है 74 में और 74 में ही राजस्थान विद्युत मण्डल ने फैसला किया था रिट दायर करने का। मुझे सूचना है कि अगस्त 76 में वह रिट पेश हो चुकी है।

श्री केशरीमल : माननीय मंत्री जी को मालूम है कि 3 साल पहले इनका फैसला हुआ है और अब वह तीन साल बाद हाई कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं। तीन साल पहले रिट पेश नहीं की और दो साल में आप यह फैसला करने बैठे हैं कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं और तीन साल हाई कोर्ट में इस मुकद्दमे के फैसले होने में लगेंगे तो 10 साल में जाकर उन लोगों के बारे में फैसला होगा। इसमें कौन सी ऐसी सैद्धान्तिक बात है कि आपको इसमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा ? दो-तीन साल तक हाई कोर्ट में जाने का फैसला क्यों नहीं लिया ? हाई कोर्ट में गये ही नहीं हैं और यह गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इनका फैसला होते ही यह निर्णय ले लिया था 75 में ही कि हाई कोर्ट में जाना है और फाइल एडवोकेट के पास भेज दी गई थी। अगस्त 76 में रिट दायर कर दी गई है और यह कोशिश की जायगी कि रिट जल्दी ही फैसला हो जाय। उसके बारे में निर्णय लिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जब माननीय सदस्य मुझ से मिले तो मैंने यही कहा था।

श्री केशरीमल : इसमें तो रिट ही पेश नहीं की गई है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप मालूम करवा लें कि इसकी रिट पेश नहीं हुई है। गणनाथ के मामले में दो साल बाद अगस्त महीने में रिट पेश की गई है। इन तीन आदमियों की रिट पेश नहीं हुई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : गणनाथ की तो जुलाई 76 में पेश हुई है और इन तीन की रिट अगस्त 76 में पेश हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भुवनेश चतुर्वेदी !

राज्य में मारफिन का कारखाना स्थापित करने की योजना

73. **श्री भुवनेश चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :

(1) क्या राजस्थान में मारफिन का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? अगर हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या केन्द्रीय सरकार की एक कमेटी इस हेतु राजस्थान आई थी ? अगर आई थी, तो वह कहां कहां गई और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

(3) राजस्थान सरकार इस उद्योग को राजस्थान में स्थापित करने के लिए क्या सुविधाएं देने को तत्पर है ? ये सुविधाएं अन्य राज्यों में जैसे मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश की तुलना में कैसी हैं ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। भारत सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। भारत सरकार के अधिकारियों का एक दल आया था जो जयपुर एवं कोटा गया था। दल की रिपोर्ट की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है क्योंकि रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जानी थी।

(3) भूमि, पानी, बिजली व उद्योगों को दी जाने वाली अन्य समस्त उपलब्ध सुविधाएं इस उद्योग को दिये जाने का आश्वासन भारत सरकार को दिया जा चुका है। अन्य राज्यों द्वारा इस उद्योग को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि ऐसे कारखाने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विद्यमान हैं इसलिए राजस्थान में यह कारखाना खोले जाने के लिए उसका पूरा पूरा हक बनता है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो कमेटी सर्वे करके गई थी उसने, मेरी सूचना के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि उसकी जानकारी करने की कृपा करें। तीसरा मेरा यह निवेदन है कि यह कारखाना बड़े राष्ट्रीय महत्व का है और माननीय मुख्य मंत्री जी पर्सनल लेवल पर इसके लिए प्रयत्न करेंगे तो राजस्थान को यह कारखाना मिल सकेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इस कारखाने की अहमियत को मैं मानता हूं, और इसीलिए राजस्थान की पहल पर ही यह कमेटी फॉर्म हुई है वरना कोई कमेटी फॉर्म नहीं होती। राजस्थान के आग्रह के ऊपर राजस्थान को इसमें इन्क्लूड किया गया है वरना दूसरी जगह पर जाने की बात थी। मैंने स्वयं ने पर्सनल लेवल पर इसको डील किया है। मैंने चिट्ठी भी लिखी है मिला भी हूं और हमारी यह कोशिश है कि कारखाना यहां पर लगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मीठालाल मीणा ।

जयपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों की दुग्ध विकास योजना

74. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर एवं सवाई माधोपुर तथा पूर्वी जिलों की सभी तहसीलों में दुग्ध विकास योजना अभी तक लागू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील में उक्त योजना को क्रियान्वित करने का राज्य सरकार का इसी वर्ष विचार था किन्तु अभी तक उक्त योजना को चालू नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया लालसोट की प्रस्तावित योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत दौसा में एक चिलिंग प्लाण्ट लगाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो यह कब तक पूरी हो जावेगी?

(4) क्या दौसा सब-डिविजन में इस प्लाण्ट के पूर्ण होने से पूर्व ही उक्त सब-डिविजन में पूर्ण रूप से उक्त योजना लागू का जावेगी या आंशिक रूप से ?

पशुपालन मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया ।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप यह घोषणा करते हैं कि सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों में अगले वर्ष से अनेक प्रकार की योजनाएं दूध इकट्ठा करने के बारे में चालू कर रहे हैं । गत वर्ष इस का निर्णय ले लिया था । जैसी कि माननीय मुन्शीलाल जी महावर से बात हुई था तो उन्होंने बताया था कि 1-2 महीनों में दूध इकट्ठा करने की योजना लालसोट में चालू कर देंगे । टैंकर की समस्या है । तीन दिन से टैंकर जाने लग गये हैं दूध लाने के लिए । मैंने उनसे निवेदन किया कि कब तक इनको बढ़ा देंगे? दूध को इकट्ठा करके दूध का चिलिंग प्लॉट लगाने के बारे में काफी दिनों से योजना विचाराधीन है । इसके बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, वैसे जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में हमारी काफी बहुत बड़े विकास की योजनाएं हैं लेकिन मुख्य प्रश्न आपका लालसोट का है तो लालसोट का चिलिंग प्लाण्ट·······

श्री मीठालाल मीणा : दूध का प्लाण्ट चिलिंग का है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप सुनिये । अभी से हमने सर्वे करवा दिया है । सर्वे कराकर दूध का संकलन करने के लिए कहां पर चिलिंग प्लाण्ट बैठाना है और कहां पर नहीं बैठाना है—यह दूसरा प्रश्न है । जयपुर में 4 घन्टों के अन्दर अन्दर दूध जहां से आ जाय तो वहां पर खोल देते है वहां पर दूध

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

का कलेक्शन शुरू हो जाता है। अगर 4 घन्टे से अधिक समय लगता है तब हम वहां नहीं खोल सकते हैं। 4 घन्टे में जयपुर डेयरी में पहुंच गये तो वहां चिलिंग प्लान्ट खोल देंगे। टौंक के बाद सवाई माधोपुर होगा। अलवर में चालू है। जयपुर में विस्तृत डेयरी की योजना है।

श्री मीठालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता था, आप फर्माते है जैसा तो मैं लालसोट पर ही आता हूं। आप वहां कब तक खोल देंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसे ही सर्वे कम्प्लीट हो जाएगा, डिस्टेंस डिटरमिन हो जाएगा, लालसोट हम निश्चित तौर से नहीं छोड़ेंगे।

एक माननीय सदस्य : इनको तो छोड़ देना।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जल्दी से जल्दी जैसे ही खुलेंगे और जो भी खुलेंगे, हम इसको भी खोलेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सेवा निवृत कर्मचारियों की पेन्शन में बढ़ोतरी की मांग

60. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने सेवा निवृत कर्मचारियों की पेन्शनों में एडहॉक बढ़ोतरी की है और तीन बार पांच प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से महंगाई भत्ता भी दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अपने सेवा निवृत आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों की पेंशन में वही बढ़ोतरी कर दी है जो केन्द्रीय सरकार ने की है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अन्य सेवा निवृत कर्मचारियों ने भी केन्द्र के समान पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आई. ए. एस. व आई. पी. एस. अधिकारी केन्द्र सरकार के नियमों के अधीन पेन्शन प्राप्त करते हैं।

(3) जी हां। वर्तमान पेन्शनरों की पेन्शन में 1-9-76 से वृद्धि कर दी गई है, जिसकी जानकारी 1-10-76 को सदन को मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य में करा दी गई थी।

पाली जिले के डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के अन्तर्गत शेष कार्य

61. **श्री शंकरलाल (पाली)** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम के तहत कौन कौन सी योजनायें किन किन गांवों के लिये कितनी धनराशि की कब कब मन्जूर की गई और उन

(श्री शंकरलाल)
तहत कहां कहां कितना कार्य सम्पूर्ण हो चुका है व कितना कार्य शेष है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) शेष कार्य कौन सी तारीख तक समाप्त हो जाना चाहिये था और उस तारीख तक सम्पूर्ण न किए जाने के क्या कारण हैं?

(3) अब शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?

(4) क्या यह सही है कि स्वीकृत गांवों के अलावा अन्य नजदीक के कुछ गांवों में जहां पीने के पानी की तकलीफ है वहां की जनता व पंचायत ने उन गांवों को भी योजना में शामिल करने की मांग की है? यदि हां, तो ऐसे गांव, कौन कौन से व कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) ऐसी मांग पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वह दोनों योजनायें इस वर्ष के पूर्वार्ध में पूर्ण की जानी थीं किन्तु वर्षा के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाबा गांवा चाणोद के अन्तिम ग्राम में जल लगभग 15 दिन में पहुंचा दिया जावेगा। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना खारीयानीम के अन्तिम 2 ग्रामों में दिसम्बर, 76 तक जल पहुंचाने की आशा है।

(4) जी हां। सूची सदन की मेज रख दी गई है।

(5) नये ग्रामों में जल प्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों के अनुसार ही स्वीकृत की जाती हैं। प्रश्न 4 की सूची में सम्मिलित कोई भी ग्राम जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं था।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त मेडिकल सर्जिकल स्पेशियलिटीज

62. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कौन कौन सी मेडिकल सर्जिकल स्पेशियलिटीज हैं? इनमें से कितनी स्पेशियलिटीज राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं व कितनी ऐसी हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है परन्तु विद्यमान हैं?

(2) ऐसी स्पेशियलिटीज जिनको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है व कार्य कर रही हैं उनको विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाने हेतु एवं विकास हेतु राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया के अनुसार मेडिसिन की निम्न स्पेशियलिटीज हैं:—

1. मेडिसिन
2. पेडियेट्रिक

(चिकित्सा मन्त्री)

3. टी. बी. एवं चेस्ट डिसीसेज
4. डरमेटोलोजी एण्ड वी. डी.
5. साइकेट्री

सर्जरी में निम्न स्पेशियलिटीज हैः—

1. सर्जरी
2. आरथोपेडिक
3. ई. एन. टी.
4. ऑपथेलमोलोजी

(क) बीकानेर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन व पेडियेट्रिक मान्यता प्राप्त हैं तथा टी. बी. साइकेट्री डरमेटोलोजी एवं बी. डी. स्पेशियलिटीज को अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है।

सर्जरा की सभी स्पेशियलिटीज मान्यता प्राप्त है।

(ख) जयपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन पेडियेट्रिक को मान्यता प्राप्त है, तथा टी. बी. को मान्यता प्राप्त नहीं है। मेडिसिन की अन्य दो स्पेशियलिटीज जयपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं हैं।

सर्जरी की सभी स्पेशियलिटीज मान्यता प्राप्त हैं।

(ग) उदयपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन व सर्जरी तथा पेडियेट्रिक मान्यता प्राप्त हैं, मेडिसिन की अन्य स्पेशियलिटिज उदयपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं हैं। सर्जरी तथा ऑपथेलमोलोजी मान्यता प्राप्त है तथा सर्जरी की अन्य स्पेशियलिटीज उदयपुर में नहीं हैं।

(घ) जोधपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन व सर्जरी की मान्यता प्राप्त है। तथा अन्य स्पेशियलिटीज वहां नहीं हैं।

(ड़) अजमेर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए मेडिसिन व सर्जरी की अभी कोई भी स्पेशियलिटीज मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

(2) जिन स्पेशियलिटीज को मान्यता प्राप्त नहीं है, उनमें मान्यता दिलाने के लिए प्रयास जारी है। कुछ स्पेशियलिटीज में राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से निरीक्षण हो चुका है और मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया की ओर से निरीक्षण होना है। कुछ स्पेशियलिटीज में अभी पर्याप्त स्टाफ व सामान न होने के कारण राजस्थान विश्व-विद्यालय और मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया का निरीक्षण नहीं कराया जा सका है। स्टाफ तथा सामान उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत करने का आधार

66. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में किन किन स्थानों पर प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया ? इन प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने के क्या आधार रखे गये हैं ?

(2) प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु कहां

(श्री हनुमानसहाय व्यास)
कहां से कब कब मांग आई ? जिन स्थानों पर उच्च प्राथमिक शालायें नहीं खोली गई उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत करने के लिए छात्र संख्या, फीडर स्कूलों की संख्या दूसरे स्कूल की वहां से दूरी, भवन व्यवस्था तथा उस जिले में स्थित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शालाओं के अनुपात आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(2) ऐसी मांगें वर्ष भर विभिन्न जिलों से लगातार आती रहती हैं। इनकी तालिका दिया जाना कठिन है नए स्कूल खोलने की संख्या बजट में सीमित होती है अतः हर स्थान पर उच्च प्राथमिक शाला क्रमोन्नत नहीं की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर शहर की कच्ची बस्तियां

71. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में कुल 39 कच्ची बस्तियां हैं जिनमें से 24 बस्तियों को तो राज्य सरकार ने मान्यता दे दी है और 15 बस्तियों की मान्यता हेतु राज्य सरकार ने यू. आई. टी. बीकानेर को सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस प्रकार कुछ बस्तियों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता देना और कुछ के लिये यू. आई. टी. को लिखने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर की उक्त कच्ची बस्तियों को बुलडोजर लगाकर तोड़ा गया जिससे आबाद लोग बेघर हो गये है और आबाद लोगों के प्रतिरोध पर कुछ लोगों से भूमि को रेगुलराइजेशन के नाम पर रकमें भी ली हैं परन्तु जमीन पर बावजूद रकम देने पर भी अतिक्रमण माना जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बीकानेर का मास्टर प्लॉन बन चुका है इसमें कच्ची बस्तियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं। अगर हां, तो कितनी बस्तियों की व्यवस्था करली गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिन कच्ची बस्तियों को मान्यता देने हेतु राज्य सरकार ने यू. आई. टी. को लिखा है उस पर यू. आई. टी. बीकानेर ने कुछ निर्णय लेकर राज्य सरकार को सूचित कर दिया है ? अगर हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। 1956 में अविकसित बस्तियां 25 थीं। कच्ची बस्तियों में बने मकानों को नियमित करने या बसाने के उद्देश्य से 22 अगस्त, 1971 की स्थिति को मान्यता दी गई है।

(2) अतिक्रमण करके बनाये गये कुछ मकानों की दीवारें गिराई गई हैं।

(नगर आयोजना मन्त्री)
नियमन के नाम पर रकम नहीं ली गई है। अमानत की राशि प्रार्थना पत्र के साथ ली गई है। भूखंड की पूरी कीमत आवंटन के बाद ली गई है। ऐसे व्यक्तियों को पट्टे देने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार होकर सार्वजनिक रूप से सुझाव आमंत्रित करने के वास्ते प्रकाशित हो चुका है। मास्टर प्लान में कच्ची बस्तियां प्रस्तावित नहीं हैं।

(4) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुलिस थाना गेगल में दर्ज मामले

1. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

पुलिस थाना गेगल (अजमेर) में 1-1-1976 से 1-9-1976 तक कितने मामले दर्ज किए गए एवं कितने मामलों पर कार्यवाही की गई तथा कितने मामले झूंठे साबित हुये जिन पर एफ. आर. दी गई और पुलिस द्वारा झूंठे साबित पाये जाने पर कितने मामलों में 182 की धारा अमल में लाकर अदालत में केस दायर किए? सारा विवरण नाम, धारा जिनके अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए, की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पुलिस थाना गेगल (अजमेर) में दिनांक 1-1-1976 से दिनांक 1-9-1976 तक कुल 66 मुकदमे पंजिवद्ध हुये हैं जिनमें से 37 मुकदमों का चालान अदालत में पेश किया गया है। 18 मुकदमों में अन्तिम प्रतिवेदन 'अदम पता' में दिया गया है। 7 मुकदमे झूंठे पाए गए। 4 मुकदमों में तफतीश चल रही है। उक्त 7 झूंठे मुकदमों में से 5 मुकदमों में मुस्तगीसों के खिलाफ 182 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत इस्तगासे पेश किए गए हैं। मुकदमों की सूची विवरण सहित संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एस. डी. एम. नोहर व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

2. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री हरिराम पुत्र श्री सोमसिंह जाट ग्राम गोरखाना तहसील नोहर ने एडीशनल आई. जी. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर को एस. डी. एम. नोहर के व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच की क्या कार्यवाही हुई व क्या परिणाम रहे?

उत्तर

जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मूल परिवाद जिला दण्डनायक, श्री गंगानगर को निस्तारण हेतु भिजवाया था जिस पर दण्डनायक, श्री गंगानगर

(गृह मन्त्री)
द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने पर ही परिणाम ज्ञात हो सकेंगे।

राजकीय प्रसूति गृह लालसोट में लेडी डाक्टर की नियुक्ति

3. श्री मीठालाल (लालसोट), श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट (जयपुर) स्थित राजकीय प्रसूति गृह (जच्चाखाना) में गत दो साल से लेडी डॉक्टर नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि कई महीने पूर्व एक लेडी डॉक्टर का वहां पोस्टिंग किया गया था, परन्तु बाद में उसे भी सरकारी आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार इतने समय पश्चात् भी लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होने को एक गम्भीर बात नहीं समझती? तथा भविष्य में कब तक लेडी डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं, डाक्टर श्रीमती बीना गुप्ता का ईरान में सलेक्शन होने के कारण दिनांक 9-7-1975 को वह ईरान के लिए प्रस्थान कर गई।

(2) डॉक्टर कुमारी प्रवीण बग्गा को आदेश दिनांक 29-7-2975 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनगढ़ रेनवाल से लालसोट लगा दिया गया था किन्तु बाद में उसको परिवार नियोजन प्रशिक्षण एवं कार्य हेतु परिवार नियोजन केन्द्र आदर्शनगर, जयपुर में प्रतिनियुक्त कर दिया गया। जहां बाद में पद रिक्त होने के कारण वहां पद स्थापित कर दिया गया तथा डॉक्टर कुमारी शोभा कौशिक को दिनांक 9-1-76 के आदेश द्वारा वहां नई तौर से नियुक्त कर दिया गया था, किन्तु निश्चित तिथि पर उनके कार्य न सम्भालने पर आदेश निरस्त कर दिए गए। तदोपरान्त डॉक्टर श्रीमती प्रभा गोधा की नियुक्ति दिनांक 26-6-76 को की गई किन्तु वह भी निश्चित तिथि पर कार्य संभालने में असमर्थ रहीं अतः उनके भी आदेश निरस्त कर दिए गए।

(3) डॉक्टर श्रीमती सरला अग्रवाल को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, लालसोट में पद स्थापित कर दिया गया है।

दौसा लालसोट तहसील क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक कन्या शालाओं में अध्यापिकाओं की नियुक्ति

4. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) श्री मीठालाल (लालसोट): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) दौसा लालसोट (जयपुर) तहसील क्षेत्रों की विभिन्न उच्च प्राथमिक कन्या शालाओं में छात्राओं व कक्षाओं के अनुपात से कितनी कितनी अध्यापिकाओं की आवश्यकता है? कृपया अलग अलग स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मीठालाल मीणा, श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त शालाओं में अध्यापिकाओं की अत्यन्त कमी है जो पिछले वर्ष से लगातार चली आ रही है ? यदि हां, तो अलग अलग शालाओं में कितनी कितनी अध्यापिकाएं इस समय कार्यरत हैं तथा प्रत्येक में कितनी कितनी अध्यापिकाओं की कमी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) लालसोट तहसील के स्कूलों में कम अध्यापिकाओं की कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष से ही जिन जिन अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण उक्त शालाओं में किया गया उनके स्थानान्तरण आदेश पुनः निरस्त कर दिए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) गत एक साल में जयपुर में कार्यरत अध्यापिकाओं के शहर से बाहर स्थानान्तरण के लिए विभागीय कार्यालयों से कितने आदेश, कब कब निकाले गए ? उक्त आदेशों की कितनी अध्यापिकाओं द्वारा पालना की गई और कितनी अध्यापिकाओं के आदेश निरस्त किए गए ? तथा स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने के क्या कारण थे ? ये स्थानान्तरण आदेश किसके द्वारा जारी किए गए व किसके आदेश से रद्द किए गए ? कृपया स्थानान्तरण आदेशों व निरस्त करने के आदेशों की तारीखों सहित नामवार पूर्ण सूची अलग अलग सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कार्यरत अध्यापिकाएं छात्राओं के हिसाब से काफी अधिक हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कृपया अलग अलग उच्च प्राथमिक व माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालाओं की अध्यापिकाओं व छात्राओं की पूर्ण तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

मौंठ, गुवार व तिल की उन्नत किस्म

5. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने अभी तक मौंठ, गुवार, व तिल की कोई उन्नत किस्म तैयार नहीं की है ?

(2) यदि की है तो कौन कौन सी किस्म की ? क्या आगामी खरीफ की की फसल में उन्नत किस्म का बीज दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) गुवार की "दुर्गापुरा सफेद" व "दुर्गापुरा अजय" तथा तिल की "प्रताप" व "चौफलिया" उन्नत किस्म निर्धारित की जा चुकी हैं। मौठ की स्थानीय जाति "जडया" ही प्रचलित है। गुवार व तिल की उक्त किस्मों का बीज वितरित किया जा रहा है।

कातरा जानवर को नष्ट करने की योजना

6. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत खरीफ की फसल पर अनेक जिलों में

(श्री लूणाराम)
कातरा जानवर के पैदा होने से फसल चौपट हो गई थी ?

(2) यदि हां, तो आगामी फसल पर यह जानवर पैदा न हो या होते ही नष्ट कर दिये जाने के बारे में राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(3) यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, खरीफ की फसल पर लगने वाला कातरा, जो कि एक कीड़ा है का प्रकोप नागौर, सीकर, झुन्झुनू, जयपुर एवं चूरू जिलों में हुआ था। फसल में क्षति नगण्य रही।

(2) अनुकूल वातावरण में कीड़े पैदा होना स्वाभाविक है। विभाग इसके लिए प्रकोप से पूर्व काश्तकारों को प्रशिक्षण, समाचार पत्रों एवं रेडियो प्रसारण के माध्यम से सतर्क रहने तथा नियन्त्रण के उपायों से अवगत कराता है।

(3) राज्य सरकार कृषि विभाग के माध्यम से तकनीकी सलाह तथा नियंत्रण कार्य के लिए कीटनाशक रसायन व उपकरणों की व्यवस्था विभाग एवं राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ द्वारा करवाती है।

अभ्रक खाद की निर्धारित कीमत व कमीशन

7. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में अभ्रक खाद (Chemical Fertilizer) कहां कहां और कितना कितना वितरण किया गया ? इसमें से Diammonia Super Phosphate व दूसरी अन्य खाद कितनी थी ? प्रत्येक जिले में कितनी व किस किस्म की खाद दी गई ? जिलेवार और जिला श्री गंगानगर में तहसीलवार क्या क्या कीमत थी ?

(2) हर किस्म की खाद की अलग अलग कीमत कहां कहां क्या क्या थी ?

(3) खाद की किस्म के अनुसार उसकी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कीमत तथा इस पर दिये जाने वाले कमीशन जिलेवार तथा जिला श्री गंगानगर में तहसीलवार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) उक्त क्षेत्र में सरकारी एजेन्सियों व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किस किस प्रकार की कितनी कितनी खाद का कहां-कहां बेचान हुआ ?

(स्थगित कीया गया)

आयुर्वेद परामर्शदात्री मंडल में चिकित्सक संघ का प्रतिनिधि

8. श्री दीपंकर (लाडनूं) :क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के कुछ चिकित्सकों को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी क्या जिला मुख्यालयों के चिकित्सालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की यूनिट बना कर सेवा का अवसर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों की परामर्शदात्री

(श्री दीपंकर)
समिति की बैठक अभी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि आयुर्वेद परामर्शदात्री मंडल में चिकित्सक संघ का प्रतिनिधि रखने का राज्य सरकार का निर्णय है ? यदि हां, तो वर्तमान मंडल में उनका सदस्य क्यों नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक जिले में कम से कम दो वैद्यों को प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का प्रशिक्षण जयपुर में दिलाया गया है। अभी जिला मुख्यालयों पर वांछित उपकरण व अन्य आवश्यक सुविधाएँ मुहय्या करने के प्रयत्न किये जा रहे है, पर पृथकतः प्राकृतिक चिकित्सा की यूनिट नहीं बनाई गई है। प्रशिक्षित वैद्यों द्वारा जिला स्तर पर योग प्रशिक्षण के कैम्प अवश्य लगाये गये हैं।

(2) जी हां। अब बैठक दिनांक 13-10-76 को बुलाई गई है।

(3) जी नहीं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर द्वारा बकाया ऋण की वसूली

9: श्री रघुनाथ विश्नोई (साचौर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालोर की बकाया ऋण की वसूली काश्तकारों से अभियान के रूप में की गई थी ? अगर हां, तो कुल कितनी ऋण वसूली पंचायत समितिवार कब तक की गई ? उक्त ऋण वसूली पंचायत समितिवार कितने कितने प्रतिशत की गई ? सबसे ज्यादा ऋण वसूली किस पंचायत समिति से की गई एवं सबसे कम किस पंचायत समिति क्षेत्र से की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि सेवा सहकारी समितियों से ऋण वसूली शीघ्र खरीफ ऋण वापस देने का वायदा करके की गई थी ? अगर हां, तो क्या ऐसी सहकारी समितियों से ऋण वसूल कर वापस ऋण सब समितियों को बैंक द्वारा दे दिया गया ? अगर हां, तो कब तक एवं किन किन सहकारी समितियों को मांग के अनुसार कितना कितना ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र की काफी सेवा सहकारी समितियों को ऋण वसूली के बाद समय पर दुबारा बैंक द्वारा नहीं दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस किस सहकारी समिति को कब कब कितना कितना ऋण दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र की कुछ सेवा सहकारी समितियों को मांग के अनुसार पूरा ऋण न देकर कुछ अंश में ही ऋण दिया गया ? अगर हां, तो ऐसी कितनी सहकारी समितियों को अंश में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
ही ऋण दिया गया एवं ऐसा करने के क्या कारण थे ? क्या अब तक बकाया बचा हुआ ऋण उक्त सहकारी समितियों को दे दिया गया है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ? अब बकाया ऋण कब तक दे दिया जावेगा ?

(5) क्या यह भी सही है कि जालोर भूमि विकास बैंक की ऋण वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं है ? अगर हां, तो वसूली की स्थिति कब तक सुधार ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचनाएं सदन की मेज पर रख दी गई हैं । सबसे अधिक शत प्रतिशत वसूली जसवन्तपुरा पंचायत समिति की तथा सबसे कम वसूली 50 प्रतिशत भीनमाल पंचायत समिति से हुई ।

(2) जी नहीं । जहां तक ऋण देने का प्रश्न है, जिन समितियों ने न्यूनतम वसूली के मापदण्ड को समय पर पूरा कर लिया था एवं जिनके मांग पत्र समय पर प्राप्त हो गए थे उन्हें बैंक ने उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर ऋण दे दिया है ।

(3) पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर की कुल 45 समितियों में से 30 सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। शेष 15 सहकारी समितियों को निर्धारित स्तर तक वसूली नहीं करने व मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण ऋण स्वीकृत नहीं किया गया । जिन समितियों को ऋण स्वीकृत हुआ है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी हां । सांचोर क्षेत्र की 8 समितियों को पूरा ऋण एक साथ न देकर दो किश्तों में दिया गया क्योंकि 50,000) रुपये से अधिक की राशि का सुरक्षा की दृष्टि से बैंक द्वारा दो किश्तों में भुगतान किया गया । इन 8 समितियों में से 4 समितियों को पूरा ऋण द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है । ग्राम सेवा सहकारी समिति सरवाना, विरोल, डबमाल, चौरा के द्वारा प्रथम किश्त के वितरण स्टेटमेन्ट देर से भेजने व ऋण वितरण का समय निकल जाने के कारण द्वितीय किश्त का भुगतान नहीं किया जा सका ।

(5) जालोर बैंक की मांग के विपरीत वसूली का प्रतिशत 76 प्रतिशत है, जो संतोषजनक है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

चूरू जिले में आवासीय भू-खण्डों पर मकान बनाने हेतु कर्जा

10. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में आवासीय भूखण्डों पर मकान बनाने हेतु कुल कितने परिवारों को कितना कितना सहकारी कर्जा दिया गया है ? तहसीलवाइज मय नामों के सूची सदन की मेज पर रखें ?

(श्री मोहरसिंह)

(2) चूरू जिले में कुल कितना ऋण आवासीय भूखण्डों में निर्माण हेतु दिया जावेगा ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) अब तक दिया गया ऋण कुल आवासीय भूखण्ड आवंटियों के कितने प्रतिशत को मिला है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में आवासीय भूखण्डों पर मकान निर्माण हेतु 31 गृह निर्माण सहकारी समितियों के 959 सदस्य परिवारों को 19.78 लाख रुपये का ऋण राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि., जयपुर के माध्यम से दिया गया है । सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) चूरू जिले में निर्धारित कार्यक्रमानुसार राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि., जयपुर के माध्यम से 31 गृह निर्माण समितियों के 1,224 सदस्य परिवारों को प्रति परिवार 4,000) के आधार पर 48.96 लाख रुपये का ऋण दिया जाना था, जिसमें से अब 165 परिवारों को और ऋण दिया जाना है। कुल शेष देय ऋण की राशि 29.18 लाख है। स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों में किया जाता है । समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) चूरू जिले में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कुल सदस्यों में से 78 प्रतिशत सदस्यों को ऋण दिया जा चुका है । भूखण्ड आवंटियों की पूरी सूचना सहकारी विभाग के पास नहीं होती है । इसका संबंध राजस्व विभाग से है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम के तहत श्रमिकों का पैसा

11. श्री केशरी मल (ब्यावर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के कितने उद्योगों में कम्पलसरी डिपोजिट स्कीम के तहत श्रमिकों के वेतन में से वेतन व मंहगाई में बढा पैसा काटा गया ? कारखानों की संख्या, क्षेत्र, हर वर्ष काटे गये पैसों का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इनमें से किन किस कारखानों ने यह पैसा रीजनल प्रोवीडेन्ट फन्ड कमिश्नर के दफ्तर में जमा नहीं कराया ? किस किस कारखाने ने देर से जमा कराया ? आज कितने कारखाने हैं जिन्होंने अभी तक यह पैसा जमा नहीं कराया ? कारखानों के नाम, रकम और श्रमिकों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखे ।

(3) जिन-जिन कारखानों ने पैसा जमा नहीं कराया राज्य सरकार ने उन उद्योगपतियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की तो, क्यों ? कार्यवाही न करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री केशरीमल)

(4) जिन कारखानेदारों के पास पैसा कटा हुआ जमा रह गया उनके श्रमिकों को राज्य सरकार समय पर पैसा देने की जिम्मेदारी पूरी कर रही है या नहीं ?

(स्थगित किया गया)

कारखानों एवं संस्थानों में भविष्य निधि योजना

12. श्री माठालाल मीणा (लालसोट) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के उन कारखानों एवं संस्थानों में, जिनमें कि भविष्य निधि योजना लागू हो चुकी है के कर्मचारियों के वार्षिक खातों का हिसाब समय पर नहीं भिजवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब से तथा भविष्य में कब तक भिजवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) जिन कारखानों के नियमित रिटर्न प्राप्त हो चुके हैं, उनके खातों का हिसाब कब तक भिजवा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

श्रम न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे

13. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के विभिन्न श्रम न्यायालयों में जून, 1975 से पूर्व कितने कितने मुकदमे विचाराधीन थे ? सूची सदन का मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमों में आज तक कितने और मुकदमे शामिल हुए ? सूची किस्मवार व न्यायालयवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समस्त मुकदमों में से आज तक कितने मुकदमों का फैसला हुआ है और कितने अनिर्णीत हैं ?

(4) क्या उक्त मुकदमों में पांच या पांच से अधिक वर्ष पुराने भी मुकदमे शामिल हैं ? यदि हां, तो इनके निर्णय में देरी के क्या क्या कारण हैं ?

(5) क्या श्रमिकों पर सम्बन्धित मुकदमों में होने वाली देरी से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता ? यदि हां, तो शीघ्र निर्णय कराने के लिए क्या राज्य सरकार कोई व्यवस्था करेगी।

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न श्रम न्यायालयों में 1 जून, 1975 को निम्न प्रकार से मुकदमें विचाराधीन थे:—

	नाम न्यायालय	कुल मुकदमों की संख्या
1.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1	588
2.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2	123
3.	श्रम न्यायालय	597
4.	अतिरिक्त श्रम न्यायालय	—
	योग:	—1308

(श्रम मन्त्री)

(2) उक्त न्यायालयों में 1 जून, 1975 से 31 अगस्त, 1976 तक 1355 मुकदमे और शामिल हुए। सूची न्यायालयवार निम्न प्रकार से है:—

1.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1	315
2.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2	33
3.	श्रम न्यायालय	882
4.	अतिरिक्त श्रम न्यायालय	125
	योग:	1355

किस्मवार सूची परिशिष्ट (क) में अंकित है।

(3) उक्त न्यायालयों द्वारा 31 अगस्त, 1976 तक निर्णीत व अनिर्णीत मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार से है:—

		निर्णीत मुकदमों की संख्या	अनिर्णीत मुकदमों की संख्या
1.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1	538	365
2.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2	113	43
3.	श्रम न्यायालय	596	883
4.	अतिरिक्त श्रम न्यायालय	112	13
	योग:	1359	1304

(4) पांच साल से पुराने मुकदमों की सूची न्यायालयवार निम्न प्रकार है:—

1.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1	8
2.	औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2	4
3.	श्रम न्यायालय	13
4.	अतिरिक्त श्रम न्यायालय	0

उक्त मुकदमों की अधिकतर कार्यवाही उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के कारण है। इसके अतिरिक्त राजस्थान श्रम न्यायालय में न्यायाधीश का पद एक बार लगभग 4 माह तक व फिर सितम्बर, 1975 से 15 फरवरी, 1976 तक रिक्त रहा जिसके कारण मुकदमों का निपटारा नहीं हो सका। इसी प्रकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों के पद कई माह तक रिक्त रहे।

(39)

(श्रम मन्त्री)

(5) जी नहीं मुकदमों के निर्णय यथा समय शीघ्र ही किये जाते हैं। फिर भी इनके शीघ्र निपटारे हेतु और निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—5 देखिये)

सोंनियासर (चूरू) की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

14. श्री रूपाराम (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सोनियासर रीजनल स्कीम की स्वीकृति किस वर्ष में की गई ? तथा इस योजना को कितने वर्ष बाद पूर्ण करके पानी दे दिया जायेगा तथा इसका जल स्रोत कहां से रखा गया है ?

उत्तर

सोंनियासर की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पहले 12.50 लाख रु. की लागत के लिये दिनांक 7-10-72 को स्वीकृत की गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत जल स्रोत बजरांगसर में रखा गया था। किन्तु वहां पर्याप्त मात्रा में जल न मिलने के कारण उक्त योजना के लिये जल स्रोत साण्डवा में निर्धारित करते हुए एक रिवाइज्ड जल प्रदाय योजना 41.46 लाख रु. की लागत के लिये दिनांक 26-3-76 को स्वीकृत की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम साण्डवा में जल स्रोत तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। योजना को वर्ष 78-79 तक पूरा करने की संभावना है। किन्तु इस बीच योजना में आंशिक रूप से जल वितरण इसी वर्ष से प्रारम्भ करना निर्धारित है।

दौसा में नियमित पेय जल की व्यवस्था

15. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक अभियन्ता दौसा के क्षेत्राधिकार में कौन-कौन से ग्राम व कस्बे हैं ? सूची सदन का मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारी के अधीन कितने अधिकारी, कर्मचारी तथा श्रमिक कार्यरत हैं ? सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दौसा में पेय जल के वितरण हेतु पानी की टंकी बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी थी ? यदि हां, तो कब व इसके निर्माण की क्या स्थिति है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त टंकी के अभाव में आज भी दौसा के ऊंचे स्थानों पर पानी नहीं पहुंच सकता ?

(5) क्या यह सही है कि दौसा में नियमित पेयजल वितरित नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? और नहीं, तो फरवरी, 1976 से सितम्बर, 1976 तक कितनी बार प्रातः सायं दोनों ही समय पेयजल नहीं वितरित हुआ ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मूलचन्द सामारिया)

(6) क्या यह सही है कि दौसा में जो पेय जल वितरित किया जाता है वह समान समय सभी स्थानों पर नहीं किया जाता खास तौर से गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्प संख्यक जाति के मोहल्लों में ? यदि हां, तो क्यों और इसके सुधार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, दौसा के क्षेत्राधिकार में निम्न ग्राम व कस्बे हैं:—

ग्रामों के नाम:—बस्सी, बांसखो, लालसोट, मण्डावरी, आन्धारेश, सिकन्दरा, गीजगढ़, बसवा, संथल,

कस्बों का नाम:—दौसा, बांदीकुई।

(2) उक्त अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी व श्रमिकों की सूची श्रेणीवार संलग्न है।

(3) दौसा में टंकी बनाने की स्वीकृति दौसा पुनर्गठन जल प्रदाय याजना के अन्तर्गत दिनांक 31-12-71 को जारी की गई। उक्त के अनुसार निविदायें आमंत्रित कर दिनांक 12-1-73 का मैसर्स यंग इंडिया इंजिनियर्स को कार्य-आदेश दिया गया। उक्त फर्म ने बाटम डोम तक कार्य पूरा किया है व दिनांक 4-9-75 से कार्य बन्द है। उक्त कार्य को इसके लिये अनुबन्ध के अनुसार अंतिम नोटिस दिया जा चुका है।

(4) जी नहीं। साधारणतया जल वितरण सभी स्थानों पर ठीक प्रकार हो रहा है। कभी कभी पेय जल वितरण करते समय विद्युत बन्द हो जाने के कारण उंचाई के क्षेत्रों में पानी के दबाव में कमी आ जाती है।

(5) जी नहीं। फरवरी, 76 से सितम्बर, 76 तक जल वितरण नहीं होने की सूची मय कारणों के संलग्न है।

(6) जी नहीं। दौसा कस्बे में जोन-वाइज पेय जल वितरण किया जाता है, और पूरे कस्बे में प्रथक जोन से वाल कन्ट्रोल करके प्रात: व सायं सात घंटे पेय जल वितरण किया जाता है। लेकिन वाल बन्द करने के पश्चात् भी नीचे वाले क्षेत्रों में कम दबाव के साथ पानी मिलता रहता है। प्राय: यह प्रत्येक योजनाओं पर होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले में सरपंचों व प्रधानों में बकाया

16. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में किन किन सरपंचों व प्रधानों में कितनी कितनी धन-राशि पंचायत समितियों की बकाया कब कब से है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायत मन्त्री)

(2) बकाया धनराशि की वसूली हेतु जिलाधीश के माध्यम से सम्बन्धित तहसीलों को लिखा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ब्यावर क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

17. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर क्षेत्र में इस वर्ष बहुत ही अधिक वर्षा हुई इसके कारण सारे इलाके की फसलें गलकर सड़ गई और नष्ट हो गईं? यदि हां, तो राज्य सरकार इस इलाके को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कब कर रही है!

(2) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही इस इलाके में राहत कार्य खोलने जा रही है? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। खरीफ की गिरदावरी अक्टूबर के अन्त तक पूर्ण होगी और तत्पश्चात खराबे का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जिलाधीश से अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य

18. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में रेगिस्तानी दस जिलों में से विशेष रोजगार योजना (मिनिमम-नीड-प्रोग्राम) के अन्तर्गत किन किन जिलों में क्या क्या कार्य करवाना आरम्भ किया गया है ?

(2) चूरू जिले में उक्त योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्य आरम्भ किये गये हैं ?

उत्तर

(1) मिनिमम-नीड-प्रोग्राम के अन्तर्गत कोई भी विशेष रोजगार योजना कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है। विशेष रोजगार प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना के रूप में केवल 1972-73 व 1973-74 में क्रियान्वित किया गया था। अब ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है।

(2) वर्तमान में विशेष रोजगार प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है।

पंचायत समिति पदमपुर क्षेत्र में क्रेश प्रोगाम के अन्तर्गत बनाये गए खाले

19. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले तीन चार वर्षों में पंचायत समिति पदमपुर क्षेत्र में क्रेश

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
प्रोग्राम के अन्तर्गत कितनी दूरी का पक्का खाला बनाया गया ?

(2) हर गांव में कितनी दूरी का खाला बनाया गया और उस पर क्या क्या खर्चा आया ? कृपया चकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गांववार प्रत्येक खाले पर कुल कितनी ईंटें खर्च हुई और उन ईंटों की क्या कीमत थी ?

(4) प्रत्येक खाले पर ईंटों को ढोने में क्या खर्चा हुआ ?

(5) प्रत्येक खाले पर कितने मिस्त्री और कितने मजदूर लगाए गए ? प्रत्येक मिस्त्री व मजदूर को क्या क्या मजदूरी दी गई और कुल कितनी मजदूरी दी गई ?

(6) प्रत्येक खाले पर सीमेन्ट के कितने बोरे कार्य में आए ? उसकी कीमत व किराया आदि पर कितना व्यय हुआ ?

(7) क्या सरकार इन खालों के निर्माण में हुई अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(4) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(5) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(6) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

(7) इन खालों के निर्माण की जांच अधिशासी अभियन्ता गंगानहर दक्षिण खण्ड श्री गंगानगर द्वारा की जा चुकी है। जांच से यह पाया गया है कि खाले तकनीकी दृष्टि से ठीक बने हुये हैं और संतोषजनक ढंग से चल रहे हैं। किसान खाले पक्के बनने के कारण संतुष्ट हैं। अतः पुनः जांच करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर की प्राथमिकशालाओं में अध्यापकों की कमी

20. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर की प्राथमिक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
पाठशाला में गत दो वर्षों से शिक्षक नहीं दिये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पूरे शिक्षक नहीं दिए जाने के कारण क्षेत्र की बहुत सी प्राथमिक पाठशालाएं बन्द पड़ी हैं? अगर हां, तो उक्त पंचायत समिति क्षेत्र के कितनी प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी कब से चली आ रही है ? उक्त कमी कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की पाठशाला भवनों की हालत बहुत खराब है ? अगर हां, तो पंचायत समिति अपनी निजी आय से अंशदान कर पाठशाला भवन निर्माण में क्यों नहीं खर्च करती ? अब इस वर्ष उक्त पंचायत समिति अपनी निजी आय से रकम खर्च कर कितने विद्यालय भवन निर्माण करना चाहेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में प्राथमिक पाठशाला भवनों में टाट पट्टियां, ब्लैकबोर्ड व अन्य आवश्यक सामग्री भी पंचायत समिति ने अपनी निजी आय से खरीद कर सप्लाई नहीं की है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त पंचायत समिति अपनी निजी आय से खरीद कर प्राथमिक पाठशालाओं में दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री कब तक सप्लाई सब स्कूलों में कर दी जावेगी ? निश्चित अवधि बताने का कृपा करें ।

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में पिछले दो सालों से कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो क्यों ? पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में प्राथमिक पाठशाला खोलने की उत्कट मांग कहां पर है ? क्या ऐसे स्थानों पर स्थानीय जनता ने भवन निर्माण भी कर दिए हैं ? अगर हां, तो उक्त स्थानों पर प्राथमिक पाठशालाएं कब तक राज्य सरकार द्वारा खोल दी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर मेंटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में गत एक माह से उत्पादन रोक देने और कारखाने को बन्द कर देने के विषय में ।

(2) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से गंगानगर जिला किसान सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा गत 24 सितम्बर को राजस्थान नहर की सूरतगढ़ ब्रांच की नहर एस. जे. एम. के दोनों ओर खेतों और टीबों में दबी हुई हजारों बोरियां सीमेन्ट की खोद कर निकाले जाने के विषय में ।

(श्री अध्यक्ष)

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भिजवाया था।

श्री अध्यक्ष : जवाब भी चेम्बर में पेश कर दिया था।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे भी चेम्बर में पेश करने की बात थी।

श्री अध्यक्ष : कुछ परम्पराएं होती है। उनका खयाल रखना होता है।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : हर एक स्थगन प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य की ओर से आता है, नियमों के अन्तर्गत ही आना चाहिए।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्लांट लगा हुआ था, 6 करोड़ की लागत का लगा हुआ है। उसका प्रोडक्शन एक माह से बिल्कुल बन्द कर दिया है। वहां डेढ़ हजार आदमी काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा ही बोलिएगा।

श्री केशरीमल : जी हां।

डेढ़ हजार आदमी वहां काम करते हैं। यह इलेक्ट्रिक कण्डक्टर बना रहे हैं। बोड के जरिये से बोर्ड में और बाहर वह काम में लिये जा रहे हैं। जब उनका माल राज्य सरकार ले रही है, उनको बराबर काम मिल रहा है, फिर भी कारखाने में यह हालत होती है। उन्होंने माल बनाना बन्द कर दिया है। उसको ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि चन्द दिनों में वह बन्द हो जाएगा। मजदूरों की तनख्वाह उनका प्रोवीडेन्ट का पैसा, सब मालिक अपनी जेब में रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी जगहें हैं जहां कि मालिकों ने मजदूरों के लाखों रुपये हड़प लिये हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस कारखाने को बन्द होने से बचाये। मालिकों से मजदूरों का पैसा दिलाये। कारखाने को अपने हाथ में ले। यही मेरा निवेदन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अनेक बार माननीय सिंचाई मन्त्री और कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया है। सीमेन्ट की बोरियों को बाजारों में बेचा जा रहा है। कितनी लापरवाही से उस सीमेन्ट को खुले में पटक दिया है। एक लाख बोरियां सीमेन्ट की पत्थर हो गई हैं। जिला सतर्कता कमेटी में भी यह प्रश्न अनेक बार उठाया है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनने वाली नहर के काम की सीमेन्ट की बोरियां आबोहर (पंजाब) में और गंगानगर की मण्डी में खुले आम बिक रही हैं। यही कारण है कि जो भी वाटर सोर्स नापा जाता है, वह बनते ही टूट जाता है 24 तारीख को गंगानगर किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान नहर की सूरतगढ़ ब्रांच की शाखा नहर एस. जे. एम. के दोनों ओर एक एक टीबे और खेतों की खुदाई की है। जो कि हजारों सीमेन्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

की बोरियां पत्थर हो चुकी हैं यह उन कार्यकर्त्ताग्रों ने 24 सितम्बर को खोद कर निकाली हैं। मैंने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित किया है। वहां भंवर-लाल जैन, एक्स. ई. एन. ग्रौर एक (दूसरे एक्स. ई. एन. लाखों रुपये का घोटाला कर रहे हैं। कृषि मन्त्री महोदय यहां से पधार गये हैं, उनसे कहना चाहूंगा वह तुरन्त ही इन एक्स. ई. एन. के नाम से जो सीमेन्ट रिलीज किया है ग्रौर किसान सभा के कार्य-कर्त्ताग्रों ने पत्थर बनी सीमेन्ट की बोरियों को निकाला है, उनकी जांच करायें। उन टीबों ग्रौर खेतों में सीमेन्ट की बोरियों को छिपाने का क्या कारण था? हजारों बोरियों में यह रेत मिलने के कारण उनका भविष्य में क्या होने वाला है? चाहे वह रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी हो चाहे वह सूरतगढ़ हो, जितने भी काम हैं, सीमेन्ट न मिलने के कारण नहरें कम बन रही हैं। लेकिन गंगानगर में चीप सीमेन्ट ग्रवेलेबल होने के कारण बिल्डिंग सस्ती बन रही हैं। वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ब्लैक मार्केटियर उसका खुला उपयोग कर रहे हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर विषय है। यह राष्ट्र के भविष्य से ताल्लुक रखने वाला विषय है। यह बात दूसरी है कि यह एस. जे. एम. नहर जिसका जिक्र कर रहा हूं जहां 42 ग्राउटलेट्स फंक्शन करने चाहिए थे वहां 12 ग्रॉउटलेट्स फंक्शन कर रहे हैं। ग्रौर इन 12 ग्राउटलेट्स के ग्रन्दर 12 नम्बर, 11 नम्बर ग्रौर ग्राठ ग्रौर 9 नम्बर के ग्रॉउटलेट फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उनसे बाकायदा खुले ग्राम पैसा मांगा जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह एक गंभीर विषय है, एक्स. ई. एन. के नाम से जो सीमेन्ट रिलीज किया गया है, मन्त्री महोदय वायरलेस देकर उसको सील करायें ग्रौर जो भी ग्रधिकारी दोषी पाये जायं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य के विभिन्न भागों में मलेरिया के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति

श्री ग्रध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री वृद्धिचन्द्र जैन!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के ग्रन्तर्गत राज्य के विभिन्न भागों में मलेरिया के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ग्रोर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान ग्राकर्षित करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, देश के ग्रन्य भागों की तरह राजस्थान में भी मलेरिया का प्रकोप पिछले कुछ वर्षों से बढ़ने लगा है। सितम्बर, 1975 से इसका प्रकोप विशेष रूप से बढ़ा है जिसका कारण 1975 के माह जुलाई ग्रौर ग्रगस्त में भारी वर्षा का होना है। इस वर्ष भी मलेरिया से काफी संख्या में लोग पीड़ित हुए हैं, इसका एक कारण गत वर्ष में फैले मलेरिया का परिणाम भी है। याने गत वर्ष में जो लोग मलेरिया से पीड़ित हुए ग्रौर ग्रस्थाई रूप से स्वस्थ हो गये उन्हें पुनः मलेरिया बुखार समय-समय पर घेर

Page No 46

(46)

(श्री चन्दनमल बैद)

लेता है। मलेरिया रोगियों के गत तीन वर्षों के जिलेवार आंकड़े इस प्रकार हैं:-

जिले का नाम	रोगियों की संख्या 1974	1975	1976
अजमेर	8717	19516	17386
अलवर	7655	6378	11652
भरतपुर	3543	36167	20863
बून्दी	3725	2661	3207
जयपुर	4482	21550	13113
झुन्झुनू	1735	8881	10184
सीकर	1775	11314	8164
सवाई माधोपुर	11842	12534	11845
टोंक	3141	3936	5675
बीकानेर	4574	12499	14164
चूरू	2176	11955	9875
गंगानगर	12955	22554	7097
नागौर	5728	22703	15271
बाड़मेर	2524	12519	7097
जालौर	2083	3829	2070
जैसलमेर	407	5738	2868
जोधपुर	7961	48944	29165
पाली	7991	16786	10319
सिरोही	1692	1961	1657
बांसवाड़ा	3656	3981	2142
भीलवाड़ा	7590	11229	8789
चित्तौड़गढ़	6303	10569	5518
डूंगरपुर	4135	8012	2411
झालावाड़	4089	3577	1497
कोटा	17296	7547	4096
उदयपुर	7694	24295	9712

कुल केसेज 1974 में 17596, 1975 में 355635 और 1 जनवरी से 25 सितम्बर, 1976 तक 245670 हुए। गत वर्ष पूरे राजस्थान में मलेरिया के 355635 मामले हुए थे जिसकी तुलना में इस वर्ष 10 सितम्बर, 1976 तक (8 महीने दस दिन में) 2,45,670 मामले हुए हैं। इनमें से भी काफी संख्या में मामले गत वर्ष के हैं। इनसे यह परिणाम निकलता है कि इस वर्ष मलेरिया के नये मामले गए वर्ष की तुलना में कम हुए हैं। प्रायः वर्षा के बाद मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है किन्तु इस वर्ष के अगस्त व सितम्बर माह के मलेरिया के केसेज देखने से मालूम होता है कि इसका प्रकोप बढ़ने के बजाय कुछ कम हुआ है। मेरे पास इसका विस्तृत विवरण है, जिसको देखने से लगता है कि गत वर्ष के मुकाबले मलेरिया के नए केसेज में कमी हुई है। सन् 1974 में कुल 1,77,000 केसेज मलेरिया के हुये थे। इस वर्ष के आरम्भ से ही जो उपाय मलेरिया की रोकथाम के किए गए उसका असर हुआ है और मलेरिया केसेज में कमी आई है। इस वर्ष मई माह में सबसे अधिक केसेज हुये थे तब से यह बराबर घबरा रहे हैं।

राजस्थान में 2,500 मलेरिया सर्वेलेन्स वर्कर्स कार्य कर रहे हैं। 10 से 15 हजार की जनसंख्या पर एक मलेरिया सर्वेलेन्स वर्कर नियुक्त किया जाता है जिसका यह काम होता है कि वह हर पखवाड़े में अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर जाकर बुखार के केसेज की पूछताछ करता है। इस वर्ष मलेरिया सर्वेलेन्स वर्कर्स की मार्फत तथा अस्पताल, पी. एच. सी., डिस्पेन्सरीज आदि में कुल 2205079 केसेज बुखार के 1-1-76 से 11-9-76 तक रिपोर्ट हुये जिसमें से 245670 केसेज मलेरिया के पाये गये अन्य केसेज दूसरे प्रकार के बुखार के थे। मलेरिया का

(श्री चन्दनमल वैद)

विशेष प्रकोप जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में पाया गया है। मलेरिया की रोकथाम के लिए जो अटेक फेज क्षेत्र हैं वहां प्रथम राउन्ड में शत-प्रतिशत स्प्रे होता है। अटेक फेज क्षेत्र वह माने जाते हैं जहां सन् 1969 में मलेरिया का अधिकतम प्रकोप था। राजस्थान में अटेक फेज एरिया मुख्यतः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बून्दी, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिराही, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, और उदयपुर जिलों में हैं। जहां प्रथम राउन्ड में शत प्रतिशत स्प्रे हो चुका है। दूसरे क्षेत्र मेन्टेनेन्स क्षेत्र कहलाते हैं जहां पर मलेरिया फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रजनन स्थान में स्प्रे किया जाता है। इसका अर्थ है केवल उन ग्रामों में जहां मलेरिया रोगी पाए जाते हैं, इसे फोइल स्प्रे कहते हैं।

भारत सरकार सन 1951 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर 10 लाख की जनसंख्या पर 110 मीट्रक टन डी. डी. टी. पाउडर देती है चूंकि 1951 के बाद जनसंख्या काफी बढ़ गई है आबादी क्षेत्र बढ गया है इसलिये यह डी. डी. टी. की मात्रा कम पड़ती है जिसका परिणाम यह होता है कि डी. डी. टी. स्प्रे का दूसरा राउन्ड हम पूरा नहीं कर पाते हैं। अटेक फेज क्षेत्र में 15 मई से लगाकर 31 जुलाई तक इस वर्ष पहला राउन्ड स्प्रे का पूरा कर लिया है। मेन्टेनेन्स क्षेत्र में मलेरिया से विशेष प्रभावित क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तथा वलनरेबल क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देकर वहां सभी ऐसे स्थानों पर जहां मलेरिया के कीटाणुओं के होने तथा पनपने की भी संभावना होती है, कराया गया है।

डी. डी. टी. स्प्रे से सभी मच्छर नहीं मर जाते हैं क्योंकि वह सहनशील हो गए हैं और इस प्रकार मलेरिया कीटाणु (पेरेसाइट) के केरियर मच्छर जो पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाते हैं वह मलेरिया फैलाते हैं। भारत सरकार ने मच्छरों के डी.डी.टी. रेसिस्टेंट हो जाने के कारण बी. एच. सी. दवाई का स्प्रे आरंभ किया है किन्तु उसकी सप्लाई बहुत कम है। राजस्थान में उदयपुर डिवीजन के बी. एच. सी., डी. डी. टी. से विशेष प्रकार से रेसिस्टेंट पाए गए हैं इसलिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में पूरी तरह से तथा चित्तौड़गढ़ जिले के एक चौथाई व उदयपुर जिले के 1/5 हिस्से बी. एच. सी. का स्प्रे किया गया है। अब भी पाया गया है कि वहां के मच्छर गेमेस्कन से भी रेसिस्टेंट हो रहे हैं। भारत सरकार ने एक नए इनसेक्टीसाइड मेलाथियोन की इसके लिए सिफारिश की है किन्तु वह काफी महंगा है और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। ऐसे नये इनसेक्टीसाइड की जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न हो व कारगर भी हो, बनाने की दिशा में भारत सरकार प्रयत्नशील है।

राज्य सरकार द्वारा क्लोरोक्विन की 1,28,27,000 गोलियां ग्रामों में भिन्न भिन्न एजेन्सी से वितरित की गई जिसमें मलेरिया वर्कर्स, अध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत आदि शामिल हैं—क्लोरोक्विन की 2,60,00,000 गोलियां

Page No 48

(48)

(श्री चन्दनमल बैद)

बम्बई से और आ रही हैं। मलेरिया से मृत्यु होने की राज्य सरकार के पास अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

शहरी क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के अंडों का नाश करने का कार्य नगरपालिकाओं के जिम्मे है, किन्तु ऐसा पाया गया है कि नगरपालिकाओं की ओर से इसमें यथेष्ट काम नहीं हुआ है। भारत सरकार की ओर से राजस्थान के केवल निम्न चार शहरों में एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति वर्ष इस कार्य के लिए 1973 से प्राप्त हो रहा है।

जयपुर कोटा, अजमेर व बीकानेर।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : चूरू जिले के जो आपने आंकड़े दिए हैं मलेरिया के वे सही नहीं हैं। वहां तो जगह जगह आदमी इस रोग से पीड़ित हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अभी निवेदन किया था कि दो तरह का बुखार है एक मलेरिया का बुखार और दूसरा बिना मलेरिया का। चूरू जिले में हमने 1 जनवरी से लेकर 25-9-76 तक जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, वह हैं 71,165 बिना मलेरिया के बुखार के और मलेरिया के केसेज हैं 9875।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी चिकित्सा मन्त्री ने जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत की है, उस बारे में मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मच्छर अब डी. डी. टी. के अभ्यस्त हो गए हैं, और इसके कारण जो प्रावधान आना चाहिये, वह नहीं आया। और यह भी प्रश्न रखा कि जो बी. एच. सी. है उसका भी डूंगरपुर व उदयपुर जिलों में स्प्रे किया गया परन्तु उसके भी मच्छर अभ्यस्त हो रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि मलेरिया के बारे में राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि हमने इस रोग का उन्मूलन कर दिया है। उधर आपने डी. डी. टी. व बी. एच. सी. के लिए शंका जाहिर की। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से प्रयास करे कि कोई न कोई फार्मूला इस प्रकार का निकाला जाए, जिससे कि जिस तरह चेचक का उन्मूलन किया गया है, उसी तरह से इस रोग का भी किया जाए।

दूसरा प्रश्न यह है कि बाड़मेर जिले में सर्वेलेंस वर्कर्स की बहुत कमी है। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहीं कहीं तो वर्कर का कोई क्षेत्र 75 वर्ग मील आ जाता है। वह क्षेत्र गांव गांव, ढाणी ढाणी में फैला हुआ है, इसलिए वर्कर किसी भी तरीके से अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता। ये आंकड़े जो आपको दिए गये हैं, वे कभी भी सही नहीं हो सकते और सर्वेलेंस वर्कर्स ने जो भी कार्य किया है उससे किसानों को बहुत कम राहत मिली है। वास्तविकता यह है कि इन दिनों परिवार नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है, डॉक्टर्स व कम्पाउन्डर्स की सारी शक्ति उस पर केन्द्रित हो रही है। मलेरिया की रोकथाम के लिए व उसके पीड़ितों के उपचार के लिए अभी जो कार्यक्रम चल रहा है; उसमें मैं तो अपने जिले के लिए कह सकता हूं कि बिलकुल उदासीन नीति अपनाई जा रही है, अपने भाग्य भरोसे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जी रहे हैं और इस बीमारी से पीड़ित होकर बहुत परेशान हो रहे हैं। आप परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देना चाहते हैं दें, परन्तु यह मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विशेष तौर से दो महीने के लिए और महत्व रखता है क्योंकि यह फसल काटने का समय है लेकिन अपनी बीमारी के कारण किसान खाट पर पड़ा हुआ है, वह कार्य नहीं कर सकता। उसके उपचार के लिए अभी जो व्यवस्था है, वह अपूर्ण है, यह व्यवस्था युद्धस्तर पर की जाए। क्योंकि आपने परिवार नियोजन में टार्गेट प्राप्त कर लिया है, आप एक दो महीने के बाद परिवार नियोजन का कार्यक्रम हाथ में ले लें और युद्धस्तर पर इस समय मलेरिया उन्मूलन का कार्य करें। इस समय किसानों की स्थिति खराब है, वे फसल नहीं काट सकते, मजदूर उनको मिल नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा मजदूरी मांगी जा रही है, इसलिए जितनी शक्ति लगानी चाहिए उतनी लगायें।

स्प्रे के बारे में आपने मान लिया कि एक बार किया गया, दूसरी बार नहीं किया गया। उसमें भी कठिनाई यह है कि आपकी मजदूरी की रेट 5) है, वालिन्टियरी एजेन्सीज भी इतनी एक्टिव नहीं हैं, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, इसलिए आवश्यक है कि मजदूरी की रेट इन दिनों में बढ़ाई जानी चाहिए, सर्वेलेंस वर्कर्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, इस तरह इस कार्य को गति देनी चाहिए और युद्धस्तर पर कार्य करके मलेरिया उन्मूलन के लिए सारी शक्ति लगानी चाहिए इससे उत्पादन के कार्यक्रम को भी गति मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के खड़े होने पर) ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर इतना ज्यादा बोलना है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं केवल एक दो महत्वपूर्ण मुद्दे मंत्रीजी के विचार के लिए प्रस्तुत करूंगा। इसमें दो राय नहीं कि 1974 के मुकाबले में 1975 में मलेरिया काफी फैल गया। अब 1976 में 245670 केसेज बताए गए हैं 10 सितम्बर तक, यह संख्या कम होने वाली नहीं है, तीन महीने में बढ़ेगी ही। जो भी फ्लडेड एरियाज हैं चाहे भरतपुर, चाहे घग्घर बेल्ट, चाहे लूनी नदी, सभी जगह मलेरिया रुक जाएगा ऐसी स्थिति नहीं है। 10-15 हजार पर एक सर्वेलेंस वर्कर है तो यह सम्भव नहीं है कि सर्वेलेंस पूरा होगा। इसमें 90 पर्सेंट आंकड़े गांवों के हैं और जितना शिथिल काम चल रहा है, आप कम नहीं तो कम से कम तिगुना या चौगुना अन्दाजा सरलता से लगा सकते हैं। चना, मक्का व सरसों की फसल काटने में आज किसानों को कठिनाई पैदा हो रही है, जैसे माननीय सदस्य चूरू से आते हैं, उन्होंने कहा बीकानेर व गंगानगर, में जो परिवार में कमाने वाला है वह मलेरिया से पीड़ित है वह कटाई करने नहीं जा सकता।

यह स्थिति कहीं कम है कहीं ज्यादा है। इसलिये इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के मुद्दों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब हम प्रोडक्शन के रिकार्ड तोड़ रहे हैं तब इस विन्टर क्रॉप को मद्देनजर रखते हुए वार फुटिंग पर इसके उन्मूलन की आवश्यकता है। केवल एक करोड़ साठ लाख गोलियां आ रही हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कुनैन की। इसके आधार पर मलेरिया का उन्मूलन कर लेंगे या आपके 25 हजार वर्कर्स के आधार पर मलेरिया रोक लेंगे, ऐसा सम्भव नजर नहीं आता। आपका कहना गलत है कि सबसे बड़ा जिला सबसे ज्यादा मलेरिया। जैसलमेर में मलेरिया बहुत कम है वहां विन्टर क्रॉप नहीं है लेकिन गंगानगर के अन्दर, भरतपुर के अन्दर, आपके अलवर के अन्दर विन्टर क्रॉप होती है उन्हें अगर नहीं ले, चूरू जिले के अन्दर विन्टर क्राप नहीं होती है, उसे न लें लेकिन कम से कम, प्रॉयोरिटी के आधार पर, वार फुटिंग पर इन डिस्ट्रिक्ट्स, जो आपके गेहूं पैदा करने वाले जिले हैं, ऑयल सीड्स पैदा करने वाले जिले हैं, को कम से कम इन्टेन्सिव एरिया में लें और दूसरे जिलों को सैकेन्ड ग्रेड में लेकर चलें। जहां तक 1951 के आधार पर आपको डी. डी. टी. मिली है और वह 110 मीट्रिक टन मिली है। डी. डी. टी. से ही मच्छर रैसिस्टेंट नहीं हुवा है, बी. एच. सी. से भी मच्छर रेसिस्टेंट हो गया है जैसे एन्टी बायोटिक दवाइयों से ह्यूमन बॉडी अब रेसिस्टेंट हो गयी है। यह एक प्रकार का मलेरिया है, वायरस मलेरिया, यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक दफा वायरस मलेरिया हो जाता है तो कई दिन तक आदमी बेकार हो जाता है और काम नहीं कर सकता है आपका मेडिकल विभाग इस वायरस मलेरिया को दूर करने के लिये कोई ठोस प्रयत्न नहीं कर रहा है। नगरपालिकायें काम कर रही हैं, गन्दगी साफ करवा रही हैं लेकिन आपका मेडिकल डिपार्टमेंट इस वायरस मलेरिया के बारे में क्या कर रहा है? इस बारे में आपकी क्या रिसर्च है? आपकी क्या जानकारी है? मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, बंगाल की सरकार ने, जहां फ्लड्स आते हैं, स्पेशल रिसर्च पेपर्स निकाले हैं। वहां मेडिकल डिपार्टमेंट्स ने काफी विचार विमर्श किया है और मलेरिया को दूर किया है। इसलिये, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत अर्ज करना चाहूंगा कि मलेरिया पैरासाइट्स के जो कैरियर मॉसक्वीटोज हैं उनका उन्मूलन होना चाहिये। केवल आंकड़ों के आधार पर कार्य न करें। जहां विन्टर क्रॉप आने वाली है वहां वार फुटिंग पर यह कार्य करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): जालोर के अन्दर राजस्थान में सब से ज्यादा भयंकर रूप से मलेरिया का प्रकोप है। इस बारे में विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सारे काश्तकार फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इस मौसम में सारी फैमिलीज बीमार पड़ी हैं, फिर भी विभाग की ओर से कुनैन की गोलियां वहां उपलब्ध नहीं हैं। बाजार में एक एक रुपया कुनैन की गोली की कीमत कर दी है और प्राईवेट डॉक्टर्स मनमाने पैसे ले रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विशेष रूप से मलेरिया उन्मूलन के लिये वहां विभागीय पार्टियां भेजें या कम से कम कुनैन की गोलियां वहां सारे एरिया के अन्दर सप्लाई कर दें ताकि कुछ एड मिल सके। दूसरा वर्कर्स के भेजने के बारे में निवेदन है जहां इन्टेन्सिव एरियाज हैं विशेष रूप से उसके अन्दर इन्टेन्सिव प्रोग्राम बना कर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मलेरिया को खतम करने का कोशिश की जावे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : एक सैकण्ड । मेरे पूछने पर मंत्री जी ने मलेरिया उन्मूलन योजना में चार शहर बताये थे । पांचवा शहर जयपुर भी सम्मिलित करने की बात था और उन्होंने कहा था कि जयपुर शीघ्र ही मलेरिया उन्मूलन के अन्दर शामिल कर लिया जायेगा । जयपुर नगर में जगह जगह कई प्रकार के मच्छर पैदा हो गये हैं सब लोग परेशान हो रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह जयपुर शहर मलेरिया उन्मूलन योजना में शामिल किया गया है अथवा नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है कि मलेरिया का प्रकोप न केवल राजस्थान में बल्कि सारे देश में बढ़ा हुआ है । मैंने कहीं नहीं कहा कि मलेरिया का प्रकोप कम हुआ है । प्रकोप बढ़ा है और यह सही भी है कि मलेरिया पैरासाइट्स के जो केरियर मासक्विटोज हैं उनको मिटाने के लिये जितने भी उपाय किये जा रहे हैं और जितना भी नई दवाई ईजाद कर रहे हैं उनसे मासक्विटो रसिस्टेंट हो रहे हैं । डी. डी. टी. से रेसिस्टेंट हो गये हैं, बी.एच.सी. से और दूसरी दवाइयों से रेसिस्टेन्ट हो गये हैं । और दवाईयों का प्रयोग जनस्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । भारत सरकार बड़ी गम्भीरता से प्रयत्न कर रही है कि कोई ऐसा तरीका ईजाद कर ले जो जन स्वास्थ्य के लिये हानिकार भी न हो और मलेरिया पैरासाइट्स के जो केरियर मासक्विटोज हैं उन पर भी काबू पा ले, इसकी कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसी चीज जब तक ईजाद नहीं हो जाती, हम सब को मिलकर लड़ना है । इसमें हम सब को सहयोग करना पड़ेगा । दवाई छिड़कने वाला पांच रुपये में नहीं मिलता तो हमको यह कोशिश करनी पड़ेगी, जन प्रतिनिधि के नाते हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, इसमें सब को शामिल होना पड़ेगा केवल कोशिश से काम नही चलेगा । सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुनैन की गोलियां एक एक रुपये में बिक रही हैं । मैं आपकी मार्फत बड़ी नम्रता से अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार के पास इस तरह की गोलियों की कोई कमी नहीं है । मेरे पास कोई संकेत नहीं है माननीय सदस्य का । मैं समझता हूं माननीय सदस्य हफ्ते में तीन बार मुझसे मिलते हैं, उन्होने कभी जिक्र नहीं किया कि इनके इलाके में इस प्रकार की गोलियों की कमी है ? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब भिजवा दीजिये ।

श्री चन्दनमल बैद : किसी भी इलाके में कमी है उसको पूरा किया जायेगा । इस प्रकार की हमारे पास दवाइयां हैं । हां, यह सही है कि मलेरिया के पैरासाइट्स के जो केरियर मासक्विटोज हैं वे रेसिस्टेंट हो गये हैं और हमारे पास डी. डी. टी. की कमी है । भारत सरकार से हम लाने का बराबर प्रयत्न कर रहे हैं । डी. डी. टी अगर वह हमको और नहीं देते हैं तो राजस्थान सरकार इसका भार वहन करेगी और हम

Page No 52

(52)

(श्री चन्दनमल बैद)
यह कोशिश करेंगे कि सारे राजस्थान में कम से कम दो बार स्प्रे हो जाये। फिर भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दो बार स्प्रे होने के बावजूद भी मच्छर रह जाते हैं। इसके अलावा एक बात और भी है कि मलेरिया होने के बाद सारी दवाइयाँ लेने के बाद हम लोग इतने रेसिस्टेंट हो गये हैं कि वह मलेरिया हम में से नहीं निकलता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप और हम सभी को चाहिये कि इसका वार फुटिंग पर मुकाबला करें। जिस प्रकार कि हमने स्मालपॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी पर लड़कर काबू पा लिया उसी प्रकार हमें इसको भी लड़कर हरा देना है और इसको भी हमारे यहां से समाप्त कर देना है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मलेरिया के बारे में हमारे भारतवर्ष मे अधिकारियों की मीटिंग्स होती रही हैं और जब तक इसकी समाप्ति नहीं हो जाये हमारे डॉक्टर्स के इसको समाप्त करने के लिए सम्मेलन होते रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले उत्तरी भारत के अधिकारियों का जयपुर में सम्मेलन हुआ था उस वक्त भी इस पर विचार किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसलिये जैसा कि यहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि परिवार नियोजन के केम्प्स की वजह से मलेरिया के उन्मूलन में दिक्कत होती है वह बात सही नहीं है क्योंकि जब परिवार नियोजन के केम्प्स लगते हैं तो उनमें डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह भी रहते हैं कम्पाउन्डर्स होते हैं। आज गांवों गांवों में कैम्प परिवार नियोजन के लगे है उनमें डॉक्टर्स कम्पाउन्डर्स वगैरहा सभी हैं तो अगर वहां पर लोगों में मलेरिया फैला हुआ होता है तो उसका भी वह लोग इलाज करते हैं। उससे उन लोगों को फायदा होता है। परिवार नियोजन भी एक राष्ट्रीय कार्य है जिस प्रकार स्मॉल पॉक्स और मलेरिया को समाप्त करना अपना कार्य था उसी प्रकार परिवार नियोजन करके हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि इस परिवार नियोजन के राष्ट्रीय कार्य में राजस्थान में जो टार्जेट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने हमें दिया था वह हमने विदिन सिक्स मन्थ्स पूरा करके दिखा दिया। माननीय सदस्यों को खुशी होनी चाहिये कि राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने छः माह में ही अपना टार्जेट पूरा कर दिया। इसके लिये तो माननीय सदस्य को चाहिये कि वे स्वास्थ्य मन्त्री को बधाई देते। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मलेरिया का भी उन्मूलन हम लोग कर देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तो बधाई ही ले लें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश कर रहे हैं कि मलेरिया का भी उन्मूलन हो जाये।

समिति का प्रतिवेदन
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन श्री शोभाराम !

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1976-77 के पांचवे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक । श्री चन्दन मल वैद ।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन को अनुमति है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री ओंकारलाल चौहान : इसको भी पारित करवा दें, साहब । यह भी पारित फर्मा दें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें माननीय सदस्यों के अमेन्डमेंट्स हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अमेन्डमेन्ट्स कोई पेश नहीं कर रहे हैं, साहब ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव!

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे ।

(12.45 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है उस विधेयक में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिया है उसमें लिखा है कि इसके बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन जो इश्यू हुआ था वह 6-3-1965 को हुआ था। उसमें लिखा था कि ड्रग्स एण्ड मेडिसन पर टैक्स चार पर्सेन्ट लगेगा। इसके बाद में इन दी ईयर 1969 एक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था उसमें विधेयक के स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह दिया था कि ड्रग्स और मेडिसन पर 6 पर्सेन्ट टैक्स लगाया गया है। उसके बाद में उसी साल वह टैक्स बढ़ाकर सात पर्सेन्ट किया गया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जब आपने सन् 1965 में चार पर्सेन्ट टैक्स लगाया, उसके बाद में आपने 6 पर्सेन्ट 1969 के साल से बढ़ा दिया टैक्स और बाद में आपने सात पर्सेन्ट टैक्स उसी साल से कर दिया। तो क्या राज्य सरकार के यह बात ध्यान में उसी वक्त नहीं आ गयी थी कि इसको 6 पर्सेन्ट न रख कर मेडिसन और ड्रग्स पर सात पर्सेन्ट टैक्स रखा जाय? और अब आप इसको सात पर्सेन्ट करके सदन में लेकर आये हैं। राज्य सरकार सन् 69 से लेकर 76 तक क्या करती रही? हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी बहुत ही योग्य मन्त्री हैं इनके पहले जो मन्त्री थे वह भी बहुत योग्य मन्त्री थे....

श्री चन्दनमल बैद : और बाद में जो स्वास्थ्य मन्त्री आयेंगे वह और भी बहुत योग्य होंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं तो आपको योग्य ही मानकर चलता हूं। लेकिन आपको इस विधेयक को ऑर्डिनेन्स के जरिये लाने की क्या आवश्यकता थी आपको लगातार दस साल लग गये सोचने के अन्दर और अब आपने यह निर्णय लिया कि सात पर्सेन्ट से वसूली ड्रग्स पर की जानी चाहिये। जब यह विधेयक पास हुआ था उसी वक्त क्यों नहीं ध्यान में आया? क्या आपको इस त्रुटि का पता उस वक्त नहीं लगा और अब आपको इस त्रुटि का पता लगा? खैर, अच्छा हुआ आपको अपनी त्रुटि का पता लग गया और अब आप इसमें सुधार करने जा रहे हैं। तो मेरा इसमें यह भी निवेदन है कि जिन अधिकारियों की वजह से यह त्रुटि रह गई है उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? क्या आपने किसी पर जिम्मेदारी रखी है? क्या आपके डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों की वजह से यह समय लगा या लॉ डिपार्टमेंट में यह इतने अर्से तक पड़ा रहा? इस सम्बन्ध में आपको जांच करके एक्शन उन अधिकारियों के खिलाफ लेना चाहिये जिनकी वजह से यह सारी डिले हुई। किसी की कहीं न कहीं तो त्रुटि रही होगी। यह बात आपके नोटिस में कौन नहीं लाया, आपका डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट वाले? क्योंकि अभी सदन में सेल्स टैक्स के बारे में एक बिल पास किया गया है उसमें आपको एमेन्डमेन्ट्स करने पड़े हैं। कई बार आप ऑर्डिनेन्स ले आते हैं तो इस प्रकार से छोटे छोटे एमेन्डमेन्ट्स लाते हैं, और पीस मील में आप बिल पास करवाते हैं। तो आप क्यों नहीं पहले ही पूरी तरह से विचार करके बिल पास करवायें? अन्यथा आप ऑर्डिनेन्स जारी करवा देते हैं फिर सदन में उसको पास करवा देते हैं। इससे राज्य सरकार का डबल खर्चा होता है। साथ ही साथ विधान सभा का मूल्यवान समय भी खो देना पड़ता है। इसलिए मेरा

(55)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

निवेदन यह है कि आपको पहले ही जो बिल आप लावें उसको ठीक तरह से एग्जामिन करके लाना चाहिये ताकि उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे। जब इतना विलम्ब ही हो गया था तो इसको और अच्छी तरह से एग्जामिन करें तो अच्छा रहे। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये जो कि इसमें जो भी और कोई संशोधन करना हो उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करके एक बिल सदन में पेश करे। अब आपने इसमें रिट्रास्पेक्टिव डेट से टैक्सेज वसूल करने के लिए प्रोविजन रखा है तो इसमें लॉ स्यूट्स वगैरह भी चलने की गुंजाइश रह सकती है। तो इस प्रकार की और कोई दिक्कतें नहीं आवें उसके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी ने राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन में पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है और उसमें उन्होंने यह चाहा है कि ड्रग्ज एण्ड फार्मासीयूटिकल्स पर टैक्सेज को बढ़ाया जाय और जो पुरानी बकाया है उसकी वसूली की जाय। इस संबध में राज्य सरकार के विभिन्न वर्षों में आदेश जारी हुए हैं। लेकिन इनमें काफी विरोधाभास होने के कारण राज्य सरकार ने आर्डिनेन्स जारी किया। जो टैक्स पहले चार पर्सेन्ट, बाद में टैक्स 6 पर्सेन्ट थे उसके बाद में सात पर्सेन्ट तक ड्रग्स पर टैक्स वसूल करने के आदेश दिये गये है। जो पहले चार पर्सेन्ट से टैक्स वसूल हो रहे थे वह अब रिट्रास्पेक्टिव डेट्स से आपने सात पर्सेन्ट वसूल करने की बात कही है। इतने सालों तक आपके दिमाग में यह बात नहीं थी कि जिससे आपको यह करना पड़ा? उपाध्यक्ष महोदय, इससे काफी विरोधाभास पैदा हो जाता है। इसी प्रकार आज सदन में एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में भी एक बिल पेश किया गया था। उसमें काफी दिक्कत कानूनी आयी क्योंकि सिनेमा वालों के एडवोकेट्स ने यह कहा कि जो तारीख आपने नोटिफाई कराई थी उसका पब्लिकेशन गजट में हुआ उसमें 15 दिन नहीं मिले। क्योंकि वह गजट में 12 तारीख को ही पब्लिश हुआ था। इसके लिए 15 दिन पहले गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से काफी लेकूनाज रह जाते हैं। यह बात सिर्फ इस एक विभाग की ही नहीं और भी बहुत से विभाग हैं जिनमें कई लेकूनाज रह जाते हैं और यहां पर फिर अमेन्डेड बिल आते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इसको पहले ही ठीक तरह से एग्जामिन क्यों नहीं किया जाता? अब आप यह बिल लेकर आये हैं और सात पर्सेन्ट का टैक्स वसूल कर रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिव डेट्स से। दवाई, उपाध्यक्ष महोदय, आम आदमी की एक जरूरत की चीज है। आप इस सदन में कई बिल लेकर आये हमने पहले भी कहा कि आप चाहे जितने टैक्सेज लगाकर बिल लायें लेकिन वह टैक्स होने चाहिये लग्जुरियस कॉमोडिटीज पर। टैक्सेज के बारे में हमने स्वीकार किया है। इस सदन में इस प्रकार के लग्जुरियस कॉमोडीटीज पर टैक्सेशन लाये इसको कुल हमने कोई नुक्ताचीनी नहीं की। आप इस सदन में रेफ्रिजरेटर्स पर टैक्स लगायें

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

और जो लग्जुरियस कॉस्मेटिक्स हैं उन पर आप टैक्स लगाइये, पैट्रोल पर लगायें। खैर, रेफ्रिजरेटर्स पर तो आपने टैक्स में यह कह कर कमी कर दी कि रेफ्रिजरेटर्स पर अधिक टैक्स लगने के कारण हमारे यहां उनके मार्केट में कमी आती है! खैर वह आपकी कमजोरी है। कॉस्मेटिक्स पर टैक्सेज बढ़ायें और अधिक टैक्सेज बढ़ायें तो इसमें सदन को कोई एतराज नहीं था और न ही कभी एतराज होगा। यह सदन आपको उत्साहित ही करता रहेगा। अगर आपने एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की दरें ऊपर की क्लासेज पर बढ़ायी तो हमने आपका इस सदन में स्वागत ही किया। लेकिन मेडिसन पर, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मुझे याद है 65 में भी मैं सदस्य था जब भी टैक्स लगाया था उसको बाद में रिजेक्ट किया है और इस बात का खेद व्यक्त किया है कि कॉमन आदमी को मेडिसन मंहगी न मिले। बकाया राशि अगर आपकी किसी तरह रह गई है, उसके लिये कोई आॅर्डर्स में कमी है तो यह सदन पूरी तरह वित्त मंत्री जी के साथ सहमत है। कोई आॅर्डर्स ऐसे रह गये हो जो प्रॉपर टाइम पर जारी नहीं हुए, अगर उन ऑर्डर्स के कारण रिकवरी नहीं होती है तो उसके लिए सदन पूरी तरह साथ है। उस रिकवरी को आप करें लेकिन जो हाई टैक्सेज मेडिसन पर हैं, वह उचित नहीं हैं। कहीं पर भी मेडिसन, चाहे वह मलेरिया के लिये हो, एपेडेमिक के लिए हो जो जन स्वास्थ्य से ताल्लुक रखने वाली हो, कोई भी समाजवादी देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि इनसेक्टिसाइड्स पर टैक्स बढ़े या डिटोल जैसी चीजों पर टैक्स बढ़े जर्म्स को किल करने वाली फार्मेस्यूटिकल है वह टैक्स से फ्री होनी चाहिये। कोई भी देश इस तरह की मेडिसन्स पर टैक्स इन्क्रीज नहीं करता है। अभी हरिद्वार में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा हुई है, जो पहले रूस से मेडिसन आती थी इससे कीमत बहुत कम हुई है। दूसरे सोशलिस्ट कन्ट्री से भी हमारे कई पैक्ट्स हुये हैं, उनसे हम ले रहे हैं लेकिन वेस्ट जर्मनी से जो दवा आ रही है और जो 10 पैसे में आ रही है यहां आकर इसके 3-3 रुपये चार्ज होते हैं। आज सोशलिस्ट कन्ट्री से जो हमारे पेक्ट्स इस सम्बन्ध में हुये हैं उनसे कीमतें रिड्यूज हुई हैं। दूसरे देशों का एक वातावरण है कि मेडिसन्स पर कीमतें कम हों।

मैं समझता हूं इतना हाई पर्सेन्टेज 7 पर्सेन्ट, 8 पर्सेन्ट जो मंत्री महोदय, इनसिस्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं जो रिकवरीज हैं वह सख्ती से वसूल करें। 4 पर्सेन्ट पर यदि वे इस बिल को लाते या पुरानी रिकवरी के बारे क्लॉज इन्कल्यूड करते तो मैं समझता हूं, वह उचित होता। मेरा निवेदन है इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया!

वित्त मन्त्री जी!

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई विशेष नहीं कहना है। जो बाड़मेर से आने वाले

(श्री चन्दनमल बैद)

माननीय सदस्य हैं और जो सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनको मेरा इतना ही निवेदन है कि जो पिछली रिकवरीज हैं उनको ही वसूल करने का है जो कि होलसेलरों ने रिटेलरों से और रिटेलरों ने जनता से 6 पर्सेन्ट, सात पर्सेन्ट वसूल कर लिया है तो यह उचित नहीं है कि यह राशि उनके पास रहने दी जाय। अब तक इसलिए प्रावधान नहीं किया गया था कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। हम नहीं चाहते थे कि कोई टेक्निकल डिफिकल्टी रह जाय। जो होलसेलरों ने रिटेलरों से और रिटेलरों ने जनता से वसूल कर लिया वह किसी कारण उनके पास रह जाय, यह नहीं चाहते हैं। जो सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनका कहना है कि चार पर्सेन्ट टैक्स कर देना चाहिए, उनकी बात को तो नहीं मानता लेकिन मैंने 5 पर्सेन्ट कर दिया है। अब तो मैं समझता हूं इस बिल को होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे।

एक माननीय सदस्य : 1 पर्सेन्ट का झगड़ा है।

एक माननीय सदस्य : वह तो अमेरिका और रूस में रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(बोलना नहीं चाहते)

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 8 व 19 का उपस्थापन

अनुपूरक अनुदानों की मांगे, 1976-77 पर विचार

माननीय वित्त मन्त्री जी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,07,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सबको एक साथ कर दें ....

श्री चन्दनमल बेद : दोनों को एक साथ कर दूं···

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,00,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जाय।

मांग संख्या 7 व 19 कटौती प्रस्ताव

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

1. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चरागाहों से अतिक्रमण हटाने में पटवारियों की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

2. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विभिन्न जिलों में पटवारियों के बकाया यात्रा भत्तों के भुगतान में विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में राजकीय कर भवन के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिए)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़):

4. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में मनीलेण्डर्स एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना का रोकने में असफलता के कारणों पर चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (राजस्थान मनीलैण्डर्स एक्ट को लागू करने में राज्य सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरी भूमि की अधिकतम सीमा योजना को कार्यान्वित करने हेतु कुछ नवीन पदों के सृजन के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 304--अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान मनीलेण्डर्स एक्ट के अन्तर्गत कतिपय नवीन पदों के सृजन के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायसिंहनगर पंचायत समिति में पटवारियों के पास रोकड़ तक न होने के बावजूद सख्ती से वसूलियां किए जाने पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 229--भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (425 पटवारियों के नवीन सृजित पदों की पंचायत समिति की बकाया राशि की वसूली के लिए उपयोगिता पर चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नए कर भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नए कर भवनों के निर्माण में व्याप्त अनियमिततायें और भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 8 व 19 पर विचार एवं उनका पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

Do you want to say something?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : No !

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, जो भू-राजस्व के लिये राशि चाही गई है और समान आर्थिक सेवाओं के लिये चाही गई है, उस सम्बंध में मैंने अलग अलग से कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। दो कटौती प्रस्ताव तो मैंने भू-राजस्व के सम्बन्ध में दिये हैं। इसमें विशेष रूप से राशि चाही गई है पटवारियों के लिये, उनके बकाया भुगतान के लिये और अन्य भुगतान के लिये। वसूली के सम्बध में जो राजस्व की वसूलियां बकाया हैं उसके लिये अब अधिक पटवारियों आवश्यकता है और करीब 400 पटवारियों के नाम माननीय मन्त्री महोदय ने कहे हैं और उनके यात्रा भत्तों के संबंध में राशि की मांग की है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये तो माननीय वित्त मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि राजस्थान के अन्दर वसूलियां काफी सख्ती से की गई हैं और काफी विस्तृत रूप से का गई हैं। अब वे एक नये सेट-अप के लिए, 425 पटवारियों के नवीन सृजित पदों के लिये राशि चाहते हैं, वह करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि अपेक्षित है। मैं इस सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि वसूलियां बहुत आवश्यक हैं लेकिन वसूली का एक समय भी है। राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर 50 गुना तावान लगाया गया है—एन्क्रोचमेंट पर और 50 लाख की अधिक वसूली की है। यह वसूली बड़े-बड़े भू-पतियों से होती, जिन लोगों ने सरकारी जमीन दबा रखी है, उन लोगों से होती और उन लोगों से भी हुई है—सबसे हुई है यह बात नहीं है कि नहीं हुई है लेकिन आज भी झुंझुनू जिले मे भू- राजस्व की वसूली बिड़ला के विरुद्ध 50 लाख से अधिक बकाया है। आज भी बिजली की वसूली 30 लाख की बिड़ला में बकाया है पिलानी के अन्दर। लेकिन राजस्थान नहर क्षेत्र में किसानों को रिजर्व प्राइस पर जमीनें दी गयी थीं, उसकी किश्त की वसूली, आबयाने की वसूली जब किसान की फसल बाजार में आये तब की जाय इस सिद्धान्त को सदन ने स्वीकार किया है। जब किसानों

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

फसल निकाल लेता है उस समय वसूली की जाय तो इससे कोई इन्कार नहीं करता और न ही करना चाहिये। आपको राज्य चलाना है और वसूली भी करनी है। करिये। कोई इन्कार नहीं करता। लेकिन किसान जब बिजायी कर रहा है, उसके पास और कोई साधन नहीं हैं, तब आप वसूलियां कर रहे हैं। तहसीलदार जाय, पटवारी जाय और किसान की पगड़ियां नीलाम कर रहे हैं। किसान चने का बीज खेत में डाल रहा है उस समय उसके बैल छीन कर ले आयें। यह वसूलियों का कौनसा तरीका है जिसके लिये अतिरिक्त धन राशि स्वीकृत करवाना चाहते हैं? राजस्थान कैनाल के एक तहसीलदार व्यास ने एक गरीब किसान की पगड़ी सरे बाजार में फेंक दी। एक ही तहसील का यह मसला नहीं है यह आठ तहसीलों का मसला है। किसान के ऊंट और बैल लाकर तहसील हैडक्वार्टर पर बांध दिये। किसान अपनी फसल बाजार में ले आये उस वक्त वसूली करें तो बात समझ में आ सकती है लेकिन जब किसान बिजायी कर रहा है और उसकी वसूली देने की कोई हिम्मत नहीं है और न ही उसके पास कोई धन राशि है उस समय आप उसके बैल ऊंट लाकर बाध देते है यह कौनसा राष्ट्र का हित कर रहे हैं? राजस्थान नहर में स्थिति बहुत कठिन हो गयी है। वित्त मन्त्री जी ने रिजर्व प्राइस पर जमीनें अलॉट की हैं चूरू, नागौर, जोधपुर में, इसका किसानों पर बहुत बड़ा असर हुआ है। गंगानगर के किसानों को अलॉटमेंट हो चुका है और वहां पर वित्त मन्त्री जी 75 पर्सेन्ट से अधिक रिजर्व प्राइस वसूल नहीं कर सकते थे। चूरू में आठ दस हजार व्यक्ति सक्षम हैं लेकिन 3 हजार की किश्त के बजाय पांच साढ़े पांच हजार एडवांस करने की बात आयी तो चूरू के 100 से अधिक किसानों ने नहीं लिये। उन्होंने पट्टे नहीं लिए क्योंकि रिजर्व प्राइस का लिमिट बढ़ा दी थी।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन पटवारियों की फौज के लिए वित्त मन्त्री जी को राशि चाहिए उनके वेतन और भत्तों के लिये राशि चाहिये। राजस्व की वसूली करना चाहते हैं तो राजस्व की वसूलियां कीजिये। लेकिन पटवारियों की फौज को बढ़ायें तो समाज का सबसे बड़ा शत्रु ही पटवारी है। नहरी क्षेत्र में कितने पटवारी हैं। इरिगेशन के लिये पटवारी, रेवेन्यू के लिये पटवारी। फसलाने का अलग और रेवेन्यू का अलग। इरिगेशन का पटवारी। आबियाने की वसूली के लिये रात दिन तंग करते हैं। तावान लगाते हैं। जनता में भी मैंने कहा है। समाज में सबसे बड़े शत्रु हैं तो दो ही हैं—एक पटवारी और दूसरा थानेदार। इससे अधिक कठोर शब्द नहीं हैं। वसूलियां करनी चाहिये। लेकिन कम से कम, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को तो मद्देनजर रखना चाहिये कि किससे किस समय क्या वसूली कर रहे हैं। बांगड़ साहब में बकाया हो, वसूलियां नहीं, मालपानी में बकाया हो वसूलियां नहीं, राजदादी जोधपुर में बकाया हो, वसूली नहीं लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो जमीन का आवंटन किया तो जैसा कि बताया गया है लोगों से 50 लाख वसूल किये हैं। इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

दूसरा मनीलैण्डर्स के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिया है, 2 लाख 50 हजार की

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

राशि माननीय मंत्री महोदय ने चाही है और इसमें कुछ भवन निर्माण आदि की भी बात है। इसी से सम्बन्धित मनी-लेंडर्स एक्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज भी बिना लाइसेन्स अनेक मनीलेंडर्स हैं जिन्होंने लोगों का कर्जा दिया है, किसी कोर्ट में मामला चल नहीं सकता है कानून के प्रावधानों के मुताबिक वे मनीलेंडर्स आज भी दूसरे तरीकों से, काम्प्रशन से, दबाव यूज करके, जान का खतरा बता कर, चोरी का मुकदमा बना कर, डकैती का मुकदमा बना कर, पिस्तौल बरामद करा कर, शराब बरामद करवा कर, किसानों से कर्जों की वसूली कर रहे हैं। उनके पास लाइसेन्सेज नहीं हैं फिर भी जो उन्होंने कर्जे दिये थे वे उसकी वसूलियां कर रहे हैं। लाइसेन्स लिये जिन्होंने उनकी संख्या 1 हजार से अधिक नहीं है। और 15 हजार की आबादी में सैकड़ों ऐसे मनी लेण्डर्स हैं, ऐसे धन्ना सेठ हैं जिन्होंने बिना लाइसेन्स होते हुए भी कर्जे दिये और झूठे कर्जे बना कर भी वसूलियां कर रहे हैं। ऐसे मनी लेण्डर्स के खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधानों का उपयोग करना चाहिये। विशेष तौर पर जिला अधिकारियों का कर्तव्य होता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे मनी लेण्डर्स के खिलाफ कठोर कदम उठाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 304 के अन्तर्गत कुछ कटौती प्रस्ताव और दिये हैं। इस पर भी काफी बड़ी राशि अपेक्षित है।

श्री उपाध्यक्ष : I think you have finished.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंचायत समितियों की वसूलियों के सम्बन्ध में दो प्रस्तावों पर विशेष रूप से बोलना चाहूंगा। एक तो मैं रायसिंहनगर पंचायत समिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 55 और 54 की राशि रायसिंहनगर पंचायत समिति वसूल कर रही है लेकिन सात साल से पंचायत समिति रायसिंहनगर के पास कैश बुक नहीं थी, रोकड़ नहीं थी। कोई अकाउन्ट नहीं था। 7 साल से कैश बुक नहीं लिखा। ऑडिटर्स आये और गये। सात साल तक उन्होंने ऑडिट नहीं कराया। ऑडिटर्स ने एक्ट के अन्तर्गत कलेक्टर को कहा लेकिन पंचायत समिति का ऑडिट नहीं हुआ। ट्रेजरार 60 हजार रुपया लेकर भाग गया। जेल में बयान दे रहा है कि बी. डी. ओ. और प्रधान पद पर पदासीन है। उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर को लिखा, एफ. आई. आर. के लिये लिखा। उनको उसने हिस्सेदार बताया लेकिन अभी तक उनको उस पद पर बिठाये रखा है।

प्रधान जी स्वयं फिर रहे हैं एस. डी. एम. का ट्रान्सफर करवाने के लिए जो सख्ती से बीस सूत्री कार्यक्रम लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। उसका ट्रान्सफर करवाने में लगे हुए हैं जिसने प्रधान जी की जमीन सीलिंग में ले ली, जिसने प्रधान के एम्बेजलमेन्ट के लिए लिखा और आज तक उन प्रधान जी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी पंचायत समितियों की वसूलियां आप क्या कीजिएगा।

जिस गांव में कोई नहर ही नहीं पहुंची उस गांव के अन्दर खाद की बोरियां निकल रही हैं। जिस गरीब किसान के

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

पास जमीन ही नहीं है आज से दस साल पहले उस किसान के नाम से खाद की बोरी निकल रही है, बीज निकल रहा है। वह बीज कहां डालता था जब कि उसके पास कोई जमीन ही नहीं थी। आज 80 प्रतिशत वसूलियों के अन्दर लोग चिल्ला रहे हैं। कोई हैण्ड राइटिंग एक्सपर्ट लाकर बैठाइये। जहां वसूलियां हो रही हैं वहां लोग कह रहे हैं कि हमारे सारे अंगूठे जाली हैं, फर्जी हैं। किसी प्रधान ने, किसी सरपंच ने और किन्हीं विशिष्ट लोगों ने यह रकम ली है लेकिन यह रकम आप उनसे वसूल कर रहे हैं।

मैं इसके साथ ही साथ यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक डिटेल्ड इन्क्वॉयरी रायसिहनगर पंचायत समिति की की जाये। यह मैंने कटमोशन के रूप में इस सदन के अन्दर रखा है।

इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मै इतना ही अर्ज करूंगा कि पटवारियों से कम से कम आप किसान को और इस समाज को तो बचायें। दो पटवारी तो आपने हमारे नहरी इलाके में हमारी छाती पर बैठा ही दिये और उनकी संख्या 425 बढ़ा कर किसान का और इस समाज का खून चूसने के लिये आपने उनको बैठा दिया है। यह सारा का सारा रेवेन्यू सिस्टम राजा टोडरमल के जमाने का है। यह अमीन, यह सरिश्तेदार, यह पटवारी और उस समय के यह मालखाने, आबयाने आज तक चले आ रहे हैं। आप पुराने फ्यूडल सिस्टम को तो तोड़ रहे हैं और नये सिस्टम को ला रहे हैं तो क्या आप पुराने जमाने के पटवारी हमारी छाती पर कील की तरह ठोक कर रखना चाहते हैं ताकि वह हमारा खून पीते रहें? बस मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को एक भाषण देना था उन्होंने दे दिया। मैं उनकी तारीफ करता हूं लेकिन जो मांग मैंने पेश की है उसका उनके भाषण से बहुत कम संबध है। मैंने तो केवल यही पेश किया है कि पंचायत समितियों की जो वसूलियां इसलिए नहीं हो रही है कि पटवारियों की कमी हो गयी है इसलिए कुछ पटवारियों के पदों का सृजन करके वसूलियों को ठीक तरह से वसूल किया जा सके इसके लिए मैंने पेश की है यह मांग। दूसरे यह जो कहा कि पटवारी इतने वर्ष पुराने हैं और राजा टोडरमल के समय से चले आ रहे हैं, उनको रखा जाये या नहीं रखा जाये, इसके लिए माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव नहीं दिये। आखिर राज्य की जो रकम होगी उसके लिए चाहे वह पटवारी हो या सी. टी. ओ. हो या ए. सी. टी. ओ. हो कोई न कोई तो होगा ही। अगर आप चाहते हैं कि पटवारी न होकर दूसरे अधिकारी हों तो माननीय सदस्य इसके लिए कोई प्रस्ताव रखते...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्रामसेवक को कीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिए उन्होंने कोई प्रस्ताव तो रखा नहीं, कोई सुझाव तो दिया नहीं जिसके ऊपर विचार किया

(श्री चन्दनमल बैद)

जाता। वसूलियां नहीं की जायें और सारे अधिकारियों को छोड़ दिया जाये और किसी से वसूलियां करने का काम नहीं लिया जाये तो यह काम तो मुश्किल है। वसूलियों में तकलीफ तो होती ही है। मुझसे जायज चीज मांगी जाती है तो भी उसे देने में मुझे तकलीफ होती है। इसलिए पटवारी चाहे गड़बड़ करता हो या नहीं करता हो, गलती करता हो या नहीं करता हो उसको दोष देना वाजिब हो जाता है। हमारे सेल्स टैक्स के जितने भी अधिकारी हैं जो पैसा वसूल करते हैं उनके ऊपर व्यापारी लोग भी यही चार्ज लगाते हैं कि यह बहुत गलत लोग हैं, बड़ी गड़बड़ी करते हैं। लेकिन पैसा तो वसूल करना ही है। अगर उसमें कोई खराबी हो, परेशानी हो तो उसको दूर करना चाहिए लेकिन सारा सिस्टम क्योंकि पुराना सिस्टम है इसलिए उसको छोड़ दें और नये सिस्टम को अपना लें तो यह सही चीज नहीं होगी। तो मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि सन् 1970-71 की जो पंचायत समितियों की मांग थी वह 6 करोड़ 43 लाख की थी उसमें से केवल 95 लाख की वसूली ही कर पाये हैं। 1971-72 में हमारी मांग 10 करोड़ 76 लाख 72 हजार की थी और उसमें से 65 लाख 77 हजार ही वसूल कर पाये हैं। 1972-73 में हमारी मांग थी 8 करोड़ 14 लाख 44 हजार की उसमें से 33 लाख 13 हजार वसूल कर पाये हैं। 1973-74 में 2 करोड़ 18 लाख 82 हजार की मांग थी उसमें से 1 करोड़ 14 लाख 84 हजार ही वसूल कर पाये हैं। पंचायत समितियों के मार्फत चाहे बीज के लिए या कुए खोदने के लिए या डेयरी फार्म के लिए ऋण दिये हैं उनकी वसूलियां अगर नहीं करेंगे तो आज गरीब लोग यह चाहते हैं कि हमको भी सरकार की तरफ से ऋण मिले और हम भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें तो फिर वसूलियां नहीं हों तो यह कैसे सम्भव होगा? हमारा काम तो तभी चलेगा जब कि एक आदमी को ऋण दें और वह अपने विकास और प्रगति का काम करे और ऋण को वापिस दे जिससे हम दूसरे आदमियों को भी ऋण दे सकें। तो यह स्थिति हम देखें। इस बारे में राजस्व विभाग से बातचीत की तो मालूम पड़ा कि राजस्व विभाग की समस्या यह है कि उनके पास पटवारियों के पद कम हैं इसलिए वसूलियां पूरी मुस्तैदी के साथ नहीं हो रही हैं। इसलिए यह तय किया गया कि पटवारियों के पद एक हजार बढ़ा दिये जायें जिससे वसूलियां हो सकें।

एक बात माननीय सदस्य ने कही कि आज भी वसूलियां हो रही हैं। शायद उनको मालूम नहीं कि राजस्व की सारी वसूलियां आज बन्द का हुई हैं और ऐसे आदेश सरकार के निकले हुए हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन हो रही हैं राजस्थान केनाल क्षेत्र में।

श्री चन्दनमल बैद : हो रही हैं तो आपको शिकायत करनी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने निवेदन कर दिया है। इस सदन से पवित्र स्थान और कौन सा हो सकता है जहां मैं शिकायत कर सकता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप स्पेसिफिक इन्सटान्स दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चकसाना तहसील में हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : सारे राजस्थान में आदेश निकले हुए हैं और राजस्व की सारी वसूलियां बन्द हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चकसाना, अनूपगढ़ विजयनगर, सूरतगढ़ 1, 2, 3 इन पांच तहसीलों में वसूलियां हो रही हैं और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। छतरगढ़ में हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वसूलियों को बेहतर तरीके से करने के लिए यह किया जा रहा है। जब हमारे पास अधिकारी होंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि किस से सही वसूलियां हो रही हैं। जैसी कि अभी मलेरिया के बारे में बात थी तो 2,500 सर्वेलेन्स अधिकारी हैं उनसे काम नहीं चलता तो उसके लिए और अधिकारी बढ़ाये जायें। अब कोई कहे कि हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए बढ़ाये जा रहे हैं तो यह कहना उचित नहीं होगा। अगर बढ़ाने हैं तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। इसी तरह से मनीलेन्डर्स एक्ट के लिए शहरी भूमि की हद तय की है उससे ज्यादा कितनी है कितनी नहीं उसको भी तो कोई देखेगा ही। तो यह कन्टीन्जेन्सी फण्ड से कोप-अप करने के लिए यह मांग आपके सामने रखी है। मैं समझता हूं कि इन मांगों को सदन को स्वीकार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,07,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 40,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान को शेष मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में

(श्री उपाध्यक्ष)
31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई !

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 लाख 40 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5 लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8 लाख 61 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है की अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21 लाख 75 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14 लाख 90 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री उपाध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को 10 लाख 54 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 56 लाख 5 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 लाख 87 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15 लाख 50 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16 लाख 34 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15 लाख रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16 लाख 64 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मन्त्री महोदय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग

(श्री चन्दनमल बैद)
(संख्या 5) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 63 लाख 45 हजार रुपये चाहे गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, विगत अधिवेशन के बाद से लेकर आज तक जिस प्रकार की राज्य व्यवस्था हमारे प्रान्त में रही है, उसके कुछ विभागों के लिए इतनी राशि मांगी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसायटी कायम करने का नारा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा हर कार्य, कदम पूंजीवाद को बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है। प्रान्त का जो अवाम है, जो किसान है, जो मजदूर है, बीच का आदमी है, उसके ऊपर हर तरह से बोझा बढ़ता जा रहा है। उनकी जिन्दगी को रंगीन बनाने के लिए कोई कदम उन से नहीं उठाये जा रहे हैं। जो कदम उठाये जाते हैं, उनके अन्दर खामियां रह जाती हैं उन खामियों को दूर करने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी एक एडजोर्नमेंट मोशन के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि परिवार नियोजन एक अहमियत रखने वाला योजना आज देश के सामने है, उसके क्रियान्वयन के अन्दर कुछ दिक्कत आ रही है। कुछ गड़बड़ियां इस कार्य में हो रही हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिये। कुछ इन्सीडेन्स, कुछ उदाहरण मैं यहां पर पेश करना चाहता था कि इस देश के लिए जो जरूरी काम है, उसके अन्दर किस प्रकार की जबर्दस्तियां की जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, देश की जनसंख्या बहुत भयंकर तरीके से, बहुतायत से बढ़ रही है उसको रोका जाना चाहिये। परिवार सीमित होने चाहिये इसके लिए हर आदमी की कोशिश होनी चाहिये। परिवार की कोई न कोई एक सीमा होनी चाहिये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस जरूरी समस्या को आगे बढ़ाने में जो गलतियां हो रही हैं उनका हम परिमार्जन नहीं करना चाहते हैं, उनको हम दूर नहीं करना चाहते हैं। जगह जगह पर ये जबर्दस्तियां हो रही हैं। परिवार नियोजन के मुतल्लिक मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा था कि जबर्दस्तियां किये जाते

(श्री मोहरसिंह)

से यह काम नहीं हो सकता। वास्तव में जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए लोगों को समझाया जाना चाहिये परन्तु बजाय इसके उन लोगों को धमकाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में कोई बात कह कर मैं इस सदन का कीमती समय खर्च नहीं करना चाहता परन्तु यह बात बताये बिना भी नहीं रहूंगा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है, यह आवश्यक समस्या है परन्तु कमी है, लेकूना है इसके अन्दर। उसको हम लोगों को समझावें, उनको प्रोत्साहित करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से यह काम चल सकता है। मेरे पास कल ही एक शिकायत पहुंची थी लिखित में, सीरी ग्राम का कोई किसान है प्रतापसिंह किस तरह से तहसीलदार और पटवारी ने उसके साथ ज्यादती बरती है। जैसा कि अभी पटवारी के लिए हाण्डा साहब बता रहे थे कि उनकी नसबन्दी जबरदस्ती करा देते हैं जिनसे तहसीलदार और पटवारी की रंजिश होती है। इस मामले में कई तरह से ज्यादती बरतते हैं। तो उस प्रतापसिंह नाम के किसान को चक्कर में ले लिया कि इसकी नसबन्दी करवानी है। वह बुलवाया गया, दो-तीन आदमी उसके साथ मे थे, और बुलाकर कहा गया कि तेरी नसबन्दी करनी है। उसने कहा कि मैं इस काम के लिए 15 दिन के अन्दर अन्दर आ जाऊंगा। मेरा काम हो जाने दो। दो आदमी और उसके साथ थे वह भी उनको मनाते हैं कि इसको 15 दिन की छुट्टी दे दो। इसके खेत में हल खड़ा है और ऊंट खड़ा है। इस का खेत खाली रह जायगा क्योंकि इसके पास कोई दूसरा आदमी काम करने वाला नहीं है। लेकिन जबरदस्ती डॉक्टर के पास उसको ले जाकर नसबन्दी कराने लगे। वह गिड़-गिड़ाया कि मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दो। दो आदमी उसके साथ में थे वह भी कहने लगे तो तहसीलदार माना और उसको 15 दिन की छुट्टी दी। इस दरम्यान उसकी जमानत हुई। जो दो आदमी उसके साथ थे उनको भी पकड़ कर ले गये और उनकी भी नौ दिन के बाद में जमानत हुई। मैं कहना चाहता हूं कि यह क्या दशा है? इसी तरह से कई गांवों का किस्सा है। एक बेलाना का किस्सा है, एक आदमी ने अभी शादी की और उसका मुकलावा भी नहीं हुआ कि उसको पकड़कर ले गये। इस तरह से जबरदस्ती मत करो। एक नहीं बीसों मैं ऐसे किस्से बतला सकता हूं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह समस्या हमारे यहां बड़ी जबरदस्त है, लेकिन यह जानने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश की आबादी इस तरह से क्यों बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है? इसके कारण को ढूंढना चाहिए। गरीब तबके की ज्यादा आबादी मिलेगी। जहां पर गरीबों की बस्तियां हैं उस जगह पर आपको ज्यादा पैदाइश मिलेगी, अनएजूकेटेड की ज्यादा आबादी मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वे बेरोजगार हैं और उनके पास एन्जोयमेंट के और कोई साधन नहीं हैं। इसी काम में वे ज्यादा मशगूल रहते है, दो बच्चे, पांच बच्चे और ज्यादा बच्चों की वे पैदावार बढ़ाते चले जाते हैं। इस कारण को भी हमें सोचना चाहिये। नसबन्दी का एक किस्सा अभी मन्त्री महोदय बता रहे थे। मैं इसके साथ में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात को भी महसूस करें कि जो बेकार

(श्री मोहरसिंह)

लोग बैठे हैं, अनएजूकेटेड हैं उनके अन्दर यह समस्या ज्यादा फैली हुई है और ज्यादा फैल रही है। इसलिए एक ही चीज क्यों न लागू कर दें। हम सब मिलकर इस बात की कोशिश करें। मैंने बार-बार सरकार को सतर्क किया है। सरकार इस बारे में कहती है कि हमने नसबन्दी का टार्गेट पूरा कर लिया है। राजस्थान में साढ़े तीन लाख का टार्गेट है तो राजस्थान सरकार साढ़े तीन लाख आदमियों को रोजगार उपलब्ध करा दे और फिर मिलान करके देखे। इसके साथ ही साथ रोजगार मुहैया कराये और उसके बाद में देखे कि प्रान्त का नक्शा कितना बदलता है।

मैं कहना चाहता हूं कि एक यही समस्या नहीं है। इसके साथ-साथ रेवेन्यू की समस्या है, सिंचाई की समस्या है। आप सिंचाई के मामलों को जाकर देखें तो वहां पर कितनी समस्यायें हैं। किसानों को हर प्रकार से परेशान किया जा रहा है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि राजस्थान ने अन्य प्रान्तों की अपेक्षा जमीनों का अलॉटमेंट ज्यादा किया है, रिहायशी भू-खण्डों का ज्यादा अलॉटमेंट किया है, लेकिन इसके साथ-साथ जो दिक्कतें हमारे सामने पेश आई हैं उनको पूरा करना चाहिये। कल का ही किस्सा है रायसिंह-नगर का कि 1952-53 से जमीनें उनके पिता के पास थीं और वे अलहदा होकर उन जमीनों को जोत रहे थे तो उनसे आज यह पूछा जा रहा है कि तुम साबित करो कि यह जमीनें तुमको मिली थीं। वे बेचारे कर नहीं पाये तो उनकी जमीनों से उतार दिया। उन्होंने तहसील में दरख्वास्तें दीं कि हमें जमीनों से नहीं उतारा जाय। आपका यह नारा है, 'जमीन किसकी जो बोये उसकी'। आप यह मानते हैं तो इसको मानकर कोशिश करनी चाहिए। कौन से कानून से हम उन्हें जमीनों से उतारें ? ऐसे कई चरागाह की जमीन वालों को बेदखल किया गया है तो उनके बाद में जिन नये काश्तकारों को जमीनें एलॉट की गई हैं क्या वह उन्हें जोतने देंगे ? यह तथ्य है। इस पर विचार करना चाहिए। कानून से जो एलॉट हो सकती हैं, उनको अलहदा करें। मैं यह मानता हूं कि कानून बड़ा नहीं है इन्सान बड़ा है। हम कानून बनाने वाले हैं। तो इस तरह से, किसानों को अलहदा किया जा रहा है। रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय, जो कि किसान के बेटे हैं, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि इस प्रकार से 50 हजार बीघा जमीन किसानों के हाथ से चली जायगी तो उस इलाके के किसानों पर क्या बीतेगी ? मैं यह मानता हूं कि वहां पर भूमिहीन किसानों को भूमि दी जाय। राजस्थान कैनाल एरिया में लाखों बीघा जमीन पड़ी हुई है उनका जमीन वहां पर दी जा सकती है। उनको जहां पर जमीन दी गई है उनकी हालत रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को मालूम है। चूरू जिले में, नागौर और जोधपुर के जिलों में किसानों को जमीनें जो दी गई हैं उसको खुद ने जाकर देखा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के टेल पर जाकर देखें कि वहां पर चार-चार वर्ष से पानी पहुंचने का नाम नहीं है। इस तरह से 50 हजार बीघा किसानों को जमीन धोरों में दी गई है। इन चीजों को हम देखेंगे तो मालूम होगा कि लोगों ने गलतियां की हैं तो उनको हमें मानना चाहिए। मेरा काम केवल विरोध करना ही नहीं है। असलियत

(श्री मोहरसिंह)

को बतलाना भी मेरा काम है। मैं किसानों और मजदूरों के लिए लड़ने वाला हूं तो इस तरह से जो मजदूर और किसान वहां पर बैठे हुए हैं उनसे इन्डिविजुअली मेरा विरोध नहीं हो सकता है, उनके साथ मेरी शत्रुता नहीं हो सकती है।

जिस प्रकार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है उसी प्रकार से सिंचाई विभाग में दिक्कतें, हैं। किसान टयूब वैल की सिंचाई दरों से परेशान हो चुके हैं। वे कुओं से ट्यूबवैल की टूटियों को बाहर निकाल कर फैंक देना चाहते हैं। बिजली का खर्चा ज्यादा है। उनको तरह तरह की परेशानी है। हर तरह से उस इलाके की बड़ी समस्याएं हैं। वहां पर सड़कों का कहना ही क्या? मन्त्री महोदय से मेरा कहना है कि जिन इलाकों से विरोधी जीत कर आये हैं उनका वे सर्वे करवायें। परसराम जी से कहता हूं, चन्दनमल जी से कहता हूं और माननीय सी. एम. से कहता हूं, वहां जाकर देखें कि क्या हालत है। जनता उनकी शत्रु नहीं है। वहां की जनता भी सड़कें चाहती है, अपना विकास चाहती है, वह नहरें चाहती है, ट्यूबवैल चाहती है यह सुविधा उसको सही ढंग से दी जाय। बिजली वगैरह वे चाहते हैं। वह इलाका रेगिस्तानी इलाका है और वहां पर केवल बाजरे की फसल ही बहुतायत से होती है। उसमें चेपा लग रहा है। मिनिस्टर साहब किसान हृदय हैं और वे जानते हैं कि चेपा लगने से क्या होता है। कृषि मन्त्री हैं वे शायद खेती की बात को नही जानते है और वे नहीं जानते कि चेपे की बीमारी से क्या होता है? उससे किस प्रकार से सिट्टे खराब हो जाते हैं। शराब पीने से तो आदमी थोड़ी देर के लिए ही बेहोश होता है लेकिन उस बाजरे को खाने के बाद वह 12 घन्टों के लिए आराम से खाट पर सोता रहेगा

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग, रेवेन्यू विभाग, सिंचाई विभाग, पी. डब्ल्यू. डी., परिवार नियोजन विभाग इन सभी विभागों में जो त्रुटियां हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए। यह अभी ठीक नहीं है। आपकी जो मांगें है वह स्वीकार कराना चाहें तो करायें क्योंकि बहुमत आपका है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

आप पास करेंगे लेकिन आपको स्थिति को महसूस करना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। देर आयद दुरुस्त आयद। अब भी आप इन इलाकों के किसानों की हालत देखिये। पूंजीपति और जो बड़े-बड़े कारखाने वाले हैं, उनके बजाय जो गरीब किसान और मजदूर हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनके विकास में शक्ति लगेगी तो उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि इतने करोड़ रुपया राज्यपाल महोदय मांगते है वो खुशी से दे दो। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं इसका विरोध करता हूं। किसानों की सही हालत को विकसित करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी!

श्री परसराम मदेरणा : हांडा साहब भी बोलेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ये एक्सेस डिमाण्ड जो पेश हुई हैं.........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सप्लीमेण्ट्री है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड है जो अनेक मदों में चाही गयी है यह विस्तृत क्षेत्र को कवर करती है जिसमें सड़कों और विभिन्न स्कूलों आदि के लिए साढ़े 5 करोड़ की राशि है। जो सप्लीमेण्ट्री डिमाण्ड माननीय वित्त मन्त्री जी चाहते हैं उसके सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सप्लीमेण्ट्री चाहे 10 करोड़ का दे दें लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मद हैं, उनको क्यों नेग्लेक्ट कर दिया गया है। सिंचाई के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज सिंचाई की जो स्थिति है, जो स्थिति गंग नहर की हो रही है, अगर उसकी रिपेयर नहीं की गई तो गंग नहर का नाम निशान रहने वाला नहीं है। अगर उसकी रिपेयर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से यह स्थिति हो जाएगी। लोग केवल इस ऐतिहासिक बात को याद करते रह जाएंगे कि ऐसी कोई नहर थी। इस सदन में मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए बार बार कहा गया है। जिला गंगानगर के अन्दर सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र प्राप्त है। उसे इतना पानी उपलब्ध है कि सिस्टम तैयार नहीं होने से वह पूरे पानी का उपयोग कर सकेगा। उसका फर्स्ट स्टेज पूरा कर लिया है लेकिन जो पानी का उपयोग करना चाहिए वह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ राशि लगाकर अगर सरकार उसको पूर्ण कर दे। आज गांव डूब में आ रहे हैं चाहें वह बड़ोपल गांव है या और जो भी गांव हैं वह डूब में आ गये हैं। कुछ लाख रुपयों से रिपेअर का काम कर दिया जाये फर्स्ट सिस्टम स्टेज पूर्ण होने के बाद भी पानी का उपयोग नहीं हो रहा है वह पानी स्थायी घग्गर नहर में डाइवर्ट कर दें तो भाखरा क्षेत्र में जो 20% इण्टेंसिटी नहीं हुई है, वह वहां पर की जा सकती है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि केवल कुल लाख रुपये देने से एक सिस्टम तैयार हो सकता है। थोड़ी सी राशि खर्च कर दें तो 17 नम्बर और 7 में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता है क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट लागू करें या कंवरसेन कमेटी की रिपोर्ट को कर लें। यह कर लें तो सूरतगढ़ में लाखों एकड़ भूमि सिंचित होगी। थोड़े से रुपये खर्च करके पानी का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ राजस्व का प्रश्न है। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों पर दो तीन गुना नहीं बल्कि चार गुना मार हो रहा। रेवेन्यू रिकार्ड और इरिगेशन रिकार्ड में कोई तालमेल नहीं। राजस्थान सरकार को गर्व है कि जितनी धरती अलॉट हुई है, सबसे अधिक धरती राजस्थान कैनाल में अलॉट हुई है। इसके लिए राजस्थान सरकार को मैं बधाई दूंगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वह भूमि किस प्रकार की है। सबसे अधिक साढ़े चार लाख भूमि किसानों को अलॉट की गई है। अगर उसको निकाल दें तो जैसलमेर के धोरे हैं। बाड़मेर के धोरे हैं। जालौर के हैं। सिंचाई मन्त्री कहते हैं कि ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाते हैं। किसान को जो पट्टा देते हैं, वह तो समतल है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

लेकिन जब वह किसान मौके पर पहुंचता है तो वहां पर टीबे ही टीबे हैं। वहां पर टीबों पर बैठे हैं। मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की थी कि वहां पर करेंगे जहां पर पानी लगता है। लेकिन केवल रिकार्ड में ही पानी लगता है। आज 75% कीमत बढ़ा दी है किसान के बेटे से कहते हैं कि 6 हजार रुपया जमा कर दो। तो आखिर जहां 8-8 वर्ष से पानी नहीं पड़ता है, वह कहां से जमा करायेगा? आप जमान नहीं देना चाहते हैं तो जवाब दे दीजिये। जो अन्य जिले हैं चूरू और जोधपुर उसका कुछ कहना नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

इन जगहों पर रिकार्ड ठीक करने की आवश्यकता है। सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने गंग कैनाल में 15/20 हजार एकड़ धरती के अलॉटमेंट के बारे में कहा था। माननीय सदस्य जो करनपुर से आते हैं, उन्होंने भी यह प्रश्न खड़ा किया था। लेकिन राजस्व मन्त्री महोदय ने सारे आदेश जारी कर दिये थे उनके बारे में इन माननीय सदस्यों का बाद में मालूम हुआ था। 20,30 दिन पहले यह आदेश राजस्व विभाग से जारी हो चुके हैं। वह सारे कानून समझते भी नहीं हैं। गंग कैनाल में अलॉटमेंट में एक कठिनाई आई है, वैसे तो राजस्व मन्त्री जी वित्त मन्त्री जी जल्दी उत्तर देते हैं, वह कोई गलत बात कहते भी नहीं हैं लेकिन एक कठिनाई जरूर सामने आई है।

करीब तीन-चार सौ परिवार कठिनाई में हैं अभी माननीय सदस्य जो पदमपुर से आते हैं वे पांच हजार परिवारों की बात कर रहे थे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन-चार सौ परिवार बहुत ही कठिनाई में हैं, परेशानी में हैं अभी दस-बारह दिन पहले ही उनकी पुरानी जमीनों पर रेड किया गया है और उनके लिए काफी संकट उपस्थित हो चुका है इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उनके पुराने जो कब्जे हैं वे बदस्तूर बहाल रखे जा सकें।

एक और कठिनाई है, उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी ओर मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि कोलोनाइजेशन एक्ट की धारा 13 के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति उनकी परमिशन के बिना उस जमीन को बेच नहीं सकता है, और 14 के अन्दर उसका इलाज दिया हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष : यह एप्रोप्रिएशन बिल का सब्जेक्ट नहीं है, जो प्रोसीजर है वह आप एडोप्ट कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही शोर्ट में निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed at length.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धारा 14 के तहत यह प्रावधान मौजूद है कि कलेक्टर उस मामले को रेगुलराइज कर सकता है, मैंने जो पत्र लिखा था उसमें भी इसका स्पष्ट रूप से विवेचन किया था।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

धारा 13 के तहत परमिशन ली जा सकती है और 14 के तहत पेनल्टी लगाकर जिलाधीश स्वीकृति दे सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लेकिन मुझे उनकी ओर से अभी कोई सूचना नहीं मिली है, मैं आशा करूंगा कि अब की बार वे इस दिशा में भी कोई कदम उठायेंगे । अन्त में मैं इस बात से कोई एतराज नहीं करता हूं, सप्लीमेंटरी डिमांड जो पांच लाख तिरेसठ हजार की है उसको यह सदन स्वीकृति दे, मेरा कोई एतराज इसमें नहीं है । आज के युग में जिस प्रकार की बीस सूत्री और पच्चीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के सिलसिले में हम डायनेमिक चेन्ज लाना चाहते हैं । उसके लिये यह आवश्यक भी होगा क्योंकि रिकवरीज के लिये स्टाफ की जरूरत है । मनीलेण्डर्स के प्रावधानों को लागू करने के लिये स्टाफ की जरूरत है । मैंने वित्त मन्त्री महोदय को यह बता दिया है और मैं लिखकर भी देने को तैयार हूं कि तहसीलों में जो रिकवरीज चल रही हैं, वहां पर गरीब लोगों के बैल नीलाम किये जा रहे हैं । उनके ऊंट लिये जा रहे हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : Please finish.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे कहने का तो तात्पर्य इतना ही है कि पंचायत समिति की रिकवरीज के लिये जो रेड किया गया है, अभी बताया गया कि एक करोड़ की रिकवरी ...

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : दस करोड़ की रिकवरी, एक करोड़ की अगेन्स्ट में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत बड़ी रिकवरी कर पाये हैं । लेकिन पंचायत समितियां 13 साल की बुड्ढी हो चुकी हैं । जिस प्रकार का सिस्टम है और डिमाण्ड है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, वित्त मन्त्री महोदय, जिस प्रकार से आज सेल्स टैक्स के मामले को ले रहे हैं, एन्टरटेनमेन्ट के मामले को ले रहे हैं, उनके बकाया को रिड्यूस करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे इसको भी प्रयत्न करके देखेंगे कि दस करोड़ की डिमाण्ड जो पंचायत समितियां रेज कर रही हैं उनमें कितनी वास्तविकता है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, बेबस हैं, अंगूठा लगाने वाले हैं, पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं उन्हीं की उसमें संख्या अधिक है । उनको किसी प्रकार की रिकवरी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है । कई हरिजन लोग मेरे पास आये हैं, उनको इस बारे में मालूम भी नहीं है । उनके फर्जी और जाली अंगूठे लगा कर उनके नाम से अनाप-शनाप रिकवरीज निकाली जा रही हैं । वह कैसे आपको दें ? सरपंच महोदय, विकास अधिकारी महोदय ही इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए । आज उनके खिलाफ 1954 की रिकवरीज निकाली जा रही हैं, 1962 की रिकवरीज निकाली जा रही हैं, जिसकी कोई रसीद नहीं है, कोई रिकार्ड नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि दस करोड़ की जो बात कही जाती है इसके लिए डिटेल्ड एन्क्वायरी की जरूरत है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जो प्रभावशाली लोग हैं, जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांण्डा)

प्रधान साहब पावरफुल हैं जो सरपंच पावरफुल हैं या कोई भूपति हैं उनकी आप रिकवरी करें। समय नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो मैं उनके नाम भी दे सकता हूं। उनकी तो रिकवरीज होती नहीं है लेकिन जो गरीब किसान हैं, जो मार्जिनल फॉर्मर हैं उसकी रिकवरी निकलती है, उनका चूल्हा नीलाम किया जाता है, उनके बैल और छप्पर नीलाम कर देते हैं उनके ऊपर एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी हावी है। जैसी कि प्रधान मन्त्री ने एक बहुत ही सही बात कही है कि किसी भी कार्यक्रम का संचालन हो चाहे बीस-सूत्री कार्यक्रम हो अथवा अन्य कार्यक्रम हो केवल ब्यूरोक्रेसी के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उसमें जनता का इन्वाल्वमेन्ट आवश्यक है। इसलिए आप रिकवरीज कीजिये, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो केवल अंगूठा लगाना जानते हैं उनसे मत मारिये। मनीलेण्डर्स क्या करते हैं, सागड़ी प्रथा क्यों बनी, जो अशिक्षित लोग हैं, इल्लीट्रेसी के खिलाफ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त कीजिये। This is already said.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप इन्फ्रा-स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिये, लेकिन साथ ही साथ इन्क्वायरी भी इन्स्टीट्यूट कीजिये, बड़े लोगों से आप पहले रिकवरी करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस सत्र के अन्दर राज्य सरकार की ओर से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन-श्रृङ्खलाओं में और वेतन मानों में जिस प्रकार से बढ़ोत्तरी देकर, 17 करोड़ रुपयों का एडीशनल प्रोविजन करके सरकारी कर्मचारियों को जो राहत दी है उसके लिए तो राज्य सरकार, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय सभी बधाई के पात्र हैं। विशेष तौर से डिसप्रपोर्शन जो राणावत कमीशन के समय 1:15 का था वह घटाकर 1:9 तक ले आये हैं जो कि वास्तव में हमारे देश के बहुत कम प्रान्तों में है। इसलिए वे बधाई के पात्र हैं और उसी सन्दर्भ में यह जो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है इसको पारित करने के लिये किसी प्रकार की बाधा का प्रश्न नहीं है, न कोई प्रकार का विरोध ही है। मैं केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके बारे में राज्य सरकार का विशेष तौर से ध्यान जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण विभाग के सामने और सिंचाई विभाग के सामने हर साल बाढ़ का प्रश्न आता है। गत दो-तीन वर्षों के अन्दर पश्चिमी राजस्थान के अन्दर इन्द्र देव की कृपा हुई और इस कारण से वर्षा का परसेंटेज उस इलाके में बढ़ा है और बरसात के अन्दर नदियों के अन्दर बाढ़ आ जाती है, लूनी नदी में और अन्य नदियों में। लेकिन उसके साथ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

जिस प्रकार से उन विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि सड़कें टूट जाने से यातायात अवरुद्ध हो जाता है, उसके बारे में तुरन्त प्रबंध होना चाहिए, इस बारे में ऐसा लगता है कि जो प्रबन्ध होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। उसमें प्रबन्ध का अभाव लगता है। मैंने अभी देखा, कल मैं जोधपुर से आ रहा था, रास्ते में देखा कि एक बस उल्टी पड़ी हुई है। लूनी नदी में बाढ़ आने से सड़क टूट गई, पानी आ गया, कई सप्ताह हो गये किन्तु यातायात के साधनों को रिज्यूम करने का प्रबन्ध नहीं हो सका और जब किया गया तो उसमें जो कुशलता और मजबूती आनी चाहिए थी वह नहीं हो सका, इसका परिणाम यह हुआ कि जगह-जगह रास्ते टूटे हुए हैं, यातायात रुक रहा है, चालू काम कर दिया गया है, वहां पर रेता डाल दिया गया है, इस कारण से आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों के लिए इन विभागों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अभी अभी आपको पता होगा कि वहां की बस सर्विस बन्द हो गई थी और फुलेरा की ओर से रेल की सेवा चालू थी, वह भी काफी समय बाद रिज्यूम हुई थी, हालांकि सेन्ट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन राजस्थान सरकार भी इस ओर प्रयत्न कर सकती थी। लेकिन 10 महीने बाद में जो फुलेरा-जयपुर-जोधपुर रेल्वे लाइन रिज्यूम हुई कुछ समय के लिए, वह वापिस बंद कर दी गई है और फिर एक जोधपुर के व्यक्ति को मारवाड़ जंक्शन होकर जाना पड़ता है। यद्यपि रेल्वे का कार्य केन्द्र की ओर से किया जायगा तथापि सांभर के पास में जिस प्रकार पानी की बड़ी झील बन गई है, राज्य सरकार या तो पानी को डाइवर्ट करके स्थाई बांध बना दे या पानी का सदुपयोग करे अन्यथा डिवाइस निकाले जिससे जो हमेशा यातायात अवरुद्ध हो जाता है, वह समाप्त हो जाए और उस पानी का सदुपयोग किया जाए। ये बातें आज के युग मे हास्यास्पद लगती हैं, जब मानव चन्द्रमा पर, मार्स पर पहुंच चुका है, उस युग में 5-7 माह तक रेलवे लाइन बंद रहे और 200-300 मील के यातायात के साधन के अभाव में व्यक्ति अटक जाएं तो यह दुर्भाग्य की बात है।

नगर आयोजन के अन्दर हम मांगें पास करें, कोई आपत्ति नहीं लेकिन पैसे का सदुपयोग हो। जोधपुर नगर के अंदर घंटा घर के आस पास छोटा सा टुकड़ा है, 10 साल हो गए एक माइल का भी नहीं होगा, मुश्किल से 3-4 फर्लांग का टुकड़ा होगा, आज तक पूरा नहीं किया जा सका। वित्तीय साधनों का अभाव बताया जाता है। जोधपुर रियासत के समय में 1947 से पहले योजना बनी थी और 1965 में प्रारंभ करने के बाद आज भी उसी स्थिति में है। यद्यपि दो सालों में प्रगति हुई है लेकिन इसके लिये फंड्स का अलॉटमेंट करना चाहिए।

जोधपुर नगर में सड़कों की हालत ऐसी है कि कोई देखेगा तो कहेगा कि वहां पर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी जिससे जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं, लोग उनमें फंस जाते हैं, नगर परिषद् का ध्यान आकर्षित किया। इसके लिए प्रायोरिटीज होनी चाहिए, सड़कों

(78)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का प्रबन्ध अच्छी तरह से होना चाहिए। आपने एनक्रोचमेंट्स हटाए, अच्छा किया, उसके कारण नगर में सड़कें साफ हुई और यातायात के साधन अच्छे हुए लेकिन उसके कारण से दुकानों या मकानों के हटाने से जो कच्चे स्थान बन गए, वे आज तक यूं के यूं पड़े हुए हैं जहां पर न साधारण व्यक्ति जा सकता है न यातायात का साधन जा सकता है। राज्य सरकार के अधिकारियों व मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए जिससे यातायात के साधन अच्छे होकर नगर का विकास हो।

हम जोधपुर को पर्यटन केन्द्र बनाना चाहते हैं। जोधपुर में बाहर के पर्यटक आए। उन्होंने वहां के उम्मेद भवन, बाल समंद झील व मंडोर गार्डन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और कहा कि इतने सुन्दर स्थान देखने में कम हैं लेकिन जब किले में जाने के लिए रास्ते से गुजरे तो कचरे के ढेर दिखाइ दिए, सड़क के दोनों ओर से बदबू आयी। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे सुन्दर स्थानों को आज के युग में प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण या मशीनरी के गीयर-अप न होने के कारण, खराब नहीं करना चाहिए। जोधपुर को पर्यटक केन्द्र बनाने के साथ साथ उसके विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

इसी के साथ मुझे निवेदन करना है कि सारे राज्य का बहुमुखी विकास हो, इसके लिए पैसे का अलॉटमेंट हो, कोई एतराज नहीं लेकिन बार बार घोषणा के बावजूद रोजगार का प्रबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए आपने कहा था कि जोधपुर में स्कूटर फैक्ट्री खोली जाएगी और एक दूसरी फैक्ट्री भी खोली जाएगी। लेकिन आज तक नहीं लगी, ये दोनों किसी कारण खटाई में चली गई। तो मेरा निवेदन है कि बहुत बड़ा उद्योग लगा कर कम से कम 15-20 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल सके इसके लिए प्रयास होने चाहिए। इसके लिए मैं वित्त मंत्री व मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे सब प्रकार के फंड्स अलॉट करवायें, हम उनको बधाई भी देंगे, प्रशंसा भी करेंगे, जितनी मांगे हैं पारित करेंगे लेकिन इनका सदुपयोग हो, इस ओर मैं अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके बाद मुझे यही निवेदन करना है कि सरकार को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि राजस्थान नहर की गति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। इस बारे में कई बार विचार हुआ, हम नेशनल लेवल पर फंड्स लायें, हम साधन जुटायें, विश्व बैंक से लोन लें और जिस प्रकार द्वितीय चरण की योजना थी उसमें गति आये, आगे बढ़ें और जैसलमेर के पास जो योजना है शीघ्रातिशीघ्र वहां ला सकें ताकि रेत के टीबे, रेगिस्तान नखलिस्थान में परिणित हो जाए।

मलेरिया उन्मूलन के बारे में मंत्री महोदय ने कहा कि हम सजग हैं। लेकिन जहां छोटी छोटी बस्तियां हैं, जहां मजदूर रहते हैं, स्लम एरियाज हैं, गंदगी है, वहां कई परिवार रहते हैं, उन व्यक्तियों को इन बीमारियों से बचाया जा सके इसके लिए विशेष योजना आवश्यक है, केवल गोलियों के बांटने से काम नहीं चलता। आप भले ही सप्ताह मनायें, लेकिन हमारे जो विधायक हैं, जन प्रतिनिधि हैं पंचायत समितियों में आ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

नगर परिषदों में, उन सब का इन्वाल्वमेंट करें। हमने तो कह दिया कि मलेरिया को इर्रेडिकेट कर दिया देश से वह सही नहीं है। अब तो कम से कम रोक दें जहां है वहां पर। जो फिगर्स आपने बताये वह वास्तव में अन्डर-एस्टीमेट है। कुछ लोग तो सर्वेक्षण में बताते नहीं हैं और अस्पताल में 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग नहीं आते हैं यद्यपि सरकार की ओर से साधन दिए गए हैं। इसलिए यदि फिगर्स से ही आप संतोष कर लें कि बड़ा पर्सेंटेज नहीं है मलेरिया का तो सही नहीं है। यह दैवी प्रकोप है लेकिन मानवीय साधनों से दैवी प्रकोप को भी रोका जा सकता है। विशेष तौर से वीकर सेक्शन्स जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास कचरे के ढेर लगे रहते है, वहां मच्छर अपना अड्डा बनाए बैठे रहते हैं, गंदी नालियां बहती रहती हैं, उनको बचाया जा सके, यह मानवता के प्रति हमारा कर्त्तव्य है, जिसको निभाना होगा। अतः विधेयक को अवश्य पारित किया जाए लेकिन इस पैसे का सदुपयोग करके विकास योजनाओं में लगाया जाए।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से 5.63 करोड़ की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। यह ऐसा समय है जब कि जनता पर और विशेष तौर से किसानों पर कर भार बढ़ रहा है और किसान घाटे में चल रहे हैं। खेती का धंधा घाटे का धंधा है ...

श्री उपाध्यक्ष : मांगें पास हो चुकी हैं, पारित होने की स्टेज पर हैं, यह ध्यान रखने की बात है।

श्री मीठालाल मीणा : तो जो यह 67 लाख रुपये की मांगें हैं अगर आप सही रूप से इस रुपये का उपयोग करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर उसका सही रूप से उपयोग नहीं होकर दुरुपयोग होता है तो मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस पर सही रूप से विचार करे। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल राजस्व विभाग में राजस्व मन्त्री जी 21 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करा रहे हैं उसमें वह कृषि सुधारों पर काफी जोर दे रहे हैं। इसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा गरीब लोगों को मकान देना, भूमि का अलॉटमेन्ट करना, चरागाह जमीन को अलॉट करना वगैरह कई काम कर रहे हैं। जहां तक सही रूप से काम हो रहे हैं तो कोई दुःख की बात नहीं है। लेकिन दुःख की बात तो यह है कि आज जो गांवों में स्थिति हो रही है उसको आपने जाकर नहीं देखा। वहां पर जितने सूत्री कार्यक्रम आपने बनाये हैं चाहे वह 20 सूत्री कार्यक्रम हों, चाहे 21 सूत्री कार्यक्रम हों जितने सूत्री कार्यक्रम आपने शुरू किये हैं उतने ही सूत्री कार्यक्रम के गुना राजस्व विभाग में रिश्वत बढ़ गयी है। अगर बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रहा है तो 20 गुनी रिश्वत और 21 सूत्री कार्यक्रम अगर आप क्रियान्वित करते हों तो 21 गुनी रिश्वत बढ़ गयी है। आप यहां पर बैठकर रिश्वत को बन्द करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। अगर आप गांवों में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से ग्रामीण जनता कितनी दुःखी है। मैं कहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करिये और अगर आप उसे समाप्त नहीं

(श्री मीठालाल मीणा)
कर सकते हों तो कम तो कीजिये उसे रोकिए तो सही ।

अब साहब एक गांव में पिछले साल आपने हवा चलायी कि गरीब तबके के लोगों को लैण्ड अलॉट की जा रही है आपने अलॉटमेन्ट भी कर दिये । चरागाहों की जमीन अलॉट की यह हमारे सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर में अलॉटमेन्ट तो कर दी लेकिन उन गरीब बेचारे लोगों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया है । इसके साथ ही ऐसी स्थिति हो गयी है कि वहां पर फौजदारी लोगों में हो गयी, बड़े झगड़े हो रहे हैं तो इस प्रकार के अलॉटमेन्ट करने से क्या फायदा ? खैर, अब तो आपने चरागाहों की जमीन के अलॉटमेन्ट का काम बन्द कर दिया है । पर मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों को कब्जा नहीं मिला है उन्हें जल्दी से जल्दी कब्जा दिलवाने की व्यवस्था करावें ।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक अभियान चलाया कि अतिक्रमण हटाओ । उसमें कई मामले ऐसे हुए हैं कि अतिक्रमण के नाम पर आपके राजस्व अधिकारियों की चान्दी हो गयी है । जिसको आपका पटवारी चाहे, तहसीलदार चाहे और नायब तहसीलदार चाहे उस व्यक्ति को अतिक्रमण का दोषी बनाकर उसके खिलाफ में कार्यवाही कर दी जाती है । उन लोगों को बेदखल कर दिया जाता है । लोगों को सजायें तक दे दी जाती हैं । मैंने देखा है कि जिसको चाहा उसको बेदखल कर दिया । यह उनकी मर्जी पर है । इसके लिये मैंने माननीय मन्त्री जी को भी पत्र लिखा और इसके अलावा जिलाधीश को भी पत्र लिखा था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ में नहीं हुई । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले हुए हैं जिनमें इन्होंने तरह तरह की सजायें रखी हैं । आपने तो जेल तक की सजा रखी है फाइन की रखी है । कुछ केसेज में ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति को 6 माह की सजा और 50 गुना तावान की सजा दी । दूसरे मामले में आपने जेल की सजा नहीं दी लेकिन आपने पैनेल्टी रख दी पचास गुना तावान की, तीसरे मामले में आपने सिर्फ 15 गुना तावान ही रखा । आखिर यह मामला क्या है जिसने जितने पैसे दिये उतना ही उसको फायदा दे दिया, जिसने पैसा नहीं दिया उस पर आपने हैवी पैनेल्टी लगा दी । जहां तक सवाल चरागाहों की जमीन का है आपने अलॉटमेन्ट कर दिया लेकिन अभी तक भी वह जमीन वन विभाग के कब्जे में ही है और उन लोगों को कोई कब्जा नहीं मिल रहा है । तो इसके लिये तो आपको कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि उन लोगों को जमीन का कब्जा मिले ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अभी हमारे देश की प्रधान मंत्री जी ने एक स्टेटमेन्ट दिया उसमें यह कहा था कि बिजली और सिंचाई की दर ठीक रखी जाये और उसका किसानों को पूरा फायदा मिलना चाहिये । लेकिन अगर आप सिंचाई और विद्युत की दर को ठीक करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि सिंचाई और विद्युत की दर बढ़ जायेगी और उसका भार भी किसान पर पड़ेगा । आपके व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा । यह

(श्री मीठालाल मीणा)
जों आप जितने भी सेल्स टेक्स और टैक्सेज वगैरह लगाते हैं और अभी एक सेन्ट्रल का सेल्स टेक्स और आया है उन सबका भार किसानों पर ही पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि आप एक तरफ तो किसानों को राहत देने का बात करते हैं दूसरी तरफ किसानों पर टैक्स का भार बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार आपने एक रुपया सैकड़ा मन्डी टैक्स लगाया उसके लिये आपने कह तो यह दिया कि हम आपको राहत देंगे लेकिन मैं समझता हूं, उससे किसानों पर एक भार ही बढ़ा है। तो अब मैं समझता हूं कि खेती का जो धन्धा है वह नुकसान का धन्धा हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ायी है। उसमें आपने एल. डी. सीज को 375, चार सौ रुपये तक तनख्वाह दी है। मेरा निवेदन यह है कि आप हमारे किसान से भी सारी जमीन ले लें और उसे आप पौने चार सौ रुपये भी मत दीजिये आप प्रति व्यक्ति हमारे किसान के घरवाले को 150-200 रुपये दे दीजिये, ज्यादा मत दीजिये तो किसान आपको कुछ नहीं कहेगा। आप चाहें तो उसकी जमीनें ले लो लेकिन किसान का घाटे का धन्धा तो खेती नहीं रहे। अगर आप किसान की मदद नहीं करेंगे तो किसान बरबाद हो जायेगा। आज जब भी फसल पक कर कट कर बाजार में आती है तो उस वक्त बाजार में फसल की कीमत तो सिर्फ रुपये में आठ आना रह जाती है। इसके साथ ही अगर हम बाजार में देखें तो पता लगेगा कि नमक और मिर्च वगैरह के जो भाव हैं वह कम होते नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप किसान का सस्ते भाव में खाद, बीज और दूसरे सामान दिलवाइये। और नहीं तो कम से कम आपने जो 100 प्रतिशत टैक्स खाद पर लगा रखा है उसमें तो राहत दो। समय पर किसान को बीज खाद की व्यवस्था ता करो। आपने मन्डी टैक्स एक रुपया सैकड़ा लगा दिया। उसे कह दिया कि हम तुम्हें फायदा देंगे। आपने क्या फायदा दिया? वह भी टैक्स आपने गरीब किसान पर डाल दिया? अब वह कहां पर जाकर रोये, चिल्लाये? न वह लोग यूनियन बना सकते हैं और बना भी लें तो इसमें कुछ इधर और कुछ उधर चले जायेंगे। कोई आप में से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बन जायेगा और कुछ नहीं होगा तो मेरा निवेदन है कि आप किसान को राहत देने के लिये कुछ कार्यवाही करें।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, कई जिलाधीशों ने नामान्तरणकरण के अलग अलग आदेश जारी किये हैं। किसी में तो यह कहा है कि अगर किसी का जमीन सन् 1955 के टिनेन्सी एक्ट के लागू होने से पहले से रहन में रखा गया है तो उस जमीन का कब्जा उस व्यक्ति का वापिस मिल जायेगा। कहीं पर यह दिया है कि सन् 1955 के टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद में रखी गयी तो वह जमीन उसको मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग बातें हो गयी हैं और गावों में कई झगड़े इस कानून की वजह से हो गये हैं। अब आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोगों को जमीन अलॉट की है पर वह जमीन जो कि पहले रहन की गयी थी शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोगों की तो वह अपने आप ही में सवर्णों की हो जायेगी। तो कहीं तो आप उन्हें

(श्री मीठालाल मीणा)

जमीन दिलाने की बात करते हैं दूसरी तरफ उन्हें कब्जा नहीं दे रहे हैं, तो यह क्या बात है ? आप आज लोगों को नोटिस दे रहे हैं आपको नोटिस देने की क्या जरूरत है आप रिकार्ड मंगा कर देख लें और अपने आप फैसला कर दें ।

इसी के साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में आज परिवार नियोजन का बहुत ही जोर से अभियान चल रहा है यह बहुत अच्छा काम है, चलाना भी चाहिये । लेकिन आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं वह मेरी समझ में नहीं आया उन लोगों का जबर्दस्ती ऑपरेशन कर देते हैं और उन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं । परिवार नियोजन में आप वही बातें कर रहे हैं जैसा मैट्रिक फेल मास्टर नहीं हो सकता लेकिन मैट्रिक फेल मिनिस्टर हो सकता है । मास्टर को ऑपरेशन कराना पड़ेगा चाहे मिनिस्टर नहीं कराये । इसमें यह भी है कहीं पर एक व्यक्ति के तीन बच्चियां है और उसके लड़का नहीं तो उसके लिये भी तो आप कुछ सोचें । आज किसी के बच्चा हुए 18 महीने हो गये हैं ....

श्री चन्दनमल बैद : आपका संकेत यह किसकी तरफ है ?

श्री मीठालाल मीणा : आप जानते हैं सारी बात को, सारा मामला दिल्ली में मैंने निवेदन किया था जब उनसे मिला था तब ।

श्री चन्दनमल बैद : आप दिल्ली में ही मिलते हैं जयपुर में नहीं मिलते हैं क्या ?

श्री मीठालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसे मामले हुए हैं कि ऑपरेशन हो जाता है पर वापिस डॉक्टर लोग उन लोगों को अवेलेबल नहीं होते हैं । नतीजा यह होता है कि कई बार ऑपरेशन में दिक्कतें हो गयी थीं । आदमियों की कोई बात नहीं लेकिन औरतों के मामलों में बहुत ही सीरियस ऑपरेशन होता है और इसमें कई औरतें मर भी गयी हैं क्योंकि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उन्हें पूरी मेडिकल एड नहीं मिल पाती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को ऑपरेशन होने के बाद मेडिकल एड मिले । आज आप परिवार नियोजन के शिविर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे लालसोट में पिछले काफी सालों से लेडी डॉक्टर तक का अपॉइन्टमेन्ट नहीं कर सके हैं । आप डॉक्टरों की व्यवस्था पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे परिवार नियोजन को सफल बना सकेंगे ? इसलिये मेरा निवेदन है कि आप वहां जल्दी से जल्दी लेडी डॉक्टर भेजिये ।

इसी प्रकार अभी राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है कि जयपुर और बड़े शहरों में रात को ट्रकें शहर में पास नहीं हो सकेंगी । ऐसे आदेश जयपुर जिलाधीश ने भी निकाले हैं कि 15 अक्टूबर से जयपुर शहर में रात को ट्रक नहीं आ सकेंगी । तो रात को अगर ट्रकें दस बजे बाद शहर में आवें तो क्या नुकसान है ? मैं समझता हूं कि आपका यह उचित निर्णय तो नहीं है कि रात को शहर में ही नहीं आवे । कम से कम रात को 10 बजे से 5 बजे तक खुला कर देते । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर दो महीने भी ट्रैफिक बन्द करदें

(श्री मीठालाल मीणा)
तो कितना खर्चा बढ़ेगा। आज घाट गेट से बाजारों में आने में कितना खर्चा लगता है और वह सारा खर्चा गरीबों पर ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री मीठालाल मीणा : मैं समझता हूं आप ट्रकों के लिये कुछ छूट प्रदान करेंगे। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो परिवार नियोजन का सर्टिफिकेट लेते हैं वह विधायकों से क्यों लेते है? मैंने समाज कल्याण मंत्री जी से भी कहा है कि आप वजीफे देते हैं तो हमें क्या मालूम कि फलां आदमी ऑपरेटेड है या नहीं। यह सर्टिफिकेट तो डॉक्टर से मंगवायें लेकिन उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमने इसमें एम. एल. ए. का सर्टिफिकेट रखा है उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह चाहते हैं कि .0-5 साल तक बच्चे नहीं होंगे और आगे भी नहीं होंगे। ऑपरेशन करवाया या नहीं करवाया, यह कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? क्या फायदा है सरपंचों और एम. एल. एज. से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगने का? इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट चाहिये तो आप डॉक्टर से मंगवाये। जन प्रतिनिधियों से आप किस बात की अपेक्षा करते हैं? अगर नहीं दें तो क्या उनको पिटना है। कई गलत रूप में आते हैं...

श्री चन्दनमल बैद : आपने कितनों को दिया है?

श्री मीठालाल मीणा: मैं तो सम्बन्धित अधिकारियों और मंत्रियों से कह रखा है कि मेरा सर्टिफिकेट मत मानना, सही आते हैं या गलत आते हैं, मुझे पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सही रूप में पंचायत समितियों की रिकवरी 10 करोड़ का, जो आपने फिगर दिया है, इसका उपयोग किया जाय, यही उचित तरीका है। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस तरह का बजट बनता है और उसके बाद सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड आती है तो एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे बजट बनाने वाले मंत्री महोदय और अधिकारीगण यह नहीं जानते हैं कि वास्तविकता क्या होने वाली है, कितनी डिमाण्ड होनी चाहिये। यह मैं समझता हूं अदूरदर्शिता और अपरिचय का सूचक है। इसके लिये विधान सभा का समय बरबाद करें, यह ठीक नहीं लगता है। पहले ही काफी सोच समझ कर मांगें रखनी चाहिये।

जहां तक राजस्व का सवाल है मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है, राजस्थान के बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें दो-दो, ढाई-ढाई और तीन-तीन तहसील हैं और जयपुर जिला तो कितना बड़ा जिला है... 10-12 लाख जयपुर की आबादी है और 16-17 तहसीलें हैं और दूसरी तरफ डूंगरपुर का जिला है जिसमें दो-तीन तहसीलें हैं

श्री चन्दनमल बैद : सीधी-सीधी बात कहो न!

श्री मूलचन्द सामरिया : दौसा एक ऐसा जिला है। दौसा सब-डिविजनल हैडक्वार्टर पर राजस्व की आय, खेती की आय, पशु धन, पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों की संख्या—ये सब आंकड़े मैंने प्रश्नों के द्वारा ज्ञात किये तो मालूम हुआ कि बहुत से जिलों से यह जिला अच्छा है। मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि जिला लेवल के अधिकारियों पर इतना भार न पड़े और लोगों को समान रूप से सेवायें मिलें, अधिकारियों के पास जाकर कुछ कहने का मौका मिले इसके लिये जरूरी है बराबर के साधन हों। एक तरफ 10 लाख की जनसंख्या जिसमें 16-17 तहसीलें हैं और दूसरी तरफ ऐसे जिले हैं जिनमें दो ढाई तहसीलें है और वहां भी एक अधिकारी रहे तो आप स्वयं ही अन्दाज लगा सकते हैं कि वहां क्या हालात हो सकते हैं। दौसा के लिये तो यह जरूरी है और जुडिशियरी में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट सैशन जज की स्थापना और आबादी आदि को देखते हुये वहां पर कोर्ट की स्थापना की है इसलिये मैं निवेदन करूंगा 21 सूत्र के बाद यदि 22वां सूत्र भी जोड़ना पड़े तो मैं उसको समर्थन करूंगा ताकि जनता को राहत मिले ...

एक माननीय सदस्य : 21 सूत्र क्या-क्या हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : आप स्वयं जानते हैं। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं और किस तरह चापलूसी करते हैं। ब्रिट्रेन में जब इन्टरव्यू हुआ तो बताया गया था कि अधिकारी गण इसको तो केवल रटना चाहते हैं, नाम बार-बार 20 सूत्र का लिया जाता है लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिये जिन्होंने जो सूत्र दिया है वे इस बात को अच्छी तरह समझ गये हैं कि चकमा देने के लिए उपयोग कर रहे हैं। बार-बार रिपीट करने से जनता को कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। केवल चापलूसी करने वाली बात रह जाती है। यह इन्दिरा जी का स्वयं का स्टेटमेंट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार यहां पर कृषि के बारे में एक निवेदन करूं, दौसा में जिला कृषि अधिकारी का ऑफिस है लेकिन पशु पालन अधिकारी का ऑफिस नहीं है। यहां पशु पालन अधिकारी का ऑफिस होना भी जरूरी है। इसलिए दौसा में कई बार ...

श्री चन्दनमल बैद : सचिवालय भी दौसा में खुलना चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : हां, सचिवालय भी होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार बातचीत भी इस तरह की की है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के द्वारा रिप्रजेन्टेशन दिया जाता है लेकिन यह खेद की बात है कि कास्ट और ट्राइब का कोई भी व्यक्ति केबिनेट में तो नहीं रह सकता है, क्योंकि उनको इस योग्य नहीं माना जाता है कि नीति सम्बन्धी मामलों में उनकी राय ली जाय और इसलिये नहीं लिया गया लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उनकी बातों को इतना वेटेज तो दें कि अगर किसी तरह की बात वे पब्लिक में कह दें तो उसको पूरा करें। उसको पूरा करने में न तो साधन की आवश्यकता होगी और न जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। दौसा में पशु पालन अधिकारी का कार्यालय होना बहुत आवश्यक है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

श्रीमन, दौसा जल प्रदाय योजना के बारे में थोड़ा सा मैं टैंक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज उस टैंक के ठेकेदार को तीन साल हो गये और न मालूम उसने कितना एडवान्स लिया है और कितना नहीं लिया है किन्तु वह चला गया। अब इसमें बड़े लोगों को तो नुकसान नहीं है। बड़े लोगों को तो पानी दे दिया जाता है लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों की बस्ती में अल्प संख्यकों की बस्तियों में और बाकी की बस्तियों में पानी नहीं दिया जाता है और अगर टैंक बनता है तो पानी पहुंचने की सम्भावना हो सकती है। दौसा की ऐसी बनावट है कि कुछ हिस्सों में पानी नहीं पहुंच सकेगा तो इस तरफ भी ध्यान दें तो आपकी मेहरबानी होगी।

अब मुझे ट्रान्सपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना है। आप ट्रान्सपोर्टेशन के साधनों पर बराबर आधिपत्य जमाते जा रहे हैं, नई-नई रोड्स को नेशनालाइज कर रहे हैं, इस बारे में मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा लेकिन मैं समझता हूं अगर आप इनके हालात को देखें तो लगेगा कि अन्धाधुन्ध तरीके से आंकड़े रखने से कोई खास बात नहीं होने वाली है। एक एक गाड़ी के लिये 200-200 यात्री इकट्ठे हो जाते हैं। उनको इधर से उधर जाने में बड़ी दिक्कत है।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि जहां एक तरफ आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपया तक खर्च किया है, करोड़ों रुपये के टेक्सेज जनता ने दिये हैं और उनके लिए नये नये सिंचाई के साधन मुहय्या करने की कोशिश की है, राजस्थान कैनाल और बड़ी बड़ी कैनाल बनाई है, दूसरी तरफ वह जनता है, उस क्षेत्र की जनता है, जिनको कैनाल के दर्शन तक नहीं होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रगतिशील कहलाने वाली सरकार ने, मजदूर और किसानों की हिमायत करने वाली सरकार ने गरीब नवाज सरकार ने भूतपूर्व सामन्ती लोगों द्वारा महाराजा मानसिंह के जमाने से जमुआ रामगढ़ की केनाल, जो सिंचाई के लिए बनाई गई थीं, प्रगतिशील और लाखों रुपया देने वाले वित्त मन्त्री जी ने जयपुर के पेय जल के लिए उस केनाल को ले लिया। वे जयपुर के पेयजल के लिए दूसरी व्यवस्था करना चाहते थे, कर सकते हैं जिससे अजमेर, ब्यावर और टौंक की भी पानी की व्यवस्था हो सकती थी, बनास से पानी ले सकते थे लेकिन उन्होंने सिंचाई के लिए बनाये गए बांध को जयपुर के पेयजल के लिए काम में ले लिया। यदि उसमें पेय जल की व्यवस्था के बाद कोई सरप्लस वाटर हो तो उसको सिंचाई के लिए दे दिया जाता है। उसकी ऐसी व्यवस्था है कि बार बार मांग करने के बाद भी वाटर वर्क्स और सिंचाई विभाग के बीच तय होता है, उनकी मीटिंग होती है और फिर जितना पानी जरूरी है उतना पानी पेय जल के लिए रखकर फिर सिंचाई के लिए देते हैं। यह सरप्लस वाटर देना है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

दो तीन मिनिट और लूंगा।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

दूसरे जिस पानी से सिचाई हो सकती है उसके लिए ऐन मौके पर व्यवस्था होती है लेकिन नहरें ठीक नहीं होती हैं। बहुत सा पानी वेस्टेज होता है। समय पर जिसका उपयोग होना चाहिये वह न होकर उसकी युटिलिटी कम हो जाती है। इसलिए इस सम्बन्ध में आपको निश्चित नीति बना लेनी चाहिये कि इतना पानी जयपुर को पेयजल के लिये देगे और इतना सिचाइ के लिए देगें। तब ही जाकर समय पर सिचाई के लिए पानी दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष जी, जहां इस तरह के साधन दूसरी जगह बढ़े हैं, बांध का पानी न देने से जमुआ रामगढ़, बस्सी, दौसा के किसान, जिनके खेत इस बांध से सिंचित होते थे, उनकी आर्थिक हालत बिल्कुल दयनीय हो रही है। फिर यही आरोप लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के मुकाबले पूर्वी राजस्थान का शोषण किया गया है। साधन जुटाए जा सकते थे। हमारे इरिगेशन के साधनों को छीनकर पीने के पानी के काम में ले लिया गया और पूर्वी राजस्थान के साथ अन्याय किया गया है। पूर्वी राजस्थान के एक एक नेता दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अगर वे मिलकर सरकार पर दबाव डालें तो कोई वजह नहीं है कि उनकी माग पूरी न हो सके। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे मुख्य मन्त्री जी को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं और हमारे यहां के कामों को अनदेखा रखते हैं।

परिवार नियोजन का जहां तक प्रश्न है यह तो एक बकवास है। बिना मर्जी के यह करना हिन्दू संस्कृति के खिलाफ है। संयम से काम लिया जा सकता है। फिर नियोजित परिवार रखें तो अच्छी बात है लेकिन जोर जबरदस्ती करना उचित नहीं है। अधिक इस सम्बन्ध में निवेदन नहीं करना चाहता। जनसंख्या बढ़ रही है, हर परिवार में मलेरिया से लोग पीड़ित हैं। आप परिवार नियोजन का हथियार इस तरह से काम में ले रहे हैं। आप मलेरिया से पीड़ितों की चिकित्सा नहीं करेंगे तो जनसंख्या का नियन्त्रण वैसे ही हो जावेगा। हर घर में मलेरिया का प्रकोप है। जाने बहुत जा रही हैं।

एक आखिरी बात कहूंगा। मीठालाल जी ने फर्मा दिया कि 20 सूत्री कार्यक्रम में भ्रष्टाचार की बात नहीं है। इन्दिरा गांधी जी ने बताया है कि भ्रष्टाचार ऐसा है कि उसका मिटाना मुश्किल है, दबा रहने की तो चर्चा न की जाय। 20 सूत्र में नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाय। भ्रष्टाचार बढ़ता है कोई दोष नहीं। वित्तमन्त्री जी ने मान लिया है यह सरकार सक्षम भी नहीं है और उसके बूते के बाहर की बात है।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कहने की आवश्यकता नहीं थी। माननीय सदस्य ने राजस्व पर मुद्दे रखे इसलिए कुछ कहना पसन्द करूंगा।

दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने 20 सूत्री कार्यक्रम का काफी जिक्र

(श्री परसराम मदेरणा)
किया और उसके साथ साथ प्रधान मन्त्री के इन्टरव्यू का भी हवाला दिया जो इंग्लैंड के किसी जर्नेलिस्ट को दिया गया था और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यह बात तो निश्चित है कि 20 सूत्री कार्यक्रम ने समाज के कमजोर वर्ग में नई आशा का संचार किया है। दौसा से आने वाले माननीय सदस्य उसमें विश्वास नहीं रखते हैं लेकिन इसके फल-स्वरूप उनके नीचे से जमीन खिसक रही है इसलिए इस प्रकार से पेश कर रहे हैं इसको। इस सम्बन्ध में कहते हुए उन्होंने एडाशनल कोर्ट की बात कही। वे कई बार कह चुके हैं।

जहां तक रिआर्गेनाइजेशन का प्रश्न है उनको मालूम नहीं है जब राजस्थान बना था उस समय जितने भी रजवाड़े थे, उन स्टेट्स का इन्टीग्रेशन हुआ था

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे मालूम है।

श्री परसराम मदेरणा : Don't disturb, आपकी बात को मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। कुछ बातें आपको मालूम नहीं हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : पूर्ण रूप से मालूम हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको मालूम नहीं हैं।

इसलिए चाहे छोटे जिले हों, डिस्ट्रिक्ट का रिआर्गेनाइजेशन किया था, कमेटी बैठायी थी उसकी अहमियत है। पुरानी राजधानियों के महत्व को देखते हुए रिआर्गेनाइज किया जा सकता था वह करके परिसीमन किया गया था। अब इस संबंध में न तो कहना उपयुक्त है और न ही वाजिब है।

दूसरी बात पूर्वी राजस्थान की कही। क्षेत्रीय भावना को माननीय सदस्य उभारना चाहते है। ऐसा माननीय सदस्य को नहीं करना चाहिये और न ही माननीय सदस्य को क्षेत्रीय भावना को उभारना चाहिये। राजस्थान एक है और उसको समृद्धशाली बनाने के लिये सब को प्रयास करना चाहिए।

तीसरी बात योग्यता के संबंध में कही। पौलिसी मेकिंग में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के मिनिस्टरों को नहीं लेते हैं। ट्राइब्स और कास्ट्स का प्रश्न नहीं है। आप भी विद्वान हो सकते हैं। दूसरी कौम का भी विद्वान हो सकता है। किसी की ठेकेदारी नहीं है। डा. अम्बेडकर हिन्दुस्तान के संविधान के निर्माता थे। बाबू जगजीवनराम जी मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार के मन्त्रियों में सबसे ज्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले मन्त्री हैं। इसलिए यह किसी से सम्बन्ध नहीं है। यहां भी राजस्थान के अन्दर बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि कृषि राज्य मन्त्री हैं, का हमारी पॉलिसी बनाने के अन्दर और उसका निर्माण करने में भी सहयोग लिया जाता है।

यहां पर सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि रायसिंहनगर के क्षेत्र के अन्दर जहां राजस्थान गंग केनाल के क्षेत्र में अभी कुछ जो अलॉटमेन्ट हो रहे हैं उसमें शायद राज्य सरकार ने आदेश दिये है उसकी अनुपालना नहीं हो रही है।

एक माननीय सदस्य : हो गयी ।

श्री परसराम मदेरणा : ····10 सितम्बर को यह आदेश दे दिये गये हैं कि भूमि जिनको अलॉटमेंट नहीं की गयी है, जो भूमि काटी गयी है आगे अलॉटमेंट नहीं किया जाये जब तक कि राज्य सरकार उन रूल्स के अन्दर संशोधन नहीं कर दे लेकिन इसके उपरान्त भी आपने बताया कि 500 लोगों को, जिनको जमीन अलॉट की गई थी, कब्जा दे दिया गया है । ऐसी जानकारी उन्होंने दी । ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने 10 सितम्बर को आदेश दे दिये हैं तो किन हालात में कब्जा दे दिया गया है इसकी मैं जानकारी करूंगा और इस सम्बन्ध में कुछ एक्शन लूंगा ।

यहां पर लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बीस सूत्री कार्यक्रम का जिक्र करते हुए यह बात कही कि बीस सूत्री कार्य-क्रम के साथ ही साथ रिश्वत भी बीस गुना बढ़ गया है। माननीय सदस्य के इस कन्टेन्शन को तो मैं रिफ्यूट नहीं करता हूं लेकिन मैं उसका प्रतिवाद करता हूं कि उनका यह कहना निराधार है । मैं आपको बताऊं कि रिश्वत पहले से कम हुई है······

श्री मूलचन्द सामरिया : कितने पर्सेन्टेज ?

श्री परसराम मदेरणा : फिर आप योग्यता वाली बात कर रहे है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, का हायर जुडिशियल सर्विस में सलेक्शन होते होते रह गया ····

श्री मूलचन्द सामरिया : गलत पढ़ा गया ।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए हाई-पोथेटिकल क्वेश्चन का उत्तर मैं नहीं देना चाहता हूं लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर अकर्मण्यता, लापरवाही, कर्त्तव्यनिष्ठा में कमी आ गयी थी और राज्य कर्मचारियों में शिथिलता आ गयी थी उनको तेजी से काम करने के लिए बैठाया गया है और आज काम तेजी से हो रहा है । हो सकता है ऐसी कोई शिकायत आये । आपका एक प्रश्न प्रस्तुत हुआ था और मैंने जयपुर जिलाधीश को बुलाया है और मैंने आदेश दिये हैं कि चरागाह की भूमि जहां भी जिस जिले के अन्दर है और जो भी ट्रेस-पासर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए सख्ती से । आपने कहा कि कब्जा नहीं मिला सवाई माधोपुर में तो क्यों नहीं मिला इन्डीविजुअल केस की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन वहां के जिलाधीश मिले थे, वे वहां कारगर ढंग से कब्जा दे रहे है ।

माननीय सदस्य ने यहां पर एक बात उठाई उसका सीधा सम्बन्ध तो इससे नहीं है । उन्होंने कहा कि किसानों की प्रोड्यूस की कीमत घटती जा रही है और इससे किसानों को बेचैनी है । मैं अभी चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में गया था । वहां पर इस बात को कृषि मन्त्री जी के सम्मुख रखा गया था और दूसरे मुख्य मंत्रियों ने भी रखा था कि किसानों के इनपुट्स के

(श्री परसराम मदेरणा)

सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दुबारा विचार किया जाना चाहिए और इस मसले पर भारत सरकार विचार कर रही है कि किसानों के इनपुट्स की कीमत ऊंची करने के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। अभी पिछले दिनों हिन्दुस्तान के इंण्डस्ट्रीज मिनिस्टर पेस्टीसाइड्स कारखाने का उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय भी वह जिक्र कर रहे थे कि किसानों के इनपुट्स में कमी नहीं करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है राज्य सरकार ने यह किया कि किसानों की प्रोड्यूस के भाव नहीं गिरें प्रोक्योरमेंट प्राइस के नीचे रबी की फसल के अन्दर ता लक्ष्य से ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है। 2 लाख टन का टार्गेट था और 2 लाख 70 हजार टन के आसपास प्रोक्योरमेंट हुआ है। वह पूरी मशीनरी को लगाकर पटवार सर्किल पर किया गया और वह इसलिए किया गया कि जब भाव ऊपर रहते हैं और उपभोक्ता के लिए बफर स्टाक और सेन्ट्रल पूल में अनाज देना पड़ता है। दूसरे माननीय सदस्य मानेंगे कि गंगानगर, जो कि सबसे ज्यादा प्राड्यूस करता है, से 1।। लाख टन के आसपास प्रोक्योर हुआ है। पहले कभी इतना प्राक्योरमेन्ट नहीं किया गया था। अब वह इसलिए किया गया कि किसानों को उनकी प्रोड्यूस की रेमुनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए। जहां खरीफ की फसल में भाव गिरेंगे तो सरकार प्रोक्योर करेगी ताकि काश्तकारों को रिलीफ दिया जा सके।

क्योंकि वह माननीय सदस्य चले गये मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो यहां पर मुद्दे उठाये उस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन आपको करता हूं।

श्री मीठालाल मीणा : टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद होगा या उससे पहले होगा? इस रहन के मामले में तो आपने वकीलों के घर भर दिये।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री मीठालाल मीणा : यह रहन का प्रश्न मैंने उठाया यह कब से लागू होगा? टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद में या उससे पहले से?

श्री परसराम मदेरणा : मैं देख रहा था डिमाण्ड के सभी हैड में राजस्व विभाग के सम्बन्ध में जो भी बात कही है पटवारियों की संख्या बढ़ाने की बात वह किन हालत में की गई है वह वित्त मंत्री जी स्वयं जानते हैं। पटवारियों के वर्कलोड की जांच की गई थी और दो साल से मामला कैबिनेट में था। यह निर्णय लिया गया कि पटवारियों पर बोझ ज्यादा बढ़ गया है इसलिए वसूलियां करने के लिए एडीशनल स्ट्रेन्थ की जानी चाहिए और उसकी स्वीकृति बजट पास होने के बाद की गई है। इसलिए यह मत सोचें कि फाइनेन्स मिनिस्टर यह एन्वीसेज करके चलता था लेकिन राजस्व मंत्री इस मुद्दे को लेकर उसके बाद में गये और जब निर्णय हुआ तो निश्चित रूप से ऐसा प्रावधान रखने की आवश्यकता थी। अब यहां पर सेक्शन 42, 43, 46, और 49 और 43 (ए) आर 43 (बी) की बात कही गई। बिल पर बहस की लिमिटेशन है। इस एप्रोप्रियेशन बिल की मांग पर क्या आप सभी चीजों का जवाब चाहते हैं।

Page No 88

(श्री परसराम मदेरणा)
नवम्बर के अन्दर जब दूसरा सत्र होगा और जब हम मिलेंगे उस समय मैं आपको सूचना दूंगा ...

श्री मीठालाल मीणा : उससे पहले गरीब किसान लुट जायेंगे। टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ तब से है या पहले से है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। आप इस बात को जानते हैं, मैं हाउस के बाहर भी आपसे बात करने के लिए तैयार हूं ......

श्री मीठालाल मीणा : जयपुर जिलाधीश ने अलग निकाले हैं और दूसरों ने अलग निकाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : परसों मैंने बात की थी कि लिमिटेशन के पॉइन्ट के ऊपर मैंने मामला लॉ डिपार्टमेन्ट के अन्दर भेजा है। लॉ डिपार्टमेन्ट ने सारी की सारी क्वेरीज करके रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को भेजी हैं। उसके बाद में एक सरक्यूलर निकालने की बात है वह तो जल्दी ही पांच सात दिन में निकल जायेगा। उसकी प्रतिलिपि मैं आपके पास भेज दूंगा ताकि यह स्पष्टीकरण हो जायेगा। आपको सन्तोष नहीं हो सरक्यूलर के बाद भी तो आपको अगले सत्र में मौका मिलेगा। आप उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ साथी राजस्व मंत्री जी का आभारी हूं कि बहुत से मुद्दे जो उनके विभाग से संबंधित थे और यहां उठाये गये थे उनका उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दे दिया। इससे काफी माननीय सदस्यों को सन्तोष हो गया होगा। मैं तो कुछ ऐसे मुद्दों का जिक्र करूंगा जो उन्होंने नहीं उठाये हैं। एक बात यह कही गयी है कि 5 करोड़ 63 लाख रुपये का एप्रोप्रियेशन बिल है, उस पर मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 3 करोड़ तो इसमें इस बात के शामिल हैं कि कन्टीन्जेन्सी विधेयक जो इस विधान सभा में पेश किया है 3 करोड़ से 6 करोड़ बढ़ाना चाहते हैं वह 3 करोड़ तो कन्टीन्जेन्सी फण्ड में जायेगा। इसलिए सही मायने में यह 2 करोड़ 63 लाख का एप्रोप्रियेशन बिल है।

दूसरी बात दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि बजटिंग में बहुत गलती है और पहले से सोचा ही नहीं कि क्या खर्च होगा। पहले से सोच लेना चाहिए कि कौन सी सड़क टूट जायेगी कौन से बांध में दरार आ जायेगी, कितने डॉक्टर चाहिएं, परिवार नियोजन का क्या कार्यक्रम आ जायेगा। तो मैंने तो आज तक कोई बजट देखा नहीं कि जिसमें सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड नहीं आई हो। इसलिए माननीय सदस्य चाहे योग्यता में कितने भी ऊंचे हों और चाहे उनका सलेक्शन कहीं भी होते होते रह गया हो....

श्री मूलचन्द सामरिया : क्यों ताने दे रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : यह बात वह समझ लें कि बजटिंग के मामले में वह कोरे हैं यह मैं मानकर चलता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं बनिया नहीं हूं।

श्री चन्दनमल बैद : आप वनिये नहीं हैं लेकिन आप हरिजन तो हैं ? या वह भी नहीं हैं ?

श्री मूलचन्द सामरिया : कुछ भी कहें आप तो।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टरों की कमी के बारे में बात कही गयी। यह सही है कि लेडी डॉक्टर की कमी है अभी हमने 200 लेडी डॉक्टर्स की भर्ती की है और जितनी भी एप्लीकेशन्स लेडी डॉक्टर्स की आई थीं उनको हमने भर्ती कर लिया है इसके बावजूद लेडी डॉक्टर्स की कमी है। यह मैं मानकर चलता हूं, यह राजस्थान में ही कमी नहीं है, सारे हिन्दुस्तान में लेडी डॉक्टर्स की कमी है। इसके साथ ही एक कमी और भी है। जब भी हम कहते हैं लेडी डॉक्टर को कि आप देहात में चले जाइये, वे जाने से इन्कार कर देती हैं। चूंकि उनकी कमी है, इस वास्ते हमें उनकी इन्कारी के सामने दबना पड़ता है। परन्तु कुछ दिनों तक ही यह कमी रहेगी। इस साल जो हमने भर्ती की है उसमें लेडी स्टूडेन्ट्स की ज्यादा भर्ती की है जिससे आगे चल कर लेडी डॉक्टर की कमी हमारे प्रदेश में नहीं रहे। इसका हमने इन्तजाम किया है।

एक बात जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह कही है कि सड़क खराब होने के कारण कपाल क्रियाएं ज्यादा हो रही हैं। मैंने अखबार में तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। अतिशयोक्तिपूर्ण यह बात उन्होंने कही होगी। यह सही है कि बरसात के कारण से हमारे कई बांधों की मरम्मत करने की जरूरत पड़ गयी है। इसी प्रकार सड़कों की मरम्मत की जरूरत है। पिछले साल मरम्मत के सीगे में दो करोड़ की बढ़ोतरी की गई थी और अब इसे और बढ़ाने के लिए वित्त विभाग गंभीरता से सोच रहा है। सड़कों की मरम्मत के बारे में 3 करोड़ की बढ़ोतरी के लिए सोच रहे हैं और जल्दी ही हम इसका प्रावधान करने जा रहे हैं। इसी तरह से बांधों की मरम्मत की हमें बरसात के कारण जरूरत पड़ गई है। इसलिए इनकी मरम्मत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। यही नहीं कि हमने कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की है लेकिन हम विकास के कार्यों में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर पीने के पानी का एक विचित्र प्रश्न उठा दिया। यह सभी जानते हैं कि सब से पहले जरूरत होती है पीने के पानी की। पानी का कहीं स्टोर होगा तो सब से पहले उसका उपयोग पीने के लिए किया जायेगा। इसी वास्ते जयपुर की बढ़ती हुई आबादी है, यहां पर राजधानी होने के कारण, यहां पर हाई कोर्ट की बेन्च स्थापित होने की मांग करें और जयपुर में लोग आवें उनको पीने का पानी नहीं दें और केवल हाई कोर्ट की बेंच की मांग करते रहें, तो उनकी यह मांग मेरी समझ में नहीं आती है। आपका दृष्टिकोण ऐसा मालूम पड़ता है और शायद यह आपका विश्वास होगा कि दुबारा विधान सभा में नहीं आएंगे, इस वास्ते आप इस तरह की मांगें करते हैं या आपने यह सोच लिया कि आपको दौसा में ही रहना है, जयपुर नहीं आना है। इस वास्ते

(श्री चन्दनमल बैद)

आप यह कहते हैं। कोई भी पानी हो सबसे पहले पीने के पानी की मांग पूरी होना जरूरी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमें हर जिले का डवलपमेंट करना है और हर जिले का डवलपमेंट एक ही तरीके से नहीं होगा। गंगानगर जिले में सिचाई के साधन कुएं खोदकर पैदा करना चाहते हैं तो वह नहीं होगा। वहां पर फ्लो इरिगेशन से ही सिचाई होगी। अलवर, भरतपुर, जयपुर सवाई माधोपुर, टौंक यहां पर सिचाई की उन्नति लिफ्ट इरिगेशन से ही हो सकती है। कुए खोद कर हो सकती है। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन, जयपुर, अलवर, भरतपुर में हुआ और हो रहा है। यह अच्छी बात है, होना चाहिये लेकिन आप यह समझते हैं कि हर जगह विकास का काम एक ही तरह से हो सकता है, तो यह असंभव है। सारे जिलों में इरिगेशन का डवलपमेन्ट एक ही तरह से नहीं हो सकता है। सिचाई का डवपलमेन्ट कहीं पर लिफ्ट इरिगेशन से होगा और कहीं फ्लो इरिगेशन से ही संभव है। मैं वित्त मंत्री हूं और इन पिछले 26-27 वर्षों में मेरे जिले में इरिगेशन के मद में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है। वहां पर फ्लो इरिगेशन या लिफ्ट इरिगेशन नहीं हो सकता है। विकास का काम हर जगह पर एक तरह से नहीं हो सकता है। हम को पूरे राजस्थान के लिए सोचना होगा। दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान की इन छोटी छोटी बातों पर नहीं जाना चाहिये। केवल राजस्थान के विकास की ही हम बात करें। आजाद होने के बाद राजस्थान बना, आजादी को इतने वर्ष हो गये और हमारा यह नजरिया रहे कि पूर्वी राजस्थान में यह नहीं हुआ, यह होना चाहिये, यह पश्चिमी राजस्थान है, यह उत्तरी राजस्थान है, या यह दक्षिणी राजस्थान है, मैं समझता हूं इस नजरिये से सोचना बहुत ही शोचनीय होगा। हमारा नजरिया सारे राजस्थान के विकास का हो। सारे राजस्थान का विकास करना चाहिये, यह हमें सोचना चाहिये। इसको आगे बढ़ाना है जो जो साधन उपलब्ध हैं उनको लेकर हमें यह काम करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं और मेरे वरिष्ठ और माननीय साथी ने जो बातें कही हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976 को···

श्री मोतीलाल मीणा : लालसोट में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति के लिए क्या किया है ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! I expect that you know the procedure.

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1976 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

मंत्री महोदय !

अतिरेक अनुदान की मांग (1971-72) सं. 15 व 44 का उपस्थापन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25 लाख 90 हजार 85 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61 लाख 62 हजार 80 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

अतिरेक अनुदान की मांग सं. 15 व 44 पर कटौती प्रस्ताव

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

1. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतनमान में आमूल-चूल परिवर्तन करने में विलम्ब करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) :

2. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपेक्षित से अधिक यात्रा किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये वेतनमानों के भुगतान लम्बी अवधि तक शिक्षकों को न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी का लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत सरकार से मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम के अन्तर्गत डी. डी. टी. सामान और उपकरण आदि की प्रत्याशित से अधिक आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

अतिरेक अनुदान की मांग सं. 15 व 44 पर विचार एवं उनका पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द्र जैन!

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा!

श्री चन्दनमल बैद : क्या करेंगे इस पर बोल कर के....

श्री मीठालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई कट मोशन नहीं है।

श्री मीठालाल मीणा : मुझे केवल एक मिनिट दीजिये। मैं अध्यापकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

जयपुर जिले में पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें अध्यापकों की इतनी कमी है, शिक्षा विभाग के स्कूलों से भी कहीं अधिक

Page No 92

(92.)

(श्री मीठालाल मीणा)
अध्यापकों की कमी इन स्कूलों में है और इसलिए पंचायत समितियों ने, जिला परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया है कि इन स्कूलों के लिए आवश्यकतानुसार अध्यापक दीजिये अन्यथा इन स्कूलों की व्यवस्था आप संभाले। हम इनको चलाने में असमर्थ हैं। वे शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिले हैं और जयपुर जिले के अनुपात के हिसाब से जितने अध्यापक होने चाहिये उस हिसाब से अध्यापकों की यहां पर बहुत अधिक कमी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर जिले में जो अध्यापकों की कमी प्राइमरी स्कूलों में है, उस कमी को पूरा करने के लिए तत्काल व्यवस्था करें वरना कहीं ऐसा न हो कि सारी पचायत समितियां यह निर्णय ले लें कि वे इन स्कूलों को आपको सौंपने के लिए बाध्य हो जायें। वाकई यह स्थिति खराब है।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): यह 71-72 की मांग से संबंधित नहीं है। यह जो मांग पेश की गई है वे 1971-72 से संबंधित हैं, उसके बारे में कोई शिकायत हो तो आप कहिये।

श्री मीठालाल मीणा: यह कमी 72 से चली आ रही है और आगे के लिए आप व्यवस्था करें इसलिए निवेदन किया है।

श्री चन्दनमल बैद: उपाध्यक्ष महोदय, पचायत समितियों में अधिक अध्यापक रखे जावें इसलिए 1,500 टीचर्स की नियुक्ति करने के लिए बजट में विशेष धनराशि का प्रावधान किया गया था और उस प्रावधान के अनुसार शीघ्र ही अध्यापक रखे जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो हिस्सा जयपुर जिले और उसमें आपके निर्वाचन क्षेत्र का होगा या जो आपकी पंचायत समिति को मिलना चाहिये, वह जरूर मिलेगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी न्यायप्रिय हैं। आशा है इससे आपको सन्तोष होगा। आप अपना वोट इन मांगों के पक्ष में दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,90,085 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 124-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,62,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक अनुदान की शेष मांगों (1971-72) का पारण

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग सख्या 7, मुख्य शीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के संबंध में 31 मार्च, 1972 को

(श्री उपाध्यक्ष)
समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,332 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक 18-संसद, राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र विधान सभा के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,77,010 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 10

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,51,526 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,43,075 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,45,778 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 55,283 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 37—सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय

(श्री उपाध्यक्ष)

विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय का 13,25,656 रुपये तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाय ।

मांग संख्या 25

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,02,659 रुपये तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि ग्रतिरेक ग्रनुदान की मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 65—निवृत्ति वेतन ग्रौर ग्रन्य निवृत्ति लाभ, 72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,47,286 रुपये तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 32

प्रश्न यह है कि ग्रतिरेक ग्रनुदान की मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,65,881 रुपये तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 37

प्रश्न यह है कि ग्रतिरेक ग्रनुदान की मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 94—जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध मे 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,37,785 रुपये तक की राशि ग्रौर प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री मीठालाल जी ग्राप 'हां' नहीं कह रहे हैं ।

श्री मीठालाल मीणा : मीठालाल न 'हां' कर रहा है ग्रौर न 'ना' कर रहा है ।

मांग संख्या 40

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ग्रतिरेक ग्रनुदान की मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 98—बहु प्रयोजन नदी योजनाग्रों पर पूंजी की लागत, 99-सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी का लागत (वाणिज्यिक), 100—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल

(श्री उपाध्यक्ष)
निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 45,40,693 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक 120—निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त हुये वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 41,732 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

माननीय वित्त मन्त्री जी !

राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976 को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक...

श्री मीठालाल मीणा : उसका तो....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

I have requested you.

श्री मीठालाल मीणा : उनसे बात हो गई ।

Page No 96

(96)

श्री उपाध्यक्ष : बात करने का टाइम हो गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1976 को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 3 बजकर 7 मिनिट पर बुधवार दिनांक 6 अक्टूबर, 1976 के 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई) ।

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगर विकास न्यास खोलने का आधार

75. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास तथा नगरपालिका दोनों ही एक स्थान पर रखने का क्या जनसंख्या ही आधार है ?

(2) यदि हां, तो कितनी जनसंख्या पर न्यास की स्थापना की जाती है ?

(3) राज्य के कौन-कौन से नगरों में नगर विकास न्यास तथा नगरपालिका कार्य कर रही है ?

(4) राज्य में सन् 1976 में कितने नगर विकास न्यास समाप्त कर दिये गये और कितने नगर विकास न्यास अब और समाप्त होने की सम्भावना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनसंख्या आधार नहीं मानी गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) सूची संलग्न है।

(4) दो न्यास (गंगापुर व हिण्डौन) विघटित किये गये हैं। अभी अन्य किसी न्यास के विघटन की संभावना नहीं है।

उन नगरों की सूची जहां नगर विकास न्यास व नगरपालिका/परिषद् दोनों हैं

1. जयपुर	9. चित्तौड़गढ़
2. अजमेर	10. अलवर
3. जोधपुर	11. गंगानगर
4. बीकानेर	12. सीकर
5. उदयपुर	13. ब्यावर
6. कोटा	14. पाली
7. भरतपुर	15 पुष्कर
8. भीलवाड़ा	16. नाथद्वारा

ग्राम पंचायत, नरवर को चरागाह भूमि का मुआवजा

76. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नरवर ग्राम पंचायत (अजमेर) की चरागाह भूमि में खनिज विभाग ने काफी आदमियों को मार्बल पत्थर की खाने आवंटित की हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत नरवर को विभाग ने कोई सूचना नहीं दी और न ही कोई मुआवजा देने की कार्यवाही की है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस संबंध में पंचायत का मुआवजा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(खनिज मंत्री)

(2) व (3) नियमों में पंचायत को सूचना या विभाग द्वारा मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है :—

आर. सी. पी. क्षेत्र में हरिजनों को विद्युत् के कनेक्शन

77. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि 1973-74 में 43 गांवों में कनेक्शन लेने के लिये रायसिंहनगर विद्युत् एस. डी. ओ. ने फाइल भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल परियोजना (आर. सी. पी.) क्षेत्र में हरिजनों को सरकार ने मुफ्त भू-खण्ड दिये थे उन चकों में आज तक कोई चक्की के लिये कनेक्शन नहीं दिया ? क्या राज्य सरकार आर. सी. पी. क्षेत्र में हरिजनों के मकानों के लिए तथा चक्की के लिये कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मांग अस्वीकृत ग्रामों की होने से मंजूरी नहीं दी जा सकी ।

(2) राजस्थान कैनाल परियोजना में स्वीकृत विद्युतिकृत ग्रामों में जहां विद्युत् पहुंच चुकी है वहां क्षमता के अनुसार सब ही प्रकार के कनेक्शन दिये जा रहे हैं ।

पंचायत समिति टोडाभीम में गबन

78. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, टोडाभीम के 1972-73, 1973-74, 1974-75 की ऑडिट रिपोर्ट में भारी धनराशि के गबन की रिपोर्ट टोडाभीम थाना (सवाईमाधोपुर) में की है ? यदि हां, तो कितनी रिपोर्ट्स की हैं और किस किस अपराध में अपराध दर्ज हुए हैं ?

(2) अब तक किस किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं किया गया है तो गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ? अब तक क्या क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

(3) उक्त अपराधों का चालान कब तक अदालत में कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि अपराधी पंचायत समिति के रिकार्ड को डेस्ट्रॉय (Destroy) करने की कोशिश कर रहे हैं तथा पुलिस जानबूझ कर उन्हें गिरफ्तार न करके उन्हें परोक्ष रूप से प्रोत्साहन दे रही है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति टोडाभीम की वर्ष 1973-74 की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बी. डी. ओ. की रिपोर्ट पर एक अभियोग संख्या 32, दिनांक 10-4-75 को धारा 409 भा. दं. सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना टोडाभीम पर दर्ज किया गया था ।

(गृह मंत्री)

(2) इस केस में अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि तफतीश अभी चल रही है । सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया है जिसकी जांच हो रही है । तफतीश के बाद जुर्म साबित होने पर ही कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

(3) अन्वेषण जारी है । अन्वेषण पूरा होने पर ही इसका निर्णय लिया जावेगा ।

(4) जी नहीं । अन्वेषण के दौरान ऐसा नहीं पाया गया । अब रिकार्ड पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है ।

चन्द्रावती नगरी में मिली मूर्तियां

79. श्री भूराराम (आबू) : क्या पुरातत्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चन्द्रावती नगरी आबूरोड तहसील में स्थित है व इस नगरी में लाखों रुपयों की छिपी सम्पत्ति व मूर्तियां हैं ?

(2) क्या यह सही है कि 1 सितम्बर, 1973 में बाढ़ के समय सैंकड़ों मूर्तियां निकली थीं ? अगर हां, तो वे कहां गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि अगस्त, 1976 में अतिवृष्टि व बाढ़ से कितनी हा मूर्तियां निकलीं ? यदि हां, तो कितनी तथा सरकार द्वारा मूर्तियों की देख-भाल के लिये क्या व्यवस्था की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त मामले से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल जांच करवायेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि तहसील पिंडवाड़ा के ग्राम कासिदरा में 1973 में बालकों को खेलते हुए छिपा हुआ धन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वह धन सरकारी खजाने में कहां व कितना जमा हुआ ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या राज्य सरकार उक्त मामले की जांच करवा कर जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रतिमाओं के रूप में पर्याप्त सम्पत्ति है ।

(2) जी हां । 262 मूर्तियां प्राप्त हुई थीं जिन्हें राजकीय संग्रहालय आबू पर्वत पर स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

(3) अगस्त, 1976 में अतिवृष्टि व बाढ़ से दो स्मारक शिलालेख व दो वास्तु-खण्ड निकले थे । इन्हें चन्द्रावती स्थल पर चौकीदार के अधीन सुरक्षित कर दिये गये हैं । यह सारा स्थल ही सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है तथा वहां दो चौकीदार नियुक्त किये गये हैं ।

(4) फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं ।

(5) जी हां । 414 किलोग्राम चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे, जिन्हें जिलाधीश, सिरोही को सम्हला दिया गया है । जैसे ही गृह विभाग द्वारा पुलिस गार्ड की

(पुरातत्व मंत्री)
व्यवस्था कर दी जायेगी इन सिक्कों को जिलाधीश से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(5) इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

हिण्डौन में खनिज विभाग द्वारा जायदाद व जमीन की नीलामी

80. श्री करनसिंह (डीग): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खनिज विभाग ने अभी कुछ जायदाद व जमीन हिण्डौन में नीलाम की है? यदि हां, तो क्या क्या? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस नीलाम में हुए भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या क्या शिकायतें हैं? और इन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण संलग्न सूची में अंकित है एवं सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, शिकायत यह की गई है कि नीलामी के पश्चात खसरा न. 962,963,964 नीलाम शुदा सम्पति में शामिल किये गये हैं। इसका जांच कराई जा रही है।

सूची

1. माटौर दक्षिण दिशा हिन्डौन में तीन गह एक पल्ला व पुख्ता दो मंजिला मकान पक्का व तीन गह एक पल्ला 6 गह दो पल्ला मय जमीन के।

2. पक्के मकान के बाहर उत्तर दिशा में हिन्डौन रेल्वे स्टेशन के निकट तीन गह दो पल्ला व सात गह एक पल्ला मय जमीन के।

3. पुख्ता कोठी दो मंजिला तथा काश्त की जमीन हिन्डौन में व तिजोरी मकान के अन्दर की।

जमीन निम्न प्रकार है:—

खसरा नं $\frac{919}{4}$ व $\frac{919}{5}$ रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा वि. 3
खसरा नं. 1031 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा
खसरा नं. 1033 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा
खसरा नं. 1034 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा
खसरा नं. 1035 रकबा 5 बिस्वा
खसरा नं 1036 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा
खसरा नं. 1037 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा
खसरा नं. 1038 रकबा 3 बिस्वा
खसरा नं. 1040 रकबा 4 बिस्वा
खसरा नं. 1041 रकबा 6 बिस्वा
खसरा नं. 118 रकबा 3 बीघा
खसरा नं. 120 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा
खसरा नं. 122 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा

ग्राम पंचायत ककोड़ के निलम्बित सरपंच

81. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

श्री फौजमल, सरपंच, ककोड़ पंचायत समिति, उनियारा कितने समय से निलम्बित

(श्री राजेन्द्रसिंह)

है ? और किन किन आरोपों में ? इन आरोपों की जांच कर कब तक फैसला कर दिया जाएगा ?

उत्तर

श्री फौजमल सरपंच, पंचायत, ककोड़ राशन कार्ड तथा गेहूं की राशि का गबन करने तथा खाद की राशि का दुरुपयोग एवं अनियमितताएं करने के आरोपों में दिनांक 23-6-71 से निलम्बित है । उप-जिला विकास अधिकारी टौंक को पुनः जांच किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

ग्राम सेंगरपुरा में बिजली

82. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेंगरपुरा पंचायत समिति करौली को विद्युत् लाइन से नहीं जोड़ा गया है जब कि उस क्षेत्र के सभी ग्रामों को विद्युत् लाइन से जोड़ दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेंगरपुरा के दस कुओं के लिए विद्युत् सप्लाई के आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस ग्राम से विद्युत् लाइन केवल आधा मील पर है ?

उत्तर

(1) ग्राम सेंगरपुरा (पंचायत समिति, करौली) का विद्युतिकरण अभी नहीं हुआ है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । 400 वोल्ट की लाइन अवश्य है ।

लघु उद्योग संस्थान, टौंक

83. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक शहर में बन रहे लघु उद्योग संस्थान का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान में पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) टौंक शहर में लघु उद्योग संस्थान का कोई कार्य निर्माणाधीन नहीं है । इण्डस्ट्रियल एस्टेट का कार्य निर्माणाधीन है ।

(2) औद्योगिक सम्पदा में पानी की सप्लाई की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक कुए का निर्माण किया जा रहा है । कुए का निर्माण कार्य माह दिसम्बर, 1976 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

दी कोटा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के चुनाव

84. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. कोटा के

(श्री जगमोहनसिंह)
संचालक मंडल के चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि कई बार चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद भी चुनाव नहीं कराये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि बोर्ड के कई संचालक अयोग्य घोषित किये जा चुके हैं ?

(4) क्या ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार अब भी इस बैंक के चुनाव कराने का इरादा नहीं रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दी कोटा सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोटा के गत चुनाव दिनांक 22-12-73 को हुये थे।

(2) चुनाव की तिथि 28-2-76 निश्चित की गई थी किन्तु वसूली अभियान व प्राथमिक ऋणदात्री समितियों के पुनर्गठन के कारण राज्य सरकार द्वारा चुनाव स्थगित करने के कारण नहीं कराए गए।

(3) जी नहीं। कुल 12 संचालकों में से केवल 3 संचालक ही अयोग्य घोषित हुए हैं।

(4) प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का पुनर्गठन योजना का कार्य पूर्ण होते ही चुनाव कराने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

(5) प्रश्न संख्या (4) के उत्तर में बताई गई स्थिति के अनुसार।

नागौर जिले में बाढ़ से क्षति

85. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) श्री भोमाराम (डीडवाना) : क्या बाढ़ सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1975 में नागौर जिले में भयंकर बाढ़ आयी थी और उस अतिवृष्टि से जनता व सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान के समस्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को जिलावार सहायता हेतु धनराशि उपलब्ध कराई थी ? अगर हां, तो बाढ़ से कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए थे तथा किस-किस जिले को कितनी-कितनी धनराशि का आवण्टन किया गया था ? सूची जिलेवार धनराशि अंकित करते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) नागौर जिला अन्तर्गत किस-किस तहसील में सड़कों को व सिंचाई के बांधों को अधिक नुकसान हुआ ? क्या इसके लिए राज्य सरकार ने किसी प्रकार के तखमीने की लिस्ट मांगी है अथवा संबंधित सिंचाई व सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजिनियर ने राज्य सरकार को तखमीना सहित लिस्ट भेजी है ? नागौर जिले के बांधों व सड़कों के नुकसान का भेजा गया तखमीना तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(4) डेगाना तहसील क्षेत्र में बांधों व सड़कों के लिये मरम्मत हेतु कितने लाख रुपयों का तखमीना संबंधित अभियन्ताओं

(श्री रामरघुनाथ एवं श्री भोभाराम) ने राज्य सरकार को भेजा व राज्य सरकार ने इनकी मरम्मत हेतु कितनी धनराशि का आवन्टन किया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । बाढ़ से प्रभावित जिलों की सूची 'अ' एवं जिलेवार धनराशि आवंटन सूची 'ब' संलग्न हैं।

(3) नागौर जिलान्तर्गत सड़कों व सिंचाई बांधों को हुई क्षति का विवरण सूची 'स' में संलग्न है ।

(4) इस तहसील क्षेत्र के क्षतिग्रस्त बांधों एवं सड़कों की मरम्मत के लिए क्रमश: 4.65 लाख एवं 15.08 लाख रुपये का तखमीना प्राप्त हुआ था । राज्य सरकार ने क्रमश: 1.90 लाख रुपये बांधों की मरम्मत के लिए तथा 4 लाख रुपये सड़कों की मरम्मत के लिए स्वीकृत किए हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नाथद्वारा में तालाबों एवं नेहरू बालोद्यान का विकास

86. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाथद्वारा पर्यटन निवास गृह और नाथद्वारा नगर एवं मन्दिर के बीच सिंहाड़ का तालाब स्थित है तथा उसके किनारे पर नेहरू बालोद्यान बना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका नाथद्वारा की ओर से उक्त तालाब तथा नेहरू बालोद्यान और तालाब में स्थित टेकरी को रॉक गार्डन के रूप में विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(3) क्या राज्य सरकार यह अनुभव नहीं करती कि नाथद्वारा में आने वाले यात्रियों तथा पर्यटकों के लिये घूमने-फिरने के लिए अभी यहां कोई उपयुक्त स्थान नहीं है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या कोई व्यवस्था करने का विचार है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस दृष्टि से नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर कभी विचार किया ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या अब भी राज्य सरकार इस संबंध में कुछ उपयुक्त व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, प्रस्ताव आये थे लेकिन वित्तीय साधनों के अभाव में कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

(3) श्रीनाथजी के मन्दिर के अलावा नाथद्वारा में यात्रियों के लिए अन्य कोई आकर्षक स्थान नहीं है ।

(4) उत्तर नं. (2) के अनुसार ।

(5) वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है ।

आइडियल दुग्ध डेयरी, रानीवाड़ा

87. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर को एक डी. पी. ए. पी. जिला होते हुये भी पशुपालन विकास हेतु अभी तक कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार अब पशुपालन विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट-प्रावधान करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक किन किन योजनाओं के लिए क्या क्या बजट प्रावधान किए जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जिला जालोर में पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा रानीवाड़ा में एक दूध डेयरी लगाई जा रही है ? अगर हां, तो उक्त डेयरी की अब तक क्या प्रगति हुई है ? उक्त दूध डेयरी में दूध लेने का कार्य कब से शुरू किया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने का कृपा करें।

(4) आइडियल डेयरी, रानीवाड़ा का दूध लेने का क्षेत्र कितना बड़ा होगा एवं उक्त डेयरी की पशुपालन विकास हेतु क्या क्या गतिविधियां होंगी ? ये कार्य कब तक शुरू कर दिए जावेंगे एवं उनमें राज्य सरकार का क्या क्या योगदान होगा ?

(5) क्या यह सही है कि आइडियल दुग्ध डेयरी, रानीवाड़ा वित्तीय संकट के कारण शुरू नहीं की जा रही है ? अगर हां, तो राज्य सरकार उक्त डेयरी के वित्तीय संकट को दूर करने में क्या क्या योगदान देना उचित समझेगी ?

(6) उक्त दुग्ध डेयरी में दूध इकट्ठा करने का क्या पेटर्न होगा एवं दूध का भाव किस प्रकार निर्धारित किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जालौर जिले में पशु एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम निजी क्षेत्र में स्थापित की जा रही डेयरी द्वारा क्रियान्वित किया जावेगा।

(2) यदि निजी क्षेत्र की डेयरी संविदाकारी के अन्तर्गत पशुपालन विकास नहीं करेगी तो बजट में प्रावधान करने पर विचार किया जावेगा।

(3) यह सही है। प्राइवेट डेयरी से प्राप्त सूचना के आधार पर डेयरी प्लान्ट स्थापित हो चुका है। प्लांट व मशीनरी की जांच हो रही है एवं जैसे ही जांच समाप्त होगी, दूध लेने का कार्य चालू कर दिया जायेगा। इसमें करीब एक सप्ताह और लगेगा।

(4) रानीवाड़ा डेयरी का दूध लेने का क्षेत्र रानीवाड़ा के उत्तर-पश्चिम एवं पूर्व में, दक्षिण में 100 मील के भीतर राजस्थान-गुजरात राज्य की सीमा तक होगा। उक्त डेयरी द्वारा पशुपालन के विकास हेतु कृत्रिम गर्भाधान, पशु प्राथमिक चिकित्सा सेवा एवं डेयरी

(पशुपालन मंत्री)
परिवर्धन सेवा आदि गतिविधियां होंगी। प्राप्त सूचना के आधार पर कम्पनी ने इस हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद के आदेश प्रेषित कर रखे हैं। उपकरण प्राप्त होने पर ये कार्य शुरू कर दिए जावेंगे। राज्य सरकार के द्वारा कम्पनी को जमीन, पावर व पानी की उपलब्धि में सहयोग दिया जा रहा है।

(5) कम्पनी से ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(6) प्राप्त सूचना के आधार पर दूध सीधे दूध उत्पादकों से उनकी समितियों के द्वारा इकट्ठा किया जावेगा। दूध का भाव फेट व एस. एन. एफ. के आधार पर किया जायेगा।

भूमि विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण

88. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों का कृषि कार्य हेतु ऋण स्वीकार किया जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या उस ऋण की वापसी लघु एवं आसान किश्तों में कृषकों की वित्तीय स्थिति देखकर की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि कोई कृषक अपनी आर्थिक स्थिति या सामाजिक परिस्थितिवश या प्राकृतिक प्रकोप से पीडित होने के कारण उपरोक्त प्रकार का ऋण समय पर नहीं चुका सकता है तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

(4) क्या विभाग द्वारा नीलाम व कुर्की की कार्यवाही कृषक के विरुद्ध की जाती है तो कृषक की रहन शुदा सम्पत्ति से की जाती है या उसकी चल या अचल सम्पत्ति से ? यदि अन्य चल या अचल सम्पत्ति से की जाती है तो किन नियमों के तहत ?

(5) क्या ऋण-वसूली हेतु कृषक की संपत्ति की नीलामी या कुर्की के अतिरिक्त और कोई अन्य तरीका नहीं है ?

(6) क्या सक्षम अधिकारी की पूर्व आज्ञा प्राप्त किये बिना ही बैंक अधिकारी द्वारा कुर्की या नीलामी की कार्यवाही की जा सकती है ?

(7) कृषक द्वारा पुनः किश्त हेतु आवेदन करने एवं माननीय मंत्री द्वारा तत्संबंधी आदेश देने के पश्चात् विभाग द्वारा ऐसे कितने मामलों में पालना नहीं की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ऋण की वापसी की किश्त 7 से 15 वर्ष की अवधि की वार्षिक किश्तों में निर्धारित की जाती हैं। ऋण देते समय कृषक की ऋण की अदायगी की क्षमता भी देखी जाती है और उसी के अनुसार किश्तें तय की जाती हैं।

(3) प्रायः समय पर ऋण ना चुकाने की अवस्था में ऋणी से ऋण चुकाने हेतु

(सहकारिता मन्त्री)

बार बार तकाजा किया जाता है और ऋण ना चुकाने के कारणों का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है। ऋण अदायगी में असफल होने के पश्चात् दोषी के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 एवं राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वसूली की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा अपने स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

(4) कृषक के ऋण चुकाने में दोषी होने की अवस्था में निलाम या कुर्की की कार्यवाही बैंक द्वारा कृषक की रहन शुदा सम्पति से की जाती है और उसकी चल या अचल सम्पति से भी की जा सकती है। यह कार्यवाही राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 106, 110,117. व 118 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती हैं।

(5) ऋण वसूली कृषक से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके ही की जाती है परन्तु व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा ऋण की वसूली के प्रयत्न असफल होने पर सम्पति की निलामी या कुर्की के अतिरिक्त वसूली का अन्य तरीका शेष नहीं रहता है।

(6) कुर्की या निलामी की कार्यवाही सक्षम अधिकारी की पूर्व आज्ञा प्राप्त करके ही की जाती है।

(7) माननीय मंत्री महोदय के आदेशों की पालना सभी मामलों में की गई है।

बानसूर पंचायत समिति क्षेत्र में बनाई गई नहर पर व्यय की गई राशि

89. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सिचाईमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति के ग्राम खेड़ा के डहर का पानी निकलवाने के लिये क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत सिचाई विभाग द्वारा एक नहर का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च किया गया ? और यह नहर कब बनवाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नहर का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं है ?

(3) क्या सरकार इस अधूरी नहर को पूरी कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्य पर 95254.76 रु. की राशि व्यय की गई। इसका निर्माण सन् 1972-73 में कराया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 61 की सूची)

प्रश्न '1' की सूची

डी. पी. ए. पी. के तहत जिला पाली में स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं का विवरण

1. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाबा गांव चाणोद:—

यह योजना दिनांक 4-11-1972 को 19.00 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत हुई है। एवं दिनांक 5-1-1976 का इसे संशोधित कर 26.98 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत की गई। योजना के अन्तर्गत 14 ग्राम (बाबा, गाव, पिचावा, बड़गांव, अनोपपुरा, भाचुण्डा बिडूडा, नया गांव, धाना, लापोद, दौलतपुरा, कैनपुरा, ढोल, बालराई चाणोद) सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत नलकूप, टंकी, ग्रामों में टंकियां, क्वार्टर, पम्पिग सेट इत्यादि बनाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। ग्राम नए गांव के अतिरिक्त अन्य 13 ग्रामों में जल वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है। एवं नएगांव तक भी पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है व टैस्टिंग की जा रही है। ग्राम में 15 दिन में जल वितरण प्रारम्भ कर दिया जावेगा। उक्त योजना पर मार्च, 76 तक 22.41 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है व इस वर्ष 2.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

2. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना खारीया-नीम-थरासनी:—

यह योजना दिनांक 1-6-1972 को 8.00 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत का गई थी एवं दिनांक 12-8-76 को इसे संशोधन कर 11.23 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत की गई है। योजना में 9 ग्राम (खारियानीम, चाडियावास, बुटेलाव, गोदेलाव, रेपड़ावास, हापड, मेव, रामासनी, रडवा थरासनी) सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत नलकूप बनाने, जनरेटिंग सेट लगाने, पम्पिग सेट लगाने, टंकी बनाने, ग्रामों में टंकिया बनाने एवं क्वार्टर इत्यादि बनाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। 9 में से 7 ग्रामों में पाइप लाइन बिछाकर जल वितरण मार्च, 76 तक प्रारम्भ किया जा चुका है। शेष 2 ग्राम रामासनी एवं थरासनी के लिये लगभग 5 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जानी बाकी है। जिसके लिए पाइप प्राप्त किए जा चुके हैं। पाइप लगाने का कार्य वर्षा के कारण पूरा नहीं किया जा सका व यह आशा है कि दिसम्बर, 76 तक कार्य पूरा किया जा सकेगा। उक्त योजना पर मार्च, 76 तक 10.00 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है व इस वर्ष 1.00 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान है।

प्रश्न '4' की सूची

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाबा गांव चाणोद में ग्राम डरी, साकरडा, सन्दलाव, भावनगर, खारणा की ढाणी, साली, को जोड़ने के लिए सरपंच, ग्राम पंचायत डरी का पत्र प्राप्त हुआ। सरपंच ग्राम पंचायत धाना ने ग्राम बड़ली को एवं सरपंच ग्राम पंचायत चाणोद ने ग्राम मुकन्दगढ़ व पटेलनगर को उक्त क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से जोड़ने की मांग की है।

परिशिष्ठ 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 9 की सूची)

जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा पंचायत समितिवार ऋण वसूली की सूचना।

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	मांग खरीफ ऋण लाखों में	वसूली 30-6-76 तक लाखों में	वसूली का प्रतिशत
1.	जसवन्तपुरा	1.18	1.18	100 प्रतिशत
2.	जालौर	5.39	4.68	87 ,,
3.	सायला	8.81	7.09	80 ,,
4.	सांचौर	13.37	9.82	73 ,,
5.	आहोर	7.48	5.07	67 ,,
6.	रानीवाड़ा	4.48	2.54	57 ,,
7.	भीनमाल	2.48	1.24	50 ,,

सांचौर क्षेत्र की उन सहकारी समितियों की सूची जिन्हें कि खरीफ 76 के दौरान ऋण वितरित किया गया।

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	वितरित राशि लाखों में
1	2	3
1.	सरनाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	1.06 लाख
2.	केरिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	1.22
3.	सांकड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.85
4.	गुन्दाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.60
5.	अरनाय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.75
6.	दांता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.77
7.	डांगरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.44
8.	हाडेतर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.97
9.	गोलासन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.46
10.	डेडवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	1.26

Page No 109

(109)

1	2	3
11.	लाछीवाड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.88
12.	सांचोर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.43
13.	गुढ़ा हेमा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.73
14.	सागडवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.64
15.	खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.64
16.	चितलवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	1.44
17.	बिजरोल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.65
18.	धमाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.94
19.	देवड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.44
20.	मालवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.44
21.	हाड़ेवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.54
22.	अचलपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.71
23.	डबाल ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.37
24.	चोरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.34
25.	कोड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.58
26.	जाणवी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.36
27.	रणोदर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि	1.13
28.	विरोज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.22
29.	सरवाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	0.35
30.	करावडी ग्राम सेवा-सहकारी समिति लि.	1.08

Page No 110

(110)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची)

चूरू जिले में आवासीय भूखण्डों पर मकान बनाने हेतु राजस्थान राज्य को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि. के माध्यम से गृह निर्माण समितियों के परिवारों को दिये गये ऋण की तहसीलवार सूची ।

क्र. सं. 1	नाम गृह निर्माण सहकारी समिति 2	परिवार जिनको ऋण दिया गया 3	ऋण दिया गया राशि 4
	तहसील राजगढ़ :		
1.	श्री साखणताल भवन निर्माण सह. स. लि.	30	1188.0(.00
2.	लम्बोरखेड़ी ,,	29	116000.00
3.	राजगढ़ वार्ड नं. 1 ,,	25	30000 00
4.	जणउखारी ,,	26	10400.00
5.	जणऊमीठी ,,	42	50400.00
6.	बन्देऊमुल्तान ,,	18	7200.00
7.	नेशलबड़ी ,,	19	22000.00
8.	बीजावास ,,	34	13600.00
9.	साखू ,,	29	81200.00
10.	चान्दगोठी ,,	33	39600.00
		285	4,89,200.00
	तहसील तारानगर:		
1.	साल्यू ,,	30	84000.00
	तहसील सरदारशहर:		
1.	सरदारशहर वार्ड नं. 10 ,,	30	84000.00
2.	सारसर ,,	40	112000.00
		70	196000.00
	तहसील श्री डूंगरगढ़:		
1.	तोलियासर ,,	28	11200.00
2.	बीग्गा ,,	39	15600.00
		67	26800.00

1	2	3	4
तहसील रतनगढ़ :			
1.	खेतड़ी भवन निर्माण सह. स. लि.	16	6400.00
2.	पड़िहारा ,,	21	58800.00
		37	65200.00
तहसील सुजान गढ़ :			
1.	सुजानगढ़ वार्ड नं. 3, 4 एवं 5	23	64400.00
2.	सालासर	22	88000.00
3.	सोभासर	57	155600.00
4.	भूरडाकिया	64	176800.00
		166	4,84,800.00
तहसील चूरू:			
1.	चूरू वार्ड नं. 6	44	176000.00
2.	चूरू वार्ड नं. 7	16	19200.00
3.	लाखाऊ	42	50400.00
4.	लालासर	37	44400.00
5.	महरावणसर	17	20400.00
6.	रामसरा	42	50400.00
7.	बरडादास	20	24000.00
8.	सातड़ा	33	13200.00
9.	सहनाली महावीर	35	98000.00
		286	4,96,000.00
	अन्य जाति-राणासर	17	136000.00

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

राज्य के विभिन्न श्रम न्यायालयों में दिनांक 1 जून, 75 से 31 अगस्त, 76 तक दायर हुये मुकदमों की किस्मवार सूची:—

न्यायालय का नाम	रेफरेन्स	शिकायत धारा 33 (ए)	केस धारा 33(2)	केस धारा 33(सी)	एस. सी अपील	दरख्वास्त धारा 13-ए	केन्द्र सरकार रेफरेन्स केस	केन्द्र सरकार शिकायत धारा 33ए	केन्द्र सरकार केस धारा 33(2)	केन्द्र सरकार केस धारा 33(सी)	योग
1. औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 1	81	63	147	—	—	—	23	1	—	—	315
2. औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2	20	1	12	—	—	—	—	—	—	—	33
3. श्रम न्यायालय	341	15	24	424	4	—	—	—	—	74	362
4. अतिरिक्त श्रम न्यायालय	82	7	—	36	—	—	—	—	—	—	125
योग:—	524	86	183	460	4	—	23	1	—	74	1355

ह.
न्यायाधीश औद्योगिक
न्यायाधिकरण,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूची)

खालों की लम्बाई		खाले पर लगी ईंटे व कीमत तथा ढुलाई व्यय			मजदूर व मिस्त्रियों की संख्या		मजदूरी		कुल मजदूरी व्यय	सीमेन्ट की मात्रा, कीमत व ढुलाई व्यय		
मुरब्बा	आर एफ टी	ईंटों की संख्या	कीमत	ढुलाई	मजदूर	मिस्त्री	मजदूरों को	मिस्त्रियों को		थैले मात्रा	कीमत	ढुलाई व्यय
2	1650	31100	2574-80	1271-49	40	11	1997-64	932-00	2979-64	115	1406-50	143-40
2	1650	31100	2574-80	662-74	45	11	1472-88	1080-00	2552-88	104	1220-96	155-03
[illegible]	3630	70100	5694-80	2862-24	60	19	3866-00	1600-00	5466-00	227	2747-68	424-32
[illegible]	4950	93300	7724-40	2168-96	121	34	4277-20	3267-00	7541-20	300	3967-50	375-50
[illegible]	5775	109250	9351-80	2534-60	125	39	5019-86	4352-50	9371-36	365	4505-32	580-15
[illegible]	625	39000	3120-00	1090-05	37	7	2835-76	518-00	3353-76	125	1467-50	101-50
[illegible]	75	46800	3744-00	1886-04	39	9	2660-98	1344-00	4004-98	150	1887-00	कुछ नहीं
[illegible]	[illegible]	64200	5136-00	2587-26	83	13	4529-60	1304-00	5833-60	210	2830-12	236-40
[illegible]	[illegible]	64500	5160-00	2121-40	90	21	3407-18	2020-50	5427-68	220	2582-80	305-00
[illegible]	[illegible]	62400	4992-00	2514-72	47	10	4430-00	950-00	5380-00	212	2488-88	260-49
[illegible]	[illegible]	31200	2496-00	580-00	24	5	2097-50	450-00	2547-50	100	1362-00	60-00
[illegible]	[illegible]	24000	9920-00	992-00	110	33	7581-00	2317-00	9599-00	420	5350-04	326-50
[illegible]	[illegible]	600	7488-00	2153-73	129	27	6142-01	1469-00	7611-01	297	3743-80	283-20
[illegible]	[illegible]	00	8391-20	9311-78	99	27	5724-29	2805-00	8529-29	348	4254-72	442-90
[illegible]	[illegible]	[illegible]	20784-20	6586-11	311	76	13980-61	7179-00	21159-61	831	10940-96	721-25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7662-72	2276-36	89	23	4741-02	3465-00	8,96-02	311	4013-14	278-70
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7680-00	2683-12	108	23	5707-88	2218-00	7925-88	300	3422-00	432-00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4494-72	39282-60	1,557	388	80471-41	37320-00	117791-41	4635	58290-92	5127-25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	282-83	439-90					1319-06	52	652-75	57-41

) रु. से 9) रु. तक